पंचम माला, खंड 47, अंक 21, गुरुवार, 12 दिसम्बर, 1974/21 अग्रहायण, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XLVII, No. 21, Thursday, Dec. 12, 1974/Agrahayana 21, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र / Twelfth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 47 में अंक 21 से 27 तक हैं / Vol. XLVII contains Nos. 21 to 27]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

लोक सभा वाद विवाद का

संक्षिप्त अनुदित संस्करण

अंक 21, गुरुवार, 12 दिसम्बर, 1974/
21 अग्रहायण, 1896 (शक)

पृष्ठ (1) प्रश्न 448 के पश्चात् और प्रश्न 434 से पूर्व निम्नलिखित शीर्षक जोड़िये :

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written answers to questions

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 21, गुरुवार, 12 दिसम्बर, 1974/21 अग्रहायण, 1896 (शक)

No. 21, Thursday, December 12, 1974/Agrahayana 21, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		पृष्ठ PAGES
435 हिन्द महासागर	Indian Ocean	2
437 भारतीयों की वर्मा में रह गयी उनकी परिसम्पत्ति के लिए क्षति-पूर्ति	Compensation to Indians for their Assets left behind in Burma	5
444 राजस्थान के शिविरों में शरणार्थी	Refugees in Rajasthan Camps	6
446 डेंगू 'हेलमोरहैगी' बुखार	Dengue Halmorrhagic Fever . .	9
447 श्रमिक शिक्षा योजना के बारे में पुनरीक्षा समिति	Review Committee on Worker's Education Scheme . . .	10
448 जापानी इस्पात की सप्लाई	Supply of Japanese Steel	13
434 केरल में सेना के लिए भर्ती केन्द्र	Army Recruiting Centre in Kerala . .	15
436 छोटे इस्पात संयंत्र	Mini Steel Plants	16
438 राउरकेला इस्पात संयंत्र में बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन	Production of Saleable Steel in Rourkela Steel Plant .	17
439 दक्षिण एशिया को परमाणु-मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए पाकिस्तान का प्रस्ताव	Pak proposal for Nuclear Free Zone of South Asia . . .	17
440 केरल में हैजा निवारक टीका लगाने से हुई मृत्यु और व्यक्तियों का बीमार पड़ना	Death and Sickness due to Preventive Inoculation against Cholera in Kerala.	18

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
441	मच्छरों द्वारा फिलेरिया रोग का फैलाया जाना — Spreading of Filaria by Mosquitoes .	18
442	गुजरात में श्रम-न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित न किया जाना — Non-implementation of Labour Court Decisions in Gujarat . .	19
443	भगवती समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशें — Recommendations of Bhagwati Committee Report . .	19
445	कपड़ा मिलों के श्रमिकों का 'बाइसीनोसिस' रोग से पीड़ित होना — Textile workers suffering from Byssinosis	19
449	पाकिस्तानी कब्जे में भारतीय भू-भाग में सैनिक तैयारी — Military Preparations in Pakistan occupied Indian Territory	20
450	पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को मुआवजा दिये जाने पर तथा उनके पुनर्वास पर व्यय — Expenditure on compensation and Rehabilitation of West Punjab and East Bengal Refugees	20
451	उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की मजूरी में हुई वृद्धि — Wage rise for Workers in different Sectors of Industry	21
452	संगठित क्षेत्र में रोजगार तथा रजिस्टर्ड बेरोजगार व्यक्ति — Employment in organised sector and Registered Unemployed . .	21
453	जयपुर, उड़ीसा में एल्यूमीनियम कारखाना — Aluminium Factory in Jeypore, Orissa .	22
345	कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी फैडरेशन की विचाराधीन मांगें — Pending Demands of E. P. F. Staff Federation. . . .	23
अता० प्र० सं० U.S.Q. No.		
4185	लेडी हार्डिंग अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों के लिए फ्लैटों का निर्माण — Construction of Flats for Employees of Lady Hardinge Hospital, New Delhi .	23
4186	राज्य परिवहन सेवाओं पर नये मार्गों और गाड़ियों के लिए प्रतिबंध — Ban on New Routes and Vehicles for State Transport Services .	23
4187	दिल्ली परिवहन निगम के मार्ग सं० 320 पर चलने वाली बसों में अत्यधिक भीड़भाड़ होना — Over crowding in Buses on DTC Route No. 320 . . .	24
4188	भारतीय सेना को प्रशिक्षण देने में प्रयुक्त भाषाएं — Languages for imparting Training to Indian Army	24

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4189	मध्य प्रदेश में "पेलेट" बनाने का संयंत्र / Pelletisation Plant in M.P.	25
4190	केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता को औषधियों के परीक्षण हेतु प्राप्त नमूने / Samples received for testing by Central Drugs Laboratory, Calcutta	25
4191	बिजली संकट के कारण उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को जबरन छुट्टी दिया जाना / Workers laid off in Uttar Pradesh due to Power Crisis	25
4192	दिल्ली परिवहन निगम के महा-प्रबंधक को त्रिनगर कल्याण एसो-सियेशन से ज्ञापन / Memorandum by Trinagar Welfare Asso-ciation to General Manager of DTC .	26
4193	खेतड़ी तांबा परियोजना में 'ऐनोड' तांबे का उत्पादन / Production of Anode Copper in Khetri Copper Project . . .	27
4194	बंगाल की खाड़ी में तेल की खोज के बारे में बंगलादेश से विरोध / Protest with Bangladesh against Oil Ex-ploration in Bay of Bengal . .	27
4195	राज्यों में नियुक्त केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिये मेडिकल सीटें / Medical Seats for Sons/Daughters of Cen-tral Government Officers posted in States	27
4196	छात्रों द्वारा दिल्ली परिवहन निगम की बसों का अपहरण / Hijacking of DTC Buses by Students .	28
4197	मिलावटी घी का उत्पादन / Manufacture of Adulterated Ghee .	29
4198	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा बंगलादेश को रेल डिब्बों की सप्लाई / Supply of Rail Coaches to Bangladesh by Bharat Earth Movers Limited	29
4199	कर्नाटक राज्य के दक्षिण कनारा जिले में बाक्साइट / Bauxite in South Kanara District Karnataka	30
4200	अंतर्राज्यीय मार्गों पर दिल्ली परि-वहन निगम द्वारा बसों को चलाना रद्द करना / Trips cancelled by DTC on Inter-State Routes	30
4201	रक्त बैंकों में रक्त की कमी / Shortages of Blood in Blood Banks .	31
4202	इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में कम उत्पादन / Low Production in IISCO	31
4203	मरकरी ट्रैवल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा कर्मचारियों की छंटनी / Retrenchment of Workers by Mercury Travels India Limited . . .	32

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4204	पोलियो के विरुद्ध राष्ट्र-व्यापी कार्यक्रम	Nation wide programme-against Polio 32
4205	दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में मैडिकल कालिज और अस्पताल खोलना	Setting Up Medical College and Hospital in Trans-Yamuna Area of Delhi 33
4206	युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को भूमि का आबंटन	Allotment of Land to Dependents of Military Personnel killed in War . 33
4207	गुजरात में कृष्ण कुमार काटन मिल्स लिमिटेड, मालवा के कर्मचारियों को मजूरी का भुगतान	Payment of Wages to Workers of Krishan Kumar Cotton Mills Ltd., Malwa in Gujarat 34
4208	भारतीय नौवहन निगम द्वारा नई नौवहन सेवायें प्रारंभ करना	New Shipping Services by Shipping Corporation of India . . 34
4209	देवली से कोटा तक की सड़क को राजमार्ग के रूप में शामिल करना	Inclusion of Road from Dewali to Kota as a Highway . . 35
4210	गुजरात में एल्युमीनियम परियोजना	Aluminium Projects in Gujarat 35
4211	सहायक उद्योगों की स्थापना	Setting up of Ancillary Industries . 35
4212	आयुर्वेद को एलोपैथी के समान मान्यता प्रदान करना	Bringing Ayurveda and Allopathy at Par 36
4213	प्रभोक्ताओं को इस्पात का आबंटन	Steel Allocation to Consumers . 36
4214	भारत और नेपाल के बीच टूटा सड़क संपर्क	Missing Road Links Between India and Nepal 36
4215	पारादीप पत्तन से जहाज द्वारा भेजा गया लौह अयस्क	Iron ore shipped from Paradip Port . 37
4216	मेघालय में स्थानीय लोगों को देय राशि तथा उनके दावों का निपटान	Settlement of Dues and Claims of Local People in Meghalaya 38
4217	मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में इस्पात के बढ़ते हुये मूल्य	Rising Steel prices in Andhra Pradesh and Madhya Pradesh . 38
4218	औषधियों में मिलावट के लिए बन्दी बनाये गये व्यक्ति	Persons arrested for Drugs Adulteration 39
4219	फैरो वैनाडियम प्रोजेक्ट, उड़ीसा	Ferro vanadium Project, Orissa 39
4220	कलकत्ता पत्तन से होने वाले व्यापार में वृद्धि	Boosting of Calcutta Port Trade 39
4221	परिवार नियोजन के लिए "लिक्वड क्रिस्टल थर्मल डिवाइसिज"	Liquid crystal thermal devices for Family Planning . 40

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4223	पी० एल० ओ० को पश्चिम तट क्षेत्र का भावी शासक बनाना	P.L.O. as future Ruler of West Bank Territory . 40
4224	कपड़ा सीने के उद्योग में लगे श्रमिकों को श्रमिक कानूनों का लाभ	Benefit of Labour Laws to Workers Engaged in Tailoring Industry 41
4225	दादरा और नागर हवेली में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्र	Health and Family Planning Centres of Dadra and Nagar Haveli 41
4226	संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनीतिक समिति में पाकिस्तान के परमाणु-मुक्त क्षेत्र संबंधी प्रस्ताव को नाम मात्र समर्थन	Scanty Support to Pak Proposal for Nuclear free zone in U.N. Political Committee 41
4227	इंडियन आयल, डूलीजन, आसाम के कर्मचारियों की बर्खास्तगी के मामले न्यायाधिकरण के समक्ष	Dismissal Cases of Indian Oil Workers Duliajan pending before Tribunal . 43
4228	देश में धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे अस्पताल	Hospitals run by Religious Organisations in the country 43
4229	लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज अयस्क तथा ताम्र अयस्क का उत्पादन	Production of Iron Ore, Coal, Manganese Ore and Copper Ore 43
4230	संयुक्त राष्ट्र संघ में नेपाल के स्थायी प्रतिनिधि के साथ दक्षिण एशिया के लिये अणुरहित क्षेत्र के संबंध में विचार-विमर्श	Discussions with Nepal's Permanent Representative at U.N. regarding Nuclear Free Zone for South Asia . . 45
4232	सी० एस० टी० सी० और सी० टी० सी० के विकास के लिये पैट्रोलियम लेवी से धनराशि का नियतन	Allocation from Petroleum Levy for Development of CSTC and CTC . 45
4233	ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्पेंसरियों के लिय राज्यों को अनुदान	Grants to States for Rural Dispensaries . 46
4234	श्री राम रेयन्स, कोटा द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का जमा न कराया जाना	Non-Deposit of EPF dues by Sriram Rayons, Kota 46
4235	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के निदेश	SAIL. Directive 47

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4236	हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड के मुख्य कार्यालय का स्थानान्तरण Shifting of Head Office of Hindustan Latex Ltd.	47
4237	सेंट जार्जस होम्योपैथिक क्लिनिक एंड फार्मेसी आफ मंगलौर द्वारा 'अस्थमा क्योर' का विज्ञापन Advertising Asthama Cure by St. George's Homoeopathic Clinic and Pharmacy, Mangalore	47
4238	पाकिस्तानी रक्षा गतिविधियों में वृद्धि के बारे में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य Statement made by Pakistan Prime Minister Re: Increase in Pakistan Defence Activities	48
4240	केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के दिल्ली और कानपुर स्थित कार्यालयों में विभागीय परीक्षाओं का माध्यम Medium of Departmental Examination in the Offices of Central Provident Fund Commissioner at Delhi and Kanpur	48
4241	डी० एस० पी० द्वारा 1500 बिलों का भुगतान Payment of 1500 Bills by DSP . .	49
4242	देश में बनाई जा रही औषधियों का आयात Import of Drugs which are Manufactured Indigenously . .	49
4243	प्रसाधन तथा साबुन आदि वस्तुओं (कासमैटिक्स एंड टायलैट गुड्स) में हैक्साक्लोरोफोन के प्रयोग पर प्रतिबंध Ban on Use of Hexachlorophone in Cosmetic and Toilet Goods	49
4244	राउरकेला उर्वरक कारखाना Rourkela Fertiliser Plant .	50
4245	रियायती दरों पर दवाई सप्लाई करने की योजना Scheme to Supply Medicines at Concessional Rates .	50
4246	औषधियों का वर्गीय नाम रखने संबंधी प्रस्ताव Proposal to introduce generic names of Drugs	51
4247	आवश्यक दवाओं का उचित वितरण Proper distribution of essential drugs .	51
4248	रेलवे, खान, बागान, पटसन और कपड़ा उद्योगों में नैमित्तिक श्रमिक Casual Labour in Railways, Mines, Plantation, Jute and Textile Industries	51
4249	देश में चीनी कारखानों के श्रमिक Sugar Workers in the country	53
4250	दंडकारण्य परियोजना के अंतर्गत मलकांगिरी जोन में अधिक विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास Rehabilitation of more Displaced persons in Malkangiri Zone under Dandakaranya Project . . .	53
4251	दंडकारण्य परियोजना के मालकांगिरी क्षेत्र में और अधिक विस्थापित व्यक्तियों को बसाने पर आपत्ति Objection Against Settlement of fresh Displaced Persons in Malkangiri Zone of Dandakaranya Project .	54

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4252	दंडकारण्य परियोजना में पोटेरू बांध का अयाकट क्षेत्र / Vacant Area of Poteru Dam in Dandakaranya Project	54
4253	दंडकारण्य परियोजना में पोटेरू बांध का निर्माण / Construction of Poteru Dam in Dandakaranya Project	55
4254	दिल्ली में मलेरिया से मरे व्यक्ति / Deaths due to Malaria in Delhi .	55
4255	सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का अध्ययन करने के लिए समिति / Committee to Study Service Conditions of Employees of Border Road Organisation . .	56
4256	दिल्ली से शाहदरा-गांधीनगर तक पुल / Bridge from Delhi to Shahdara-Gandhinagar . .	56
4257	कच्चे लोहे का उत्पादन / Production of Pig Iron .	56
4258	नकली दवाइयां बनाने वाले कारखाने / Spurious Drug Factories . .	57
4259	हल्दिया से भारतीय नौवहन निगम के एक जहाज का बिना कर्मीदल के चला जाना / Sailing of Ship of SCI from Haldia without Crew . .	58
4260	शरणार्थियों के बसाने के लिये भूमि को कृषि योग्य बनाना / Reclamation of Land for Resettlement of Refugees	58
4261	पश्चिम बंगाल और आसाम में मरे व्यक्ति / Deaths in West Bengal and Assam .	59
4262	खेतड़ी तांबा परियोजना का कंसेंट्रेटर प्लांट / Concentrator Plant of Khetri Copper Project	59
4263	खेतड़ी तांबा परियोजना के तेजाब तथा उर्वरक संयंत्र / Acid-cum-Fertilizer plant in Khetri Copper Project .	60
4264	हंगरी के प्रधान मंत्री की यात्रा / Visit by Prime Minister of Hungary .	60
4265	पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा निम्नतम राशि के टेंडरों को स्वीकार न करने के मामले / Cases of Lower Tenders set aside by DGS&D	61
4266	सरकारी कर्मचारियों में क्षय रोग / T.B. among Government Employees	62
4267	खेतड़ी तांबा परियोजना में कथित दुर्विनियोग के मामले / Alleged Misappropriation Cases in Khetri Copper Project . . .	62
4268	बंगलादेश को ऋण / Loan to Bangladesh	62
4269	औषधियों में मिलावट के मामले / Cases regarding Adulteration of Drugs	63
4270	कुद्रेमुख लौह-अयस्क परियोजना / Kudremukha Iron Ore Project .	63
4271	भारत-बलगारिया करार / Indo-Bulgarian Agreement	64

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4272	शेख अब्दुल्ला के साथ हुई बातचीत पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया	Reactions of Pakistan on Talks with Sheikh Abdullah . .	64
4273	बम्बई से प्रकाशित पत्रिका-समूह में तालाबंदी	Lock out in Group of Journals Published from Bombay	64
4274	उत्तर प्रदेश में बिजली संकट के कारण ढलाई कारखानों में बेरोजगार कर्मचारी	Workers laid of in Casting Factories in Uttar Pradesh due to Power Crisis .	65
4275	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटड का पुनर्गठन	Reorganisation of Hindustan Steel Ltd.	65
4276	अगले वित्तीय वर्ष के दौरान इस्पात का आयात करने का प्रस्ताव	Proposed Import of Steel during next Financial Year	65
4277	जम्मू और कश्मीर सतर्कता आयोग द्वारा नकली आयुर्वेदिक औषधियां बनाने वाले गिरोह का पकड़ा जाना	Unearthing of Spurious Ayurvedic Drugs Racket by J & K Vigilance . .	66
4278	बम्बई बैकवे रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट	Bombay Backbay Reclamation project	66
4279	पश्चिम एशिया में परस्पर सहयोग का वातावरण पैदा करना	Creation of atmosphere of mutual Collaboration in West Asia. . . .	67
4280	भारत-जापान संबंध	Indo-Japanese relations.	67
4281	जहाजों का निर्यात	Export of Ships .	68
4282	आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा इससे सम्बद्ध रेलवे कर्मचारी यूनियन द्वारा धरना	Dharna by AITUC and its Affiliated Railway Employees Unions . . .	68
4283	गुजरात में श्रमिक विवादों संबंधी मामले	Cases of Labour disputes in Gujarat .	69
4284	एशियाई सुरक्षा के प्रस्ताव पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत	Talks with Prime Minister of Sri Lanka on Asian Security	69
4285	रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नई परियोजनाएं	New Projects to boost Defence Productions	69
4286	संयुक्त क्षेत्र में लघु इस्पात परियोजनाएं	Mini Steel Projects in Joint Sector	70
4287	भारतीय नौवहन निगम द्वारा ब्रिटेन से प्राप्त जहाज	Ships obtained from Britain by Shipping Corporation of India . . .	71

अता० प्र० सं० U. S. Q. No	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4288	बंगाल पोटरीज लिमिटेड के दो कारखानों में तालाबंदी	Lock out in two factories of Bengal Potteries Limited 71
4289	रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों का विस्तार	Expansion of Rourkela, Bhilai and Durgapur Steel Plants . . . 71
4290	टेन्सा, उड़ीसा में बरसुआ लौह खान के श्रमिकों की बहाली	Reinstatement of Workers of Barsua Iron Mine in Tensa, Orissa . . . 73
4291	शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि	Increase in Unemployment of Educated . 73
4292	चिकित्सा अनुसंधान और प्रशिक्षण परियोजना केन्द्र का बंद किया जाना	Closure of Centre for Medical Research and Training Project . . . 74
4293	चिकित्सा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना	Submission of Report by Centre for Medical Research and Training . . . 75
4294	रत्नगिरी स्थित मालवान पत्तन कोंकण को तटीय यात्री सेवा के लिये बन्द करना	Closure of Malwan Port in Ratnagiri to Konkan Coastal Passenger Service . 75
4295	पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति	Registered Unemployed persons 76
4296	पारादीप पत्तन में समुद्री भूमि-कटाव को रोकने के लिये समुद्री प्राचीर का निर्माण	Construction of Sea Wall to prevent sea erosion in Paradip Port . . . 76
4297	अमरीका में भारतीय डाक्टर	Indian Doctors in USA . 77
4298	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक बढ़ाने की योजना	Scheme for extension of National Highway No. 31 from Siliguri to Darjeeling . 78
4299	भारतीय इनक्लेवों के शरणार्थियों को पुनर्वास सहायता	Rehabilitation Assistance to Indian Enclaves Refugees . . . 78
4300	अनुपातिक उपकर के लिये पश्चिम बंगाल की मांग	West Bengal demand for proportionate Cess Tax . . ., . . 79
4301	कर्मचारी राज्य बीमा योजना से लाभ उठाने के लिये आय की सीमा में वृद्धि करना	Increase in ceiling on income for ESI Scheme benefits 79
4302	श्रमिकों को आवास सुविधायें देने के लिये चाय-बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 में संशोधन	Amendment of plantation labour Act, 1951 to provide for housing facility to workers 80

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4303 ईशापुर आयुध कारखाने के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी	Payment of overtime allowance to the staff of Ishapore Ordnance Factory . .	80
4304 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा एक अनुसंधान पद्धति का विकास	Developing a research strategy by Indian Council of Medical Research . .	80
4305 देश में प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान	Naturopathy Institutions in the country .	82
4306 एल्यूमिनियम के पिंडों पर वितरण नियंत्रण	Distribution control on Aluminium Ingot	82
4307 विभिन्न पत्तनों को कोयले का भेजा जाना	Transportation of coal to various ports .	82
4308 नया मंगलौर पत्तन	New Mangalore Harbour	84
4309 श्रीराम रेयन्स, कोटा में अस्थायी कर्मचारी	Temporary Employees in Sriram Rayons, Kota	84
4310 हिमाचल प्रदेश में चाय बागानों की और कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	Arrears of E.P.F. Against Tea Plantations in Himachal Pradesh . . .	84
4311 शाहजहांपुर आयुध कारखाने के कमचारियों को भारत रक्षा कानून तथा 'आंसुका' के अन्तर्गत बन्दी बनाया जाना	Arrests of Employees of Shahjahanpur Ordnance Factory under MISA and DIR	85
4312 भ्रष्टाचार के लिये शाहजहांपुर स्थित आर्डनेंस फैक्टरी के कर्मचारियों के खिलाफ कथित कार्यवाही	Alleged Action against Employees of Shahjahanpur Ordnance Factory for Corruption	86
4313 लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट मैटरनिटी, धनबाद को सरकारी अधिकार में लेना	Take over of Laxmi Narayan Trust Maternity, Dhanbad	86
4314 कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 को बिहार की चावल मिलों पर लागू करना	Coverage of Rice Mills in Bihar under E.P.F. and F.P.F. Act, 1952 . .	87
4315 रिहाई के मामलों के बारे में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार को जानकारी देने में विलंब	Delay in Non-supply of Information regarding Acquittal Cases to RPFC., Bihar	87

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4316	बिहार में कारखानों, प्रतिष्ठानों और खानों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू करना / Coverage of Factories, Establishments and Mines under EPF Act in Bihar .	87
4317	प्रादेशिक सेना में भर्ती / Recruitment in Territorial Army .	88
4318	हल्दिया डांक प्रोजेक्ट / Haldia Dock Project . .	88
4319	वात रोगों में सर्प विष का प्रभाव / Effect of Snake Venom on Rehumatic Diseases	89
4321	संसद् सदस्यों को आयुर्वेदिक टानिक का न दिया जाना / Non-supply of Ayurvedic Tonic to M.Ps.	90
4322	परिवार नियोजन के फलस्वरूप जनसंख्या में कमी / Decline in population due to Family Planning	90
4323	देश में एक्सरे रीलों की कमी / Shortage of X-Ray reels in the country .	91
4324	कोटा गार्ड ट्रेनिंग सेंटर को मांस की सप्लाई / Supply of meat to Kotah Guard Training Centre	91
4325	वर्ष 1971-72 और 1973-74 में इस्पात का निर्यात / Export of Steel during 1971-72 and 1973-74	92
4326	एक महिला अध्यापिका द्वारा दिल्ली छावनी में भूमि पर अनधिकार कब्जा / Encroachment of Land by a Lady Teacher Delhi Cantonment	93
4328	बंगलादेश के शरणार्थियों पर खर्च करने के लिए पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आदि को दी गई केन्द्रीय सहायता / Central Aid to West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura etc. for spending on Bangladesh Refugees . . .	93
4329	दिल्ली में सिनेमा कमचारियों की सेवा की शर्तें / Service Conditions of Cinema Employees in Delhi.	94
	रुरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा स्क्रैप की बिक्री के बारे में 28-3-1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5085 के उत्तर में शुद्ध करने वाला विवरण / Correcting Statement to USQ 5085 dt. 28-3-1974 re: Sale of Scrap by Rourkela Steel Plant	95
	श्री एल० एन० मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न / Question of Privilege Against Shri L.N. Mishra	98
	आयात लाइसेंस कांड / Import Licence Case .	98
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र / Papers Laid on the Table . .	103
	राज्य सभा से संदेश / Message from Rajya Sabha . . .	104
	अविलंबनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना / Calling Attention to matter of urgent Public Importance	106

	पृष्ठ PAGES
केरल उच्च न्यायालय के फैसले के परिणाम-स्वरूप काजू उद्योग में उत्पन्न स्थिति — Situation created in Cashew Industry following Kerala High Court Judgement	
श्री सी० एम० स्टीफन — Shri C.M. Stephen	106
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह — Shri Vishwanath Pratap Singh .	106
याचिका समिति — Committee on Petitions	109
20वां प्रतिवेदन — Twentieth Report	109
सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य — Statement Re: Arrest of Members .	110
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी — Shri K. Brahmananda Reddy .	110
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प — Statutory Resolution Re. Disapproval of Representation of the People (Amendment) Ordinance .	110
और — and	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक — Representation of the People (Amendment) Bill . .	110
विचार करने का प्रस्ताव — Motion to consider .	110
श्री श्यामनन्दन मिश्र — Shri Shyamnandan Mishra	110
श्री एच० आर० गोखले — Shri H.R. Gokhale .	113
श्री ज्योतिर्मय बसु — Shri Jyotirmoy Bosu . .	114
कार्य मंत्रणा समिति — Business Advisory Committee	128
50वां प्रतिवेदन — Fiftieth Report	128

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 12 दिसम्बर, 1974/21 अग्रहायण, 1896 (शक)

Thursday, December 12, 1974/Agrahayana 21, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बज कर चार मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at Four Minutes past Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Speaker in the Chair.]

निधन संबंधी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं सभा को श्री गोकुलनन्द मंहती के दुःखद निधन की सूचना देता हूं जिनका उड़ीसा में भद्रक में 4 दिसम्बर, 1974 को 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

श्री गोकुलानंद महंती वर्ष 1962 से 1967 के दौरान तीसरी लोक-सभा के सदस्य थे। वह वर्ष 1952 से 1957 के दौरान उड़ीसा विधान सभा के भी सदस्य रहे। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था और उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने जीवन का बहुत अधिक समय ग्रामीण उथान और सामाजिक सुधारों में व्यतीत किया ।

हमें इस मित्र के निधन पर अत्यंत दुःख है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सभा उनके शोक संतप्त परिवार तक सहानुभूति पहुंचाने में मेरे साथ होगी।

दुःख की अभिव्यक्ति हेतु सभा कुछ देर के लिये मौन खड़ी रहेगी।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे ।
The Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTION

हिन्द महासागर

*435. **श्री एन० ई० होरो :**

श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के लिए श्रीलंका ने भी पहल की है ; और

(ख) नवम्बर, 1974 में इस बारे में श्रीलंका और भारत के विदेश मंत्री के बीच हुई बातचीत का संक्षिप्त विवरण क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने में श्रीलंका ने महत्वपूर्ण कार्य किया है ।

(ख) नवम्बर, 1974 में विदेश मंत्री की श्रीलंका की यात्रा के दौरान इस विषय पर आगे विचार विनिमय हुआ । दोनों पक्ष इस बात के लिए राजी हुए कि हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे निरन्तर प्रयास करते रहेंगे ।

श्री एन० ई० होरो : जो बातचीत चल रही है, मैंने उसका सारांश जानना चाहा था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या अमरीकी सेनेट ने डिएगो गार्शिया पर अपने व्यय में कमी करने का निर्णय किया है उसने 330 लाख डालर के स्थान पर 180 लाख डालर मंजूर किये हैं । इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है । क्या हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखने की मांग का प्रयास व्यर्थ नहीं हो जायेगा ?

इस बात को ध्यान में रखते हुए भी कि अमरीकी और रूसी नेता अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी प्रकार के समझौते के लिये सहमत हो गये हैं, क्या इतना ही पर्याप्त नहीं होगा ? और उस स्थिति में शांति क्षेत्र बनाये रखने का हमारी सरकार का वचन व्यर्थ नहीं हो जाता है ?

श्री विपिनपाल दास : इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता कि अमरीका द्वारा खर्च की गई राशि 180 लाख डालर है या 330 लाख डालर है । हम इस विशेष अड्डे के विस्तार का विरोध करते हैं क्योंकि उससे इस क्षेत्र की शांति भंग होगी जिससे समूचे क्षेत्र को खतरा हो जायेगा । अब प्रश्न यह है कि हम विश्व के अन्य भागों में पारस्परिक वैमनस्य के अन्त का स्वागत करते हैं और जैसा कि अमरीका और रूस चाहते हैं कि विश्व के इस भाग में भी पारस्परिक वैमनस्य का अन्त हो हम चाहते हैं कि डिएगो गार्शिया अड्डे का विस्तार नहीं होना चाहिये ।

श्री एन० ई० होरो : अमरीका डिएगो गार्शिया में अपनी रक्षा स्थिति क्यों सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहा है, इसका एक कारण यह है कि वहां रूसी नौ सेना उपस्थित है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या सोवियत संघ के सरकारी नेताओं के साथ किसी बातचीत में हमने इस सम्बन्ध में प्रयास किये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री होरो, यह वही प्रश्न है जो इसी सत्र में पूछा गया था और मंत्री महोदय ने कहा था कि राष्ट्र संघ के महासचिव ने भी इस बात से इन्कार कर दिया था कि हिन्दमहासागर में रूस का कोई नौसैनिक अड्डा है । इस सभा में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया था ।

श्री विपिनपाल दास : आपने जो कुछ कहा है उससे मैं सहमत हूं । मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि नौसैनिक उपास्थिति से नौसैनिक अड्डा निश्चय ही भिन्न है । इसके अतिरिक्त, यह ऐसा मार्ग है जहां से रूसी जहाजों को जाना पड़ता है । यह सामान्य प्रक्रिया है । परन्तु अड्डे की स्थापना और उसका विस्तार निश्चय ही अलग बात है क्योंकि इससे समूचे क्षेत्र में अशान्ति उत्पन्न हो जायेगी ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : ब्रिटेन सरकार ने अब अमरीका को वहां उसका अड्डा बनाने की अनुमति दी है । मैं जानना चाहता हूं कि उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या श्रीलंका के साथ परामर्श करके इस मामले को ब्रिटेन के साथ उठाया जायेगा ?

श्री विपिनपाल दास : पहले भी ब्रिटेन सरकार का एक समझौता इस संबंध में था और उन्होंने केवल इसकी पुनरावृत्ति की है । हम निश्चय ही इस बारे में अप्रसन्न हैं कि ब्रिटेन सरकार अन्ततोगत्वा अमरीका को डिएगो गार्शिया अड्डे के विस्तार के लिये कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिये सहमत हो गई हैं।

Shri Narsingh Narain Pandey : What steps Government of india has taken or what sort of talk it has held with littoral countries whereunder no naval base is built up in Diego Garcia so that a situation can be created to keep it as a zone of peace by which help could be obtained in taking action against such bases with regard to the U.S.A. or other imperialist forces ?

श्री विपिनपाल दास . हमने इस सभा में तथा राज्य-सभा में एवं सार्वजनिक रूप से बार-बार यह कहा है कि हम श्री लंका तथा अन्य देशों के सहयोग से हिन्द महासागर को शांति-क्षेत्र घोषित करने के लिये राष्ट्र संघ में प्रयत्न करते रहे हैं । हमने राष्ट्र संघ में यह मामला बार-बार उठाया है । हमने 1971-1972 और 1973 में ऐसा किया । इस वर्ष भी राष्ट्र संघ में एक संकल्प पारित किया गया था। राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से विश्व-व्यापी जनमत तैयार करने के हमारे प्रयास चलते रहे हैं ताकि इस क्षेत्र को शांति-क्षेत्र घोषित किया जा सके ।

श्री राम सहाय पांडे : क्या यह सही नहीं है कि बहुत से देशों ने हिन्द महासागर को शांन्ति-क्षेत्र बनाने के लिये पहल की है ? विशेषकर, एशिया देशों का लुसाका में जो सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था जिसमें उन्होंने बड़ी शक्तियों से हिन्द महासागर में हस्तक्षेप न करने का कहा । इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री विपिनपाल दास : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह ठीक है । उन्होंने अभी तक हमारी अपील की सुनवाई नहीं की है । हम यह बार बार कहते रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने अब तक जो उत्तर दिये हैं उनसे ऐसा लगता है कि हिन्द महासागर में शांति क्षेत्र का विचार डिएगो गार्शिया में विचाराधीन अड्डे के साथ सह-लक्ष्य (को-टर्मीनस) प्रतीत होता है । क्या उनका विचार उतना ही सीमित ही जितना वह है या इसमें उदाहरण के लिये, 'सेन्टो' की पांच शक्तियों, अर्थात्, अमरीका, ब्रिटेन, ईरान, टर्की और हिन्दमहासागर के उत्तरी भाग में कराची तट से दूर पाकिस्तान के बेड़ों द्वारा हाल ही में की गई नौसैनिक कार्यवाहियां भी शामिल हैं और हमने श्रीलंका तथा अन्य देशों के साथ-साथ हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखने के लिये जो मांगें की हैं उनके सम्बन्ध में वे इन गतिविधियों को कैसा समझते हैं ?

श्री विपिनपाल दास : यह सही नहीं है कि हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने का हमारा विचार केवल डिएगो गार्शिया के सैनिक अड्डे तक ही सीमित है । हम ऐसी गतिविधियों, जो हाल ही में हुई हैं और जो पहले भी हुई थी; के प्रति बार-बार अपना विरोध प्रकट करते रहे हैं परन्तु इस बार ऐसा बड़े पैमाने पर हुआ है । ऐसा पाकिस्तान की सीमा के निकट हुआ था । हम महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में कुछ भागों में इससे प्रोत्साहन मिलेगा जो शिमला में हुई बातचीत के खिलाफ जायेगा और इससे समूचे क्षेत्र की शांति भंग होगी । इस प्रकार की गतिविधियों का हमने सदैव विरोध किया है ।

श्री वसंत साठे : हमारे तिरन्तर विरोध और विश्व जनमत तैयार करने के अलावा यह सही है कि भारत इस क्षेत्र में शांति के लिये खतरा उत्पन्न करने वाली नव-उपनिवेश-वादी तथा साम्राज्य-वादी शक्तियों की ओर से इस गतिविधि को रोकने के लिये कोई सक्रिय कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं है । उन कुछ शांतिवादी संगठनों के हाल के सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है जिन्होंने विरोध स्वरूप डिएगो गार्शिया में ठीक उसी प्रकार शांतिवादी स्वयं सेवकों का जहाज ले जाना चाहा था जैसा एस डब्ल्यू पैसिफिक क्षेत्र में फ्रांस के अणु विस्फोट के समय न्यूजीलैंड के लोगों ने ले जाना चाहा था ?

श्री विपिनपाल दास : शांतिवादी संगठनों की कार्यवाही जैसी कोई कार्यवाही करने के लिये कोई भी संगठन स्वतन्त्र है परन्तु जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, हम राजनीतिक स्तर तक कार्य करते हैं और हम कह चुके हैं कि डिएगो गार्शिया में इस अडडे के विस्तार का हम विरोध करते हैं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : भारत-अमरीका सबन्धों के मार्ग में डिएगो गार्शिया में नौसैनिक उपस्थिति मुख्य बाधा है । क्या इस विषय पर अमरीका और भारत या 'सेन्टो' के किसी अन्य सदस्य के बीच औपचारिक या अनौपचारिक रूप से कोई चर्चा हुई थी जिसका श्री इन्द्रजीत गुप्त ने उल्लेख किया था ? यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में ऐसी चर्चा करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री विपिनपाल दास : हमने इस मामले को सम्बन्धित सरकारों के साथ उठाया है ।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : हिन्द महा सागर को शांति क्षेत्र बनाये रखने की दृष्टि से क्या सरकार ने ब्रिटेन सरकार को अमरीका को डिएगो गार्शिया में सैनिक अड्डा बनाने देने के लिये कोई सरकारी विरोध-पत्र भेजा है । यदि हां, तो उनका क्या उत्तर दिया है ?

श्री विपिनपाल दास : हमने डा० हेनरी कीसिंजर को हाल ही में, जब वह यहां थे, तो अपने विचार बता दिये थे। हमने नई दिल्ली स्थित उनके राजदूत को भी अपने विचार बता दिये हैं। अतः हमने अमरीका के समक्ष डिएगो गार्शिया में अड्डे के विस्तार पर अपना विरोध प्रकट कर दिया है । जैसा कि मैं पहले सभा में बता चुका हूं, उनका उत्तर यह है कि उनके विचार निरन्तर हमारे विचारों से भिन्न रहते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या आपने ब्रिटेन को विरोध पत्र भेजा है ?

श्री विपिनपाल दास : हमारे विचार या विरोध प्रकट करना सरकारी विरोध पत्र भेजने के समान ही है।

डा० रानेन सेन : वह ब्रिटेन के बारे में पूछ रहे हैं।

भारतीयों की बर्मा में रह गई उनकी परिसम्पत्ति के लिए क्षतिपूर्ति

*437. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा के प्रधान मंत्री के साथ, जबकि वे पीछे आये थे, हुई बातचीत के दौरान भारत मूलक उन व्यक्तियों को, जो कि बर्मा में अपनी परिसम्पत्ति छोड़ आये थे, पूर्ति देने के बारे में भी विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) अप्रैल, 1974 में, बर्मा के राष्ट्रपति ऊने विन की भारत यात्रा के दौरान हुई बातचीत में इस प्रश्न पर विचार किया गया था।

(ख) 6 दिसम्बर, 1973 की बर्मा सरकार की अधिसूचना के प्रावधान के अन्तर्गत जो दावे बर्मा के प्राधिकारियों के पास भेजे गये थे, वे बर्मा के प्राधिकारियों के विचाराधीन हैं।

श्री एस० एन० मिश्र : समझौता कब तक हो जाने की सरकार को आशा है ?

श्री विपिनपाल दास : अपनी ओर से यह कहना बहुत कठिन है कि समझौता कब तक हो जायेगा पिछली बार जब बर्मा के राष्ट्रपति यहां आये थे तब हमने यह मामला उनके साथ उठाया था। इस मामले पर अब भी विचार हो रहा है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Is the Hon. Minister aware that persons mostly from Bihar have settled in Burma and they are in a great distress there? They live in slums and are much distressed. Have they received such complaints and had they held any talk with the President of that country in this regard?

श्री विपिनपाल दास : यह प्रश्न बर्मा सरकार द्वारा लिये गये प्रतिष्ठानों के लिये मुआवजा अदा किये जाने के बारे में हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : They are in a great distress and as result of that they have come here leaving that country.

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : यह मामला 15 वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन पड़ा है। न केवल भारतीयों को मुआवजा ही अदा नहीं किया जाता है अपितु भारतीयों ने जब बर्मा छोड़ा तो उन्होंने बर्मा सरकार के पास और बर्मा के बैंकों में अपना पसा जमा कराया था क्योंकि वे उसे नहीं ला सकते थे। यहां तक कि वह पैसा भी अदा नहीं किया गया है। पीड़ित व्यक्ति विदेश मंत्रालय से अनुरोध कर रहे हैं परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्या सरकार इस मामले को शीघ्र निपटायेगी और वहां पर स्थित भारतीय दूतावास से इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करने को कहेगी। मैं समझता हूं कि वे इसे गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे हैं। मुझे निजी अनुभव हैं। मुझे भी बर्मा से 20 वर्ष पहले वहां छोड़ी गई सम्पत्ति के लिये कुछ मुआवजा लेना है।

श्री विपिनपाल दास : बर्मा सरकार ने 6 दिसम्बर, 1973 की अपनी अधिसूचना में कहा है कि उस नकद और बैंकों में जमा शेष राशि, जिनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, को कर काट कर उनके मालिकों को वापिस लौटाया जायेगा।

श्री आर० वी० स्वमीनाथन: क्या मंत्री महोदय रंगून में हमारे दूतावास को कहेंगे कि वह इस मामले पर गंभीरतापूर्वक प्रयास करें।

श्री विपिनपाल दास : हम ऐसा करते रहे हैं।

श्री वयालार रवि : मंत्री महोदय ने अप्रैल, 1974 में हुये नवीनतम पत्र व्यवहार का उल्लेख किया। तब से लेकर अब तक 8 महीने हो गये हैं। क्या यह कम लम्बी अवधि है ? इस मामले को शीघ्रता से निपटाने के लिय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री बिपिन पाल दास : हम लोगों को जो कठिनाइयां हो रही हैं उन्हें हमीं समझते हैं और हम यह भी समझते हैं कि इस मामले में काफी विलम्ब हुआ है परन्तु इस मामले पर सरकारी स्तर और दूतावास स्तर पर आग्रह करने के अतिरिक्त मैं नहीं समझता कि हम कुछ और कर सकते हैं।

Refugees in Rajasthan Camps

***444. Shri M.C.Daga :** Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of refugees in Rajasthan at present, the names of the camps where they are staying and since how long they have been staying there;

(b) the total expenditure incurred on them so far, as also the daily expenditure being incurred on them at present; and

(c) the time upto which they will stay in refugee camps, as also the scheme to repatriate them to Pakistan?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटास्वामी) : (क) ऐसा बताया गया है कि 10-12-1974 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में पाकिस्तानी राष्ट्रिक शरणार्थियों की संख्या 47258 थी (43782 शिविरों में और 3476 शिविरों के बाहर)। एक विवरण, जिसमें राजस्थान के वर्तमान शिविरों के नाम दिये गये हैं, सभा की मेज पर रख दिया गया है। शरणार्थी उस समय से ही राजस्थान में रह रहे हैं जबकि वे भारत-पाक संघर्ष, 1971 के परिणाम स्वरूप पश्चिमी पाकिस्तान से यहां आये थे।

(ख) जैसा कि राज्य सरकार ने बताया है कि सितम्बर, 1974 तक किया गया कुल खर्च 354.55 लाख रुपये है। किये जाने वाले खर्च की प्रतिदिन औसत लगभग 50,000 रुपये है।

(ग) पाकिस्तान सरकार पर निरन्तर दबाव डाला जा रहा है कि वह इन व्यक्तियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें क्योंकि ये उसके राष्ट्रिक हैं और अपने देश वापस लौटने के हकदार हैं जब कभी सुरक्षा एवं सम्मानपूर्वक ऐसा करना संभव हो, तब तक इन व्यक्तियों को शिविरों में अस्थाई राहत सहायता दी जा रही है।

विवरण

राजस्थान राज्य में शिविर

जिला बाड़मेर

1. बाड़मेर

2. महाबार

3. बिसाला

4. निम्बला

5. सजीतारा

6. राजदल

7. हरसानी

8. तुरवी

9. गिराब

10. बलेवा

11. गदरा रोड

12. चोहतन

13. कपाराउ

14. आलमसार

15. घनाउ

16. एडिश्नल घनाउ

17. मिथराउ

18. मिथेकाताला

19. बिजराद

20. केलनोर

21. बिनजसार

22. बखसर I

23. बखसर II

जिला जैसलमैर

24. सितोराय

जिला जैलौर

25 जीरन

Shri M.C. Daga: Sir, the hon. Minister has said that Government have, so far, spent about 4 crores on these refugees at the rate of Rs. 50,000 per day. These refugees came to India from Pakistan in 1971 and now it is 1974—three years have passed. May I know the reasons for not repatriating them to Pakistan?

Shri G. Venkataswami: We have made correspondance under Simla agreement and Pakistan has agreed to take them back. But nothing has happened so far in this regard.

Shri M.C. Daga: May I know the details of the correspondance and the reply given by the Pakistan in response thereto?

Shri G. Venkataswami: Pakistan Government have agreed to take them back.

Shri M.C. Daga: May I know whether they do not want to go back for the reason that they have some fear in their mind?

Shri G. Venkataswami: Pakistan have agreed to take them back but they do not intend to go.

Shri M.C. Daga: Government of India have spent Rs. 4 crores and are spending Rs. 50,000 per day. Will this amount be recoverd from Pakistan?

Shri G. Venkataswami: The amount will be much more by the time they go back. We will decide our course of action at that time.

Shri Jagannath Rao Joshi: The refugees from Sindh who have settled in the border districts of Rajasthan and are not prepared to go back, there was a delegation from tan to make these refugees agree for repatriation inspite of that they are not going back. May I know whether Government of India also propose to send a delegation to Pakistan to study the situation there?

Shri G. Venkataswami: Out of the Pakistani refugees certain people have gone back From West Pakistan there were 60,247 refugees in Rajasthan and 14,506 in Gujarat. Thus the total number of refugees has been 74,753. Out of this number, 16,282 refugees i.e. 10,718 from Rajasthan and 5,564 from Gujarat, have since gone back. Our officials had gone there and asked the refugees to go back but the matter, inspite of the efforts being made has not been resolved.

Shri Jagannath Rao Joshi: The hon. Minister has said that certain people have gone back. They found the circumstances here are worst so they have gone back at the risk of their lives.

Shri G. Venkataswami: The position here is not what the hon. Member has mentioned. They intend to stay here only because that the situation here is favourable to them (*interruptions*). All facilities of education etc. are available here.

Shri Ram Kumar: Now, we have reached a trade agreement with Pakistan. Discussions have also been made about these refugees. They are prepared to die, but not prepared to go back. Therefore we should make some agreement and than to rehabilitate them here. They are suffering. May I know the probable time by which the Government will take a decision in this regard. May I know whether the matter is receiving attention of the Government or not the hon. Minister should say something in this regard.

Mr Speaker: This is not a Question. यह कार्यवाही करने के लिये सुझाव मात्र है जो पूरक प्रश्न का विषय नहीं हो सकता ।

Shri B.S. Bhaura: I would like to know whether some of the refugees have applied for Indian Citizenship since they are not interested in repatriation, if so, the number of the refugees together with the percentage thereof and the decision taken by the Government in this regard?

Mr speaker: You should have asked the names of the refugees. मेरे विचार से यह प्रश्न उनके मंत्रालय से सम्बद्ध नहीं है।

Shri Panna Lal Barupal: May I know whether Government is aware of the fact that certain big people have grabbed the property of the muslims who have left Barmer, Jalus and Jasalmer and Government have been deprived of it. May I know whether Government will make arrangements to see that the property of those muslims is not grabbed by certain big people and the refugees who are not prepared for repatriation are rehabilitated there ?

Shri G. Venkatswami: There is no such information with us.

Shri Pannalal Barupal: I have written to the Defence Ministry in this regard.

अध्यक्ष महोदय : वह पुनर्वास मंत्री है, रक्षामंत्री नहीं।

डेंगू 'हेलमोरहैगो' बुखार

*446 **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेंगू हेलमोरहैगी बुखार अब एक प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या बन गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह रोग आम तौर पर देश के बहुत से भागों में फैला हुआ है;

(ग) यदि हां, तो देश में कितने लोग इसके शिकार हुये हैं तथा इससे कितने लोगों की मौत हुई है; और

(घ) इस रोग को नियंत्रण में रखने के लिये क्या कदम उठाय गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) पिछले दस वर्षों में देश के कुछ शहरी क्षेत्रों में डेंगू साविक ज्वर का प्रकोप यदा कदा होता रहा है। 1971 से 1974 के दौरान कितने व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हुये तथा कितने लोगों की मौत हुई इसका एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8735/74]**

(घ) यह ज्वर ईडोज मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। यह मच्छर घरों से निकलने वाले रुके हुये पानी में पैदा होता है। राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों से अनुरोध कर दिया गया है कि वे ऐसे स्थलों को जहां पर मच्छर पैदा हो जाते हैं, समाप्त करने के लिये कारगर उपाय बरतें। इन अधिकारियों द्वारा लार्वा निरोधी तथा प्रौढ़ मच्छर निरोधी उपाय भी बरते जा रहे हैं।

Shri Shrikishan Modi : I would like to draw the attention of the hon. Minister towards the statement in which it has been mentioned that in Rajasthan there has been

14 cases in 1971, 268 in 1972 and 334 in 1973. Thus in Rajasthan this disease is increasing every year. May I know the measures taken to control this desease in Rajasthan since 1971 and if no measures have been taken the reasons therefor? What are the measures being taken in Rajasthan to control this desease there.

Dr. Karan Singh: The responsibility to control the disease rests with the Rajasthan Health Ministry. Health Ministers of all the states have been specially informed in this regard and they have been instructed to take certain steps to control this disease. Unfortunately this is increasing in Rajasthan. Ministry of Health of Rajasthan Government should pay special attention towards this disease.

Shri Sirikishan Modi: Sir, Rajasthan Government is short of resources to control this disease in such a big state. May I know whether Central Government would provide assistance to them in this regard?

Dr. Karan Singh: We can not assist each state for all shorts of diseases. There are various diseases in the Country and unfortunately, this particular disease is on the increase in Rajasthan. This is a continuing process. There is no plan to provide any special assistance to Rajasthan in this regard. But, if they are vigilant and active then, I hope, they will succeed in eradicating this disease.

Shri Mahadeepak Singh Shakya: May I know whether Central Government has instructed the State Government to prepare a particular type of vaccine for the contral of this type of disease?

Dr. Karan Singh: Sir, I have just received the information that this year, National Institute of Communicable diseases has sent a team to advise the State Government in this regard.

This is a viral disease and no vaccine has so far been developed for its cure.

Shri Mahadeepak Singh Shakya: May I know whether there is a plan to develop such a Vaccine?

Dr. Karan Singh: There has been no vaccine so far for this disease. This can be controlled by preventing the collecting of water and elemination of mosquito-breeding places.

डा० हरिप्रसाद शर्मा : मंत्री महोदय ने राजस्थान सरकार को जागरूक रहने का परामर्श दिया है। परन्तु क्या उन्हें पता है कि दिल्ली में भी यह बीमारी बढ़ रही है जो उनके क्षेत्राधिकार में आता है?

डा० कर्ण सिंह : मैंने राजस्थान के बारे में बताया क्योंकि माननीय सदस्य ने वहां के बारे में ही पूछा था। हमने देश में प्रत्येक स्वास्थ्य निदेशालय को विशेष अनुदेश भेजे हैं।

श्रमिक शिक्षा योजना के बारे में पुनरीक्षा समिति

*447. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या श्रीम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमिक शिक्षा योजना का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से एक पुनरीक्षा समिति की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो इसके निदेश पद क्या हैं, और उसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) उक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति करते समय क्या कसौटी अपनाई गई है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) सरकार के संकल्प की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8736/74]

(ग) उद्देश्य यह था कि श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिये शिक्षा, ट्रेड यूनियन और उद्योग के क्षेत्रों के प्रख्यात और अनुभवी व्यक्तियों की एक छोटी सी ठोस समिति बनाई जाये।

श्री पी० जी० मावलंकर: सभा पटल पर रखे गये संकल्प की प्रति से पता चलता है कि समिति का एक विचारार्थ कार्य यह भी है कि :—

"सरकार द्वारा केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को प्रदान किये गये साधनों को ध्यान में रखते हुये बोर्ड के कार्य/उपलब्धियों का मूल्यांकन करना"

अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह समिति उपलब्ध कराई गई निधि की सीमाओं में ही कार्य करेगी अथवा यदि समिति और निधि की मांग करती है तो क्या सरकार आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगी? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या समिति ब्रिटेन की ओर, जहां कई पीढ़ियों से श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम बहुत संतोषजनक रूप से चलता है, विशेष ध्यान देगी?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : इस समिति को श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यों का मूल्यांकन करना है। वे जैसा उचित समझें। सिफारिश कर सकते हैं। जहां दूसरे देशों के अनुभव की बात है, जहाँ संभव होता है हम उसका उपयोग करते हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर: मेरे विचार से मेरा प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ है। समिति के विचारार्थ कार्यों में एक कार्य यह है कि :—

"सरकार द्वारा केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोड को प्रदान किये गये साधनों को ध्यान में रखते हुये बोर्ड के कार्यों/उपलब्धियों का मूल्यांकन करना"।

मान लीजिये, सरकार ने एक धनराशि निश्चित की और यदि समिति और धनराशि की मांग करती है तो क्या सरकार और धनराशि उपलब्ध करायगी?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने मंत्री महोदय द्वारा बताए गए संस्थानों सहित विभिन्न संस्थानों में श्रमिक शिक्षा योजना के पुनरीक्षण के लिए एक समिति नियुक्त की है। श्रमिक शिक्षा पुनरीक्षण समिति श्रमिक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न शिक्षा संस्थानों के कार्यों के बारे में देखेगी और किस प्रकार सुधार किए जाएं, ऐसी सिफारिशें करेगी, और यदि पुनरीक्षण समिति यह ठीक समझती है कि सुधार किए जाने हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए समिति बजट स्थिति भी देखेगी कि श्रमिक शिक्षा पुनरीक्षण समिति के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है और धनराशि के सम्बन्ध में जो वे आवश्यक समझें, सिफारिशें करने के लिए स्वतंत्र हैं।

माननीय सदस्य ने श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों में दूसरे देशों के अनुभवों विशेषकर ब्रिटेन के बारे में बात उठाई है। हमें आशा है कि श्रमिक शिक्षा पुनरीक्षण समिति इस विषय में सिफारिशें करते समय

यद्यपि हम इस सम्बन्ध में कोई सुझाव देना नहीं चाहते, केवल इंग्लैंड में ही श्रमिक शिक्षा के सम्बन्ध में जो कुछ उपलब्ध है उसको ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी जो कुछ उपलब्ध है, उसको भी ध्यान में रखेगी।

श्री पी० जी० मावलंकर : इस बात की सराहना करते हुए कि पुनरीक्षण समिति छोटी ही होनी चाहिए..... यह स्वीकार करते हुए कि पुनरीक्षण समिति आवश्यक रूप से एक-सी हो और उसमें सुयोग्य व्यक्ति हों, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस समिति में प्रसिद्ध राष्ट्रीय मजदूर संघों या संगठनों का कोई प्रतिनिधि शामिल क्यों नहीं है। मैं विशिष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अहमदाबाद में 'मजदूर महाजन' मजदूरों की शिक्षा के सम्बन्ध में कई दशकों से सुन्दर कार्य कर रहे हैं। मुझे इसका व्यक्तिगत अनुभव है। मैं जाकर मजदूरों से बात करता हूं। इस विशिष्ट समिति में 'मजदूर महाजन' के प्रतिनिधि को शामिल क्यों नहीं किया ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : समिति का गठन करते समय हमने मजदूर संगठनों को ध्यान में नहीं रखा। हमने सोचा कि हम श्रमिक संघ आंदोलन, मजदूर वर्ग आन्दोलन आदि के अग्रणी प्रतिनिधियों को शामिल कर सकते हैं। अतः नामों से स्पष्ट हो जाएगा कि प्रमुख प्रतिनिधि, जैसे श्री जी० रामानुजम, इंटक के महासचिव श्री एन्थनी पिल्लै तथा श्री के० जी० श्रीवास्तव पहले ही शामिल किए गए हैं। हमने इनका नाम इसलिए नहीं लिया कि ये अपने मजदूर संगठनों के महासचिव या पदाधिकारी हैं बल्कि हमने उनको इसलिए शामिल किया है क्योंकि वे मजदूर वर्ग आन्दोलन के प्रमुख प्रतिनिधि हैं।

जहां तक सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न का सम्बन्ध है, कोई भी श्रमिक संगठन अपना मजदूर शैक्षणिक संस्थान अपने विचार प्रकट करने अथवा पुनरीक्षण समिति को ज्ञापन देने के लिए स्वतन्त्र है और यह समिति श्रमिक संगठनों द्वारा किए गए सुझावों का स्वागत करेगी।

Shri Hukam Chand Kachwai: Mr. Speaker, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the constitution of Committee is not prejudicial? He has not invited representatives of all the trade unions. I would like to know the number and names of Members and whether any representative of B.M.S. has been included? If so, what is his name?

Shri Balgovind Verma: It is wrong to say that constitution of committee is prejudicial. Competent persons have been taken up. We have been given guidelines by the Review Committee and on that basis we included such persons who are having experience in union field or industrial field only such persons have been taken who are represented on Board of workers.

Shri Hukam Chand Kachwai: Why representative of B.M.S. has not been included?

Shri Balgovind Verma: Because that is not recognised.

Shri Hukam Chand Kachwai: I have to say nothing about Sh. Verma but the other hon. Minister is prejudiced. He has not included representative of B.M.S. delibrately and on the other hand representative of unrecognised unions have been included. Therefore, I allege that representatives of recognised unions have not been invited. Why it was so?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछना चाहते हैं या टिप्पणी करना चाहते हैं ?

Shri Madhu Dandvate: Instead of representatives of B.M.S. representative of H.M.S. has been included.

Shri Hukam Chand Kachwai: I want a reply to my question otherwise I will not allow the business of the House to go on.

Mr. Speaker: If every Member use to say that if reply does not suit him, he will not allow the proceedings to go on.

Shri Hukam Chand Kachwai: This matter has been lingering on since long.

Mr. Speaker: I have not called you. Even then you are standing on your legs.

माननीय सदस्य की बात को कार्यवाही सारांश में शामिल नहीं किया जाएगा ।

श्री हुक्म चन्द कछवाय* :

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही सारांश में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । जब तक सदस्य बैठते नहीं, कार्यवाही नहीं चलेगी । मैंने श्री साठे को बुलाया है । सदस्य उनकी बात में व्यवधान डाल रहे हैं । मैं मंत्री महोदय को इस प्रकार उत्तर देने के लिए विवश नहीं कर सकता । यदि अनको कोई शिकायत है तो वह अभ्यावेदन भेज सकते हैं पर कार्यवाही को इस प्रकार नहीं रोक सकते (व्यवधान) मैं मंत्री को विशिष्ट ढंग से उत्तर देने के लिए विवश नहीं कर सकता । सदस्य मंत्री महोदय या मुझे लिख सकते हैं ।

जापानी इस्पात की सप्लाई

*448. **श्री वसन्त साठे†** ।

श्री धामनकर .

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 नवम्बर, 1974 को समाचार-पत्रों में जापान द्वारा इस्पात की सप्लाई बन्द किए जाने के संबंध में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) यह कहना ठीक नहीं है कि जापान ने इस्पात की सप्लाई बन्द कर दी है जैसा कि 'फाइनेन्शल एक्सप्रेस' में छपा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वसंत साठे : क्या यह सच है कि जापान में मजदूरी की लागत में वृद्धि होने से इस्पात-उत्पादन की लागत बढ़ गई है और जापान से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि भारत में आधुनिकतम किस्म का इस्पात संयंत्र स्थापित किया जाए । क्या सरकार ऐसे प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

*Not recorded.

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : जापान द्वारा इस्पात की सप्लाई बन्द करने के बारे में विशिष्ट प्रश्न पूछा गया है। अब माननीय सदस्य नया प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या जापान ने भारत में आधुनिकतम किस्म का इस्पात संयंत्र स्थापित करने के बारे में प्रस्ताव भेजा है ? इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री वसंत साठे : लेकिन यदि ऐसा प्रस्ताव हो, तो क्या उस पर विचार किया जाएगा ?

श्री विश्वनारायण शास्त्री : जापान ने भारत को इस्पात की कितनी मात्रा सप्लाई की है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : हर वर्ष आयात के आंकड़े अलग-अलग होते हैं। आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्वानुमान लगाया जाता है; हम अग्रिम अनुमान लगाते हैं। सदस्य की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जापान और अन्य देशों को हमने 5,38,000 टन इस्पात के क्रयादेश दिए थे और इस्पात की सप्लाई इस वर्ष आनी है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : जापान से इस्पात के आयात से बचने के लिए देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ाना अति आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या विशाखापटनम तथा विजयनगरम में प्रस्तावित इस्पात मिलें शीघ्र ही चालू की जाएंगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश के लोगों की आशंका है ये इस्पात संयंत्र कभी स्थापित नहीं किए जाएंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं इस बात से सहमत हूं कि देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है और हमें देश की स्वदेशी मांग को पूरा करना चाहिए। सभी आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है और हमें लगभग 10 लाख टन इस्पात की कमी है और इसलिए हमें 5 से 10 लाख टन इस्पात का आयात करना होगा। हम पूरे प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक वर्तमान इस्पात संयंत्रों का सम्बन्ध है, हम इन मिलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। इस वर्ष के पहले महीनों में उत्पादन में सराहनीय वृद्धि हुई है। जहां तक अन्य दक्षिण की इस्पात मिलों का सम्बन्ध है, यह कहना ठीक नहीं है कि ये मिलें स्थापित नहीं की जाएंगी। मैं लोगों की आशंकाओं को दूर करना चाहता हूं। तथ्य कुछ और ही हैं। मैंने हाल में सलाहकारों को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है और मुझे विश्वास है कि इस मास के अंत से पहले अथवा अगले माह के शुरू में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अतः मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वचन पूरे किए जाएंगे और इन इस्पात मिलों को स्थापित करने तथा भ्रम को दूर करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

श्री रणबहादुर सिंह : क्या यह सच है कि जापान ने भारत द्वारा लौह अयस्क की सप्लाई के मूल्य के बारे में भारत-जापान के बीच मतभेद होने के कारण जापान ने इस्पात की सप्लाई बन्द कर दी है ? क्या भारत ने कहा है कि भारतीय लौह अयस्क का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के बराबर होना चाहिए जबकि जापान द्वारा दिया जा रहा मूल्य बहुत कम है ? क्या इस मतभेद के कारण सप्लाई बंद की गई है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : सम्भवतः माननीय सदस्य ने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने स्पष्ट कहा था कि जापान ने भारत को इस्पात की सप्लाई बंद नहीं की है। तथ्य कुछ और ही हैं। इस वर्ष इस्पात की मांग गत वर्षों जितनी नहीं है। अतः हमने पहल की। हमने जापान को क्रयादेश दिए हैं और हम

चाहते थे कि 67,000 टन इस्पात जो भारत आना था, स्थगित कर दिया जाए। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि कोई मतभेद है। जापान के निर्यातकों के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं। उन्होंने सप्लाई के लिए हमें विवश नहीं किया और आंशिक क्रयादेश रद्द कर दिया; हालांकि संविदा के मुताबिक वह कुछ कार्यवाही कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन जहां तक लौह अयस्क के मूल्य का प्रश्न है, यह एक अलग मामला है। हम लौह अयस्क के मूल्यों के बारे में आयातकों से बातचीत करते रहे हैं और इस प्रश्न पर जापान और भारत के बीच तनावपूर्ण सम्बन्ध नहीं हैं।

श्री रणबहादुर सिंह : मैंने पूछा था कि क्या जापान द्वारा लौह अयस्क की दी जा रही कीमत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से बहुत कम है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : यह प्रश्न वाणिज्य मंत्रालय से सम्बन्धित है। अतः उसी मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए।

श्री डी० एन० तिवारी : स्वदेशी इस्पात की तुलना में आयातित जापानी इस्पात की कीमत कितनी है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : वस्तुतः मूल्यों की तुलना का प्रश्न ही नहीं है। हम जापान अथवा किसी अन्य देश से इस्पात की वही किस्म खरीदते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है और जिसे हम नहीं बनाते या जिसकी सप्लाई कम है। इस मामले में हम अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य देते हैं।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय जापान से इस्पात के भावी आयात की रूपरेखा क्या है ? क्या आंकड़े तैयार किए गए हैं ? आगामी वर्ष में कितना आयात किया जाएगा ?

श्री चन्द्रजीत यादव : वर्ष 1974-75 के दौरान हमने 4,60,000 टन के आयात के क्रयादेश दिए। आगामी वर्ष के लिए आंकड़े अभी तैयार किए जाने हैं। हम पूर्वानुमान लगा कर आदेश क्यों देते हैं।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या यह सच है कि रूरकेला में गल्वनाइज्ड शीट्स तैयार करने वाला कारखाना इस्पात के अभाव में बकार पड़ा है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : इसके लिए नया नोटिस दिया जाए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केरल में सेना के लिए भर्ती केन्द्र

*434. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में सेना के लिए एक भर्ती केन्द्र स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी तथ्य क्या हैं ।

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) केरल राज्य में एरनाकुलम और कालिकट में सेना के दो भर्ती दफ्तर पहले ही कार्य कर रहे हैं जो नौसेना में भर्ती का कार्य भी करते हैं; उन्हें राज्य से सेना और नौसेना में भर्ती करने के लिए इस समय पर्याप्त समझा जाता है।

वायु सेना में भर्ती करने के लिए राज्य में एक नया भर्ती दफ्तर शीघ्र ही स्थापित किया जा रहा है।

छोटे इस्पात संयंत्र

*436. **श्री एम० एम० पुरती :**
श्री गजाधर मांझी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को चालू वर्ष में कितने छोटे इस्पात संयंत्रों की मंजूरी दी है; और

(घ) कितनी धनराशि मंजूर की गई और ये छोटे संयंत्र कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों में मुख्यतः साधारण इस्पात के पिण्डों के उत्पादन के लिए विद्युत् चाप भट्टी इकाइयों की स्थापना के लिए 118 पार्टियों को आशय-पत्र/सी० ओ० बी० औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

राज्य/संघशासित क्षेत्र	इकाइयों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	10
2. बिहार	4
3. दिल्ली	1
4. गुजरात	5
5. हरियाणा	8
6. हिमाचल प्रदेश	1
7. कर्नाटक	6
8. मध्य प्रदेश	12
9. महाराष्ट्र	20
10. उड़ीसा	2
11. पंजाब	9
12. राजस्थान	13
13. उत्तर प्रदेश	13
14. पश्चिमी बंगाल	14
जोड़	118

इन इकाइयों में ऐसी इकाइयां शामिल नहीं हैं जिन्हें विशेष रूप से मिश्रित तथा विशेष इस्पात तथा उसकी ढली वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाइसेंस दिए गए हैं।

(ख) चूंकि केन्द्रीय सहायता की कोई योजना नहीं है इसलिए सरकार ने इन इकाइयों को धन की कोई मजूरी नहीं दी है। ये योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और इन इकाइयों के चालू होने की तारीख के बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में बिक्रीयोग्य इस्पात का उत्पादन

*438. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में बिजली संकट के कारण राउरकेला इस्पात संयंत्र में 1974 के अक्तूबर महीने में बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप उत्पादन कितना कम हुआ है; और

(ग) उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) जी, हां। अक्तूबर, 1974 में बिजली की कमी के कारण राउरकेला इस्पात कारखाने के विक्रेय इस्पात के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा था।

(ख) अनुमान है कि इस कारण से विक्रेय इस्पात के उत्पादन में 22,318 टन की हानि हुई है।

(ग) राउरकेला के बिजली पैदा करने के रक्षित संयत्र से बिजली का इष्टतम उत्पादन करने के लिए उपाय किए गए हैं। राउरकेला इस्पात कारखाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर बिजली प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग और उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड तथा पूर्वी क्षेत्र के अन्य बिजली उत्पादकों के साथ सतत सम्पर्क रखा जा रहा है। बिहार राज्य बिजली बोर्ड के माध्यम से दामोदर घाटी निगम से कारखाने को बिजली की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए भी व्यवस्था की गई है।

दक्षिण एशिया को परमाणु-मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए पाकिस्तान का प्रस्ताव

*439. **श्री मधु लिमये :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने दक्षिण एशिया को परमाणु-मुक्त क्षेत्र रखने के लिए कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या इस परमाणुयुक्त क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए चीन और जापान को दक्षिण एशिया का भाग माना जाता है;

(ग) पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का किन दशों ने समर्थन किया है; और

(घ) इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत राव चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान ने दक्षिण एशिया में शामिल किए जाने वाले क्षेत्र की सीमाओं की औपचारिक तौर पर सूचना नहीं दी है लेकिन अनौपचारिक तौर पर बताया गया है कि चीन और जापान शामिल नहीं किए जाने हैं।

(ग) पाकिस्तान के अलावा किसी और देश ने इस प्रस्ताव का सह-समर्थन नहीं किया है।

(घ) भारत सरकार का ख्याल है कि पाकिस्तान के प्रस्ताव के पीछे निरस्त्रीकरण के कार्य को बढ़ाने का कोई समुचित विचार नहीं है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य केवल इतना है कि भारत के परमाणु संबंधी शांतिपूर्ण कार्यकलापों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय भेदभावपरक प्रतिबंधों की स्वीकृति के लिए भारत पर दबाव डाला जाए। इसलिए सरकार प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकती। वह उन सामान्य रूप से मान्य सिद्धान्तों और प्रक्रियाओं के अनुरूप भी नहीं है जिनके पालन संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष किसी प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले उसका समर्थन करने के लिए किया जाता है, अर्थात् संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखने से पहले सम्बद्ध राज्यों में सहमति होनी चाहिए और शामिल किए जाने वाले क्षेत्र की भौगोलिक सीमा कितनी हो, इस मामले पर विचार करने के लिए उनमें सलाह-मशविरा होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने इस विषय पर पाकिस्तान के प्रस्ताव के मसौदे के विरुद्ध मत दिया है।

केरल में हैज़ा निवारक टीका लगाने से हुई मृत्यु और व्यक्तियों का बीमार पड़ना

*440. **श्री एम० के० कृष्णन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि केरल राज्य के पालघाट ज़िले के कावलपाडी क्षेत्र के एक अस्पताल में दो व्यक्तियों की हैज़ा निरोधक टीका लगवाने के बाद मृत्यु हो गई तथा अन्य 42 व्यक्तियों का अस्पताल में उपचार किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) राज्य सरकार के अधिकारियों से पता चला है कि कावलपाडी क्षेत्र के तीन व्यक्तियों की हैज़ा-निरोधी टीका लगवाने के बाद मृत्यु हो गई और 50 व्यक्तियों को निरीक्षण के लिए ज़िला अस्पताल में भरती किया गया था।

(ख) और (ग) केरल के स्वास्थ्य सेवा निदेशक और ज़िला स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस मामले की विस्तारपूर्वक जांच-पड़ताल की थी। इस जांच-पड़ताल से पता चला है कि टीका लगाने वाली सिरिंजों और सुइयों को विसंक्रमित करने में कुछ कमी रह गई थी। इस सम्बन्ध में आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही की गई बतलाई गई है।

मच्छरों द्वारा फिलेरिया रोग का फैलाया जाना

*441. **श्री झारखंडे राव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डाक्टरों ने उन मच्छरों का पता लगा लिया है जो फिलेरिया और छाती के रोग फैलाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) फाइलेरिया नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम को जिसे 1955 में चलाया गया था, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखा जा रहा है। इस कार्यक्रम का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता और जहां तक सम्भव हो आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

गुजरात में श्रम-न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित न किया जाना

*442. **श्री अरविंद एम० पटेल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ ऐसे प्रबन्ध मण्डल भी हैं जिन्होंने श्रम न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन प्रबन्ध मंडलों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम-मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी।

भगवती समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशें

*443. **श्री वी० मायावन :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार बेरोज़गारी के बारे में भगवती समिति की एक भी सिफारिश अभी तक क्रियान्वित नहीं कर सकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार देश में बढ़ती हुई बेरोज़गारी को देखते हुए इन सिफारिशों को तत्काल क्रियान्वित करने के बारे में विचार कर रही है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) अन्तर्मन्त्रालय कार्यकारी दल जिसमें योजना आयोग, वित्त, कृषि, निर्माण और आवास, औद्योगिक विकास, श्रम, परिवहन मंत्रालयों तथा केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं और जिसकी स्थापना इन सिफारिशों की जांच के लिए की गई थी, की टिप्पणियों सहित समिति की सिफारिशें आगे कार्यवाही करने के लिए संबंधित मंत्रालयों को भेज दी गई हैं। कई मामलों में, सिफारिशों को कार्यान्वयन करने के लिए कार्यवाहियां स्रोतों की सुलभता के अनुरूप आरम्भ की जा रही हैं। शेष मामलों में विषय विचाराधीन है।

कपड़ा मिलों के श्रमिकों का 'बाइसीनोसिस' रोग से पीड़ित होना

*445. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मिलों के 12 प्रतिशत श्रमिक 'बाईसीनोसिस' रोग से पीड़ित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस रोग के निवारणार्थ क्या उपाय सुझाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) देश में कपड़ा मिलों में बाईसीनोसिस रोग से पीड़ित होने वाले श्रमिकों के बारे में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। फिर भी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बीमा हुए प्रति हज़ार व्यक्तियों में से

1972-73 में 0.3 व्यक्तियों को सिलिकोसिस और आकुपेशनल पल्मोनरी फाइब्रोसिस जिसमें बाईसीनोसिस रोग भी शामिल हैं, हुआ था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने हाल ही में स्वतन्त्र भारत मिल्स, दिल्ली के कर्मचारियों में कपड़ा बनाने वाले श्रमिकों के व्यावसायिक खतरों पर एक अध्ययन आरम्भ किया है। यह अध्ययन लगभग 6000 कपड़ा बनाने वाले श्रमिकों पर किया गया और इसमें बाईसीनोसिस जैसे रोग भी शामिल हैं। इस अध्ययन के परिणाम अभी तक नहीं मिल पाए हैं।

आजकल की कार्डिंग मशीनों से, जो धूल प्रूफ होती हैं, इस रोग के होने की सम्भावना कम है। कपड़ा बनाने वाले श्रमिकों में इस रोग की रोकथाम करने के लिए नियमित रूप से डाक्टरी जांच जैसे संवेदनशीलता का 'पैच' टेस्ट तथा पूर्व रोजगार परीक्षा करना लाभदायक होंगे।

Military Preparations in Pakistan Occupied Indian Territory

*449. **Shri R.V. Bade:**

Shri Jagannath Rao Joshi: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether some parts of Indian territory, which are still in the possession of Pakistan as a result of Indo-Pak War of 1971, are being utilised by Pakistan for military preparations; and

(b) if so, the facts there of ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) and (b) In terms of the Simla Agreement, troops withdrawals along the international border were effected from territories occupied during the 1971 conflict and in Jammu & Kashmir a Line of Control was delineated by agreement between the two sides. However, Pakistan continues to be in illegal occupation of a part of the State of Jammu & Kashmir since 1947. No unusual activities by Pakistani troops have come to notice recently in these areas.

पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को मुआवजा दिए जाने पर तथा उनके पुनर्वास पर व्यय

*450. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पंजाब के शरणार्थियों को कितना मुआवजा दिया गया तथा उनके पुनर्वास पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को कितना मुआवजा दिया गया तथा उनके पुनर्वास पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) यह अनुमान है कि माननीय सदस्य का संदर्भ भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों से है।

भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास पर 31 मार्च 1973 तक भारत सरकार द्वारा 208.47 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके विपरीत, ऋण और आवास के मद्दे 100.27 करोड़ रुपए की वसूली की गई है जो आंशिक रूप में देय मुआवजे के विरुद्ध समायोजन और आंशिक रूप से नकदी के रूप में की गई है। 31 मार्च, 1973 तक भूतपूर्व पश्चिमी

पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों को दिए गए मुआवजे की कुल राशि 191.36 करोड़ रुपए थी—पूल में से दी गई थी—जिसमें शहरी निष्क्रान्त सम्पत्ति तथा मुआवजा पूल में अंशदान की गई सरकार द्वारा निर्मित सम्पत्ति शामिल हैं। मुआवजे की उपर्युक्त राशि में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि और सम्पत्ति के रूप में दिया गया मुआवजा शामिल नहीं है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अर्जित की गई निष्क्रान्त भूमि और सम्पत्ति ही शामिल है जिसकी धन के रूप में गणना नहीं की गई थी और जिसका निर्धारित पैमाने के अनुसार, भूमि के बदले भूमि के आधार पर मुआवजा देने के लिए प्रयोग किया गया था।

(ख) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास पर 31 मार्च, 1973 तक 389.63 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके विपरीत, ऋण के मद्दे 2.33 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। उपरिलिखित 384.63 करोड़ रुपए में ऋण के 22.12 करोड़ रुपए शामिल हैं जो माफ कर दिए गए हैं और जिनके सम्बन्ध में फिर से कोई देय नहीं है।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को मुआवजा नहीं दिया गया है क्योंकि अप्रल, 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते के अधीन ये व्यक्ति उस देश में उनके द्वारा छोड़ी गई सम्पत्तियों के मालिकाना अधिकार रखते हैं और वे अपनी सम्पत्तियों को बेच सकते हैं, उसका विनिमय या निपटान कर सकते हैं।

उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि

*451. **श्री सरजू पांडे :**
डा० रानेन सेन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक श्रमिकों, खान श्रमिकों, पटसन श्रमिकों, कपड़ा उद्योग श्रमिकों, बागान श्रमिकों तथा कृषि श्रमिकों की मजूरी में जीवन-निर्वाह सूचकांक में वृद्धि की अपेक्षा कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) परम्परागत उद्योगों में एक ही प्रकार के कार्य के लिए एक महिला श्रमिक तथा एक पुरुष श्रमिक की मजूरी में कितना अन्तर है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

संगठित क्षेत्र में रोजगार तथा रजिस्टर्ड बेरोजगार व्यक्ति

*452. **श्रीमती मार्गवी तनकप्पन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठित क्षेत्र में कितनी महिलायें रोजगार पर हैं;

(ख) संगठित क्षेत्रों में कितने पुरुष हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में रोजगार संबंधी चालू रजिस्टरों में कितने पुरुषों तथा महिलाओं के नाम रोजगार हेतु दर्ज हैं; और

(घ) उनमें से कितने पुरुष तथा महिलायें 20 से 30 तथा 31 से 37 वर्ष आयु के हैं?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1973 के अंत में अर्थव्यवस्था* के संगठित क्षेत्र में नियोजित महिलाओं और पुरुषों की संख्या क्रमशः 21.09 लाख एवं 170.08 लाख थी।

(ग) और (घ) : पिछले तीन वर्षों में दिसम्बर के अंत में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज महिलाओं और पुरुषों की संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	महिलाएं	पुरुष
	(आकड़े लाखों में हैं)	
1971	5.83	45.17
1972	7.63	61.33
1973	9.18	72.99

वयोवर्ग अनुसार काम चाहने वालों का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों के लिये उपलब्ध हैं :

14 वर्ष से कम, 15 से 19, 20-24, 25-34, 35-44 45-54 और 55 या इससे अधिक। निकटतम सम्बद्ध वयोवर्गों में काम चाहने वाली महिलाओं और पुरुषों की संख्या नीचे दी गई है।

दिसंबर के अंत में काम चाहने वालों की संख्या

वयोवर्ग	1971		1972		1973	
	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष
	(आंकड़े लाखों में हैं)					
20-24	2.97	23.07	3.94	31.66	4.70	35.34
25-34	1.22	9.7	1.72	12.81	2.15	17.06
35-44	0.23	1.8	0.31	3.38	0.33	3.63

*सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान और निजी क्षेत्र में 10 या इससे अधिक कामगर नियोजित करने वाले गैर-कृषि प्रतिष्ठान सम्मिलित हैं।

जयपुर, उड़ीसा में एल्यूमीनियम कारखाना

*453. **श्री के० प्रधानी** : क्या **इस्पात तथा खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा स्थित जयपुर में एल्यूमीनियम कारखाने के लिये कोई लाइसेंस जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह लाइसेंस किसे दिया गया है; और

(ग) इस कारखाने को शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स एल्यूनीमीनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता।

(ग) कम्पनी ने लाइसेंस पर अमल के लिये "प्रभावशाली" कदम नहीं उठाए हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी फेडरेशन की विचाराधीन मांगें

*345. **श्री वयालार रवि:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी फैडरेशन की वे कौन-कौन सी प्रमुख मांगे हैं जो अभी भी सरकार के अंतिम निर्णय तथा स्वीकृति के लिये विचाराधीन हैं; और

(ख) उस संगठन के श्रमिकों की इन मांगों को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी संघ की जो मुख्य मांगे उसके पत्र दिनांक 31 अक्तूबर, 1974 में समाविष्ट हैं, उनमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 'ए' श्रेणी के बैंकों में प्रचलित वेतनमानों को शुरू करना, महंगाई भत्ते के भुगतान संबंधी फार्मूले में संशोधन करना, बोनस का भुगतान और अतिरिक्त कर्मचारियों की मंजूरी के मापदंड से संशोधन करना शामिल हैं।

लेडी हार्डिग अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों के लिए फ्लैटों का निर्माण

4185. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेडी हार्डिग अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों के लिये अस्पताल के अहाते के निकट फ्लैटों के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) वर्ष 1974-75 के दौरान कितने फ्लैटों का निर्माण किया जायेगा।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज और अस्पताल, नई दिल्ली के विस्तार के लिये जो भूमि रखी गयी थी उस पर इस समय डाक एवं तार विभाग और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का कब्जा है। इस भूमि पर लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज और अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकान तभी बनाये जायेंगे जब डाक एवं तार तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इसे खाली कर देंगे। इसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

राज्य परिवहन सेवाओं पर नए मार्गों और गाड़ियों के लिए प्रतिबन्ध

4185. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य परिवहन सेवाओं के अन्तर्गत नये मार्गों और वाहनों को लाने पर सरकार ने रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इसका क्या कारण हैं;

(ग) क्या केरल राज्य सरकार ने इस निर्देश पर पुर्नविचार करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) हाई स्पीड डीजल तेल की खपत में मितव्ययता करने के लिये नये मार्गों पर बस परमिट देने, मौजूदा मार्गों पर अतिरिक्त बसों तथा नये माल वाहनों, पर 1974-75 वर्ष के बाकी बचे भाग के लिये रोक लगाने सहित राज्य सरकारों को अनेक उपाय सुझाये गये।

(ग) तथा (घ) प्रस्तावित प्रतिबन्धों के विरुद्ध कुछ राज्य सरकारों तथा अनेक परिवहन संघों इत्यादि से अभ्यावेदन प्राप्त हुए। तदनुसार सरकार द्वारा स्थिति पर पुनः विचार किया गया और उक्त अनुदेशों में संशोधन किया जा रहा है।

दिल्ली परिवहन निगम के मार्ग सं० 320 पर चलने वाली बसों में अत्यधिक भीड़भाड़ होना।

4187. **श्री भोला मांझी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली परिवहन निगम के मार्ग सं० 320 पर सचिवालय से शहादरा के बीच चलने वाली बसों में अत्यधिक भीड़भाड़ रहती है;

(ख) क्या सचिवालय से सुबह 7 बजकर 10 मिनट पर चलने वाली पहली बस को अभी हाल में रद्द कर दिया गया है और पहली बस अब 7 बजकर 45 मिनट पर चलती है;

(ग) क्या समय के इस परिवर्तन से शाहदरा जाने वाले अध्यापकों को काफी असुविधा हो गई है और वे ठीक समय पर अपने स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं;

(घ) क्या रात की ड्यूटी देकर आने वाले टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारियों को भी इससे असुविधा हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या दिल्ली परिवहन निगम का विचार पहली बस फिर से 7 बजकर 10 मिनट पर चलाने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) व्यस्ततम समय में इन मार्गों पर चल रही बसों में कुछ भीड़भाड़ हो जाती है।

(ख), (ग) तथा (ङ) यातायात की अनुपलब्धता के कारण 320 के मार्ग पर 7.10 बजे लगने वाले फेरे को रद्द कर दिया गया है। परन्तु अध्यापकों को प्रातः काल के फेरे की मांग को पूरा करने के लिये एक फेरा प्रातः 6.45 पर लगाने की व्यवस्था की गई है।

(घ) टेलीफोन एक्सचेंज के कार्यालय या कर्मचारियों से कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

Languages for Imparting Training to Indian Army

4188. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) the languages used in imparting training to Indian army and whether some publications have been brought out for this purpose; and

(b) if so, the particulars thereof?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) and (b) Training is imparted in Indian Army both in Hindi and English. A total of 502 pamphlets/publications have been brought out for the purpose. Out of these, 386 publications are in English and 116 are in Hindi.

मध्य प्रदेश में 'पैलैट' बनाने का संयंत्र

4189. **श्री गंगाचरण दीक्षित :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान बस्तर जिला (मध्य प्रदेश) में "पैलेट" बनाने के संयंत्र को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : बेलाडिला लोह खनिज के चूरे से पैलेट बनाने का एक कारखाना लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है परन्तु इस योजना की पंचवीं योजना के मसौदे में शामिल नहीं किया गया है।

केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता को औषधियों के परीक्षण हेतु प्राप्त नमूने

4190. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता को वर्ष 1973 के दौरान परीक्षण हेतु औषधियों के कितने नमूने प्राप्त हुए हैं;

(ख) औषधियों के कितने नमूने घटिया घोषित किये गये थे; और

(ग) घटिया औषधियां बनाने के लिये औषध निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिजली संकट के कारण उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को जबरन छुट्टी दिया जाना

4191. **श्री नूरुल हुडा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंभीर विद्युत् संकट द्वारा उद्योगों के प्रभावित होने की वजह से उत्तर प्रदेश में हजारों श्रमिकों को जबरन छुट्टी दे दी गई है;

(ख) क्या जिन श्रमिकों और कर्मचारियों को जबरन छुट्टी दी गई है उन्हें कानूनों के अधीन स्वीकृत जबरन छुट्टी मुआवजा मालिकों द्वारा नहीं दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो श्रमिक-नियमों और विनियमों का पालन करने हेतु मालिकों को बाध्य करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन इस मामले में समुचित सरकार है,

उत्तर प्रदेश में जनवरी से अगस्त 31, 1974 के दौरान विभिन्न अवधियों में बिजली की कटौती के कारण जबरी छुट्टी पर भेजे गये श्रमिकों की प्रतिवेदन संख्या 94,787 थी। जबकि सितम्बर और अक्तूबर, 1974 के दौरान सम्पूर्ण राज्य में जबरी छुट्टी पर भेजे गये श्रमिकों की संख्या के संबंध में राज्य सरकार के पास सूचना अभी उपलब्ध नहीं है, कानपुर में सितम्बर और अक्तूबर, 1974 के दौरान विभिन्न अवधियों में जबरी छुट्टी पर भेजे गये श्रमिकों की संख्या, जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित की है, क्रमशः 11,134 और 11,599 है।

(ख) और (ग) शायद, संदर्भ उत्तरी भारत के नियोजकों की एसोसिएशन के प्रतिवेदित, निदेश की ओर है, जिसके बाद यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में कुछ कपड़ा मिलों के प्राधिकारियों ने यथावत उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार जबरी छुटी मुआवजा देने का निर्णय किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था करता है कि प्रथम 45 दिनों की समाप्ति के बाद जबरी छुट्टी संबंधी मुआवजा देय होगा यदि जबरी छुट्टी में पहले 45 दिनों के बाद एक सप्ताह या उससे अधिक दिनों की लगातार अवधियां सम्मिलित हैं। श्रम मंत्रालय के पास कानून के अधीन देय मुआवजे के भुगतान न किये जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं है। इस संबंध में विशिष्ट शिकायतें, यदि कोई हों, तो, राज्य औद्योगिक संबंध तंत्र के ध्यान में लाई जा सकती हैं।

दिल्ली परिवहन निगम के महाप्रबन्धक को त्रिनगर कल्याण एसोसिएशन से ज्ञापन

4192. **श्री राम देव सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 सितम्बर, 1974 को त्रीनगर कल्याण एसोसिएशन (मान्यता प्राप्त) का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली परिवहन निगम के महाप्रबन्धक से मिला था और उन्हें एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो विज्ञापन की विषयवस्तु क्या है; और

(ग) क्या महाप्रबन्धक ने ज्ञापन की मांग के अनुसार एक सप्ताह में बस सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया और यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) त्रीनगर बस स्टैण्ड बूथ पर टेलीफोन की व्यवस्था।

(2) 9 बजे तथा 9.30 बजे प्रातः त्रीनगर से पटेल नगर तथा शंकर रोड होकर केन्द्रीय सचिवालय तक और विलोमतः सायं 5.15 बजे तथा 5.45 बजे मार्ग संख्या 59 पर दो विशेष फेरों का परिचालन।

(3) मार्ग संख्या 301 पर सेवाओं के अन्तर में वृद्धि करना।

(4) मार्ग संख्या 50-सी पर सेवाओं के अनियमित परिचालन का सुधार।

(ग) इस अधिकारी द्वारा कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया। परन्तु अतिरिक्त बसों के उपलब्ध होने पर नगर के लिये समस्त आश्वासनों को दृष्टि में रखते हुए दिल्ली परिवहन निगम का त्रीनगर को और सेवाओं में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

टेलीफोन अधिकरण इस समय कोई नई टेलीफोन लाइन नहीं दे रहा है।

खेतड़ी तांबा परियोजना में 'ऐनोड' तांबे का उत्पादन

4193. **श्री एस० एन० सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा परियोजना का प्रद्रावक संयंत्र तैयार है और यदि हां, तो संयंत्र से 'ऐनोड' तांबे के उत्पादन के लिये कौनसी तिथि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या मैसर्स आटोकम्पू द्वारा प्रतिनियुक्ति फिनलैण्ड के दो तकनीकी जिन्होंने खेतड़ी तांबा परियोजना में दमक भट्टी बनाई है वापस भेज दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रद्रावक संयंत्र के चालू होने पर इसके क्या संभावित प्रभाव होंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) खेतड़ी तांबा परियोजना का प्रद्रावक संयंत्र नवम्बर, 1974 में चालू हुआ था और एनोड तांबें का उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है।

(ख) और (ग) खेतड़ी स्थित प्रद्रावक को चालू करने के लिये फिनलैण्ड के मसर्स आटोकम्पू ने पांच इंजीनियर और तकनीशियन भेजे थे । उनमें से एक इंजीनियर का काम और चाल-चलन संतोषजनक नहीं पाया गया और मैसर्स आटोकम्पू से उसे बदलने के लिये कहा गया था। तदनुसार, मैसर्स आटोकम्पू ने 26 अक्टूबर को दूसरा इंजीनियर भेजा तथा सम्बद्ध इंजीनियर को 6 नवम्बर, 1974 को परियोजना से मुक्त कर दिया गया। चूंकि यह एक इंजीनियर की जगह दूसरे को बदलने का मामला था, इस लिये संयंत्र को चालू करने में इसके प्रभाव का सवाल नहीं उठता ।

बंगाल की खाड़ी में तेल की खोज के बारे में बंगलादेश से विरोध

4194. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलादेश से बंगाल की खाड़ी के उन तटदूर क्षेत्रों के बारे में कोई विरोध किया है जो ढाका ने तेल की खोज के लिये पश्चिम की एक फर्म को दे दिये थे, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में बंगलादेश की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) और (ख) : जी नहीं। दोनों सरकारें पहले ही इस पर सहमत हो गई हैं कि दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा और खोज लगाने का प्रश्न आपसी बातचीत से तय किये जाने चाहियें। दोनों देशों के बीच तकनीकी स्तर पर बातचीत शुरू हो गई है।

राज्यों में नियुक्त केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिए मेडिकल सीटें

4195. **श्री एस० डी० सोनसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान में नियुक्त आंध्र प्रदेश मूलक केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों के पुत्र/पुत्रियों को मेडिकल सीटों के लिये न तो अंडमान कोटे में और न ही आंध्र प्रदेश कोटे में कोई प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि किसी भी स्थान पर ये अधिकारी निरन्तर चार वर्ष तक नहीं ठहरे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार नियमों में संशोधन करने पर विचार करेगी ताकि स्थानान्तरिक होने वाले केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों के पुत्र/पुत्रियों को उनकी नियुक्ति के वर्तमान स्थान अथवा उनके मूल राज्य अथवा केन्द्रीय सरकारी विश्वविद्यालयों में मेडिकल सीटें प्राप्त करने के लिये पर्याप्त अवसर मिल सकें ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) अण्डमान में नियुक्त केन्द्रीय/राज्य सरकारी कमचारियों जिनमें आन्ध्र प्रदेश से आये कर्मचारी भी शामिल हैं, के लड़कों/लड़कियों के मामलों पर अण्डमान और निकोबार प्रशासन भारत सरकार की आरक्षित मेडिकल सीटों के विरुद्ध सीटें देने के लिये विचार करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

छात्रों द्वारा दिल्ली परिवहन निगम की बसों का अपहरण

4196. **श्री विश्वनाथ झुंझुंनवाला** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर्याप्त बस सेवा के विरोधस्वरूप कालिज के छात्रों द्वारा डी० टी० सी० की बसों का अपहरण निर्बाधरूप से जारी है;

(ख) यदि हां, तो गत 1-1/2 वर्ष में दिल्ली परिवहन निगम की कितनी बसों का अपहरण किया गया और इससे यदि कोई हानि हुई तो कितनी हानि हुई;

(ग) छात्रों की मांगों को पूरा करने के लिये वर्तमान बस सुविधाओं में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं; और

(घ) क्या अस्थायी कठिनाइयां दूर करने के लिये कोई दिल्ली परिवहन निगम छात्र समिति बनाई गई है और यदि हां, तो कब और यह कैसा कार्य कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां।

(ख) जुलाई, 1973 से नवम्बर, 1974 तक की अवधि में छात्रों ने 198 बसों का अपहरण किया। बसों के अपहरण, क्षति पहुंचने आदि से दिल्ली परिवहन निगम को हुए घाटे को आंकने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ग) छात्रों के लिये बहुत विशेष बस फेरे लगाने के अतिरिक्त कुछ नई नियमित सेवाएं भी चालू की गई हैं। ये हैं—सुगम सेवा 210, केन्द्रीय सचिवालय से मोरिस नगर होते हुए शक्ति नगर तक, सुगम सेवा 430 गोबिन्दपुरी से कालकाजी कालेज के समीप से केन्द्रीय सचिवालय तक तथा एक तीव्र सुगम सेवा 81-मोती नगर से मोरिस नगर तक, जो पश्चिम दिल्ली को कालेज कैम्पस से जोड़ती है। 611 जैसी कई पोषक सेवाएं, जो धौला कुंआ से सुजान सिंह पार्क तक चलती हैं और धौला कुंआ कालेज को मुद्रिका सेवा से जोड़ती हैं, भी शुरू की गई हैं।

(घ) परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था के लिये छात्रों की ताजा मांगों पर एक शिखर समिति विचार करती है जिसमें छात्र कल्याण दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के प्रतिनिधि तथा दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारी सदस्य हैं।

आवश्यक एवं तदर्थ समस्याओं, जब और जैसे पैदा हों, पर विचार करने के लिये छात्र कल्याण, दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा बैठकें भी बुलाई जाती हैं। इसके अलावा दिल्ली परिवहन निगम के कई अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले कालेजों के अधिकारियों के साथ सम्पर्क रखने के लिये नियुक्त किये गये हैं, ताकि परिवहन सुविधाओं के मामले में छात्रों की शिकायतों, मांगों तथा आवेदनों पर तुरन्त ध्यान दिया जा सके।

Manufacture of Adulterated Ghee

4197. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to adulteration in Vanaspati ghee and the number of manufacturers whose premises were raided from March, 1974 to October, 1974;

(b) whether Rajpura Vanaspati ghee factory, Punjab State was also raided; and

(c) if so, the action taken in this regard?

The Deputy Ministry in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K.M Ishaque): (a) to (c). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा बंगलादेश को रेल डिब्बों की सप्लाई

4198. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को 4 करोड़ रुपये लागत पर 50 रेल डिब्बों की सप्लाई मार्च, 1975 से पहले करने के लिये आर्डर दिया है ;

(ख) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने रेल डिब्बों के निर्माण संबंधी व्यवसाय को कब से करना आरम्भ किया है; और

(ग) क्या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के लिये अपने अन्य उत्पादों के लिये निर्यात बाजार में प्रवेश का यह पहला अवसर है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने बंगलादेश सरकार से 50 रेल डिब्बों और उनके पुर्जों के निर्माण और सप्लाई का एक आर्डर प्राप्त किया है, इस आर्डर का कुल मूल्य 4.45 करोड़ रुपये है। इन रेल डिब्बों और पुर्जों को मार्च 1975 तक सप्लाई किया जाना है।

(ख) रेल डिब्बे 1947 से बनाये जा रहे हैं जबकि यह फैक्टरी उस समय के हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बंगलौर का एक भाग था। तथापि, यह फैक्टरी पहली जनवरी, 1965 से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई थी।

(ग) रेल डिब्बों के लिये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का यह पहला निर्यात आर्डर है। परन्तु यह कम्पनी 1969-70 से अर्थ मूविंग उपस्कर का निर्यात करती रही है।

कर्नाटक राज्य के दक्षिण कनारा जिले से बाक्साइट

4199. **श्री पी० आर० शिनाय** :: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य के दक्षिण कनारा जिले में बड़ी मात्रा में बाक्साइट अयस्क उपलब्ध हैं;

(ख) क्या इस जिले में एक एल्यूमीनियम संयंत्र स्थापित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) कर्नाटक सरकार के भूतत्व तथा खनन विभाग द्वारा कर्नाटक के दक्षिणी कनारा जिले में किये गये सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप पांडुवेर नागनाकालवेर, मुदुगत्ता डडाहरा तथा गुप्पीपाड़ा पठार में बाक्साइट के 82.60 लाख टन भंडारों का अनुमान लगाया गया है। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने हाल में ही उक्त जिले के कुडारका तथा कालामंडूकार पठार में 5.00 लाख टन बाक्साइट के भंडार होने का अनुमान लगाया है। जबकि अधिकांश अन्य पठारों में बाक्साइट के लिये किये गये अध्ययनों के उत्साहजनक परिणाम नहीं रहे हैं। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के 1974-75 के चालू क्षेत्रागत कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर मानचित्रण, गर्त्तन, सुरंगें बनाने तथा नमूने एकत्र करने जैसे व्यापक अध्ययन निडेडी तथा कुडारका पठार के कुछ भागों में जारी रखने का प्रस्ताव है।

(ख) तथा (ग) दक्षिणा कनारा में एल्यूमीनियम संयंत्र स्थापित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। जिले में अन्वेषण कार्य अभी भी चल रहा है और इस काम के पूरा हो जाने पर ही बाक्साइट निक्षेपों की वाणिज्यिक खुदाई के बारे में कोई विचार व्यक्त किया जा सकता है । अब तक खोजे गए मुख्य निक्षेप बैरीडुम तालुक के पांडुवेर में हैं। इस निक्षेप से लिये गये नमूनों पर किये गये परिष्करण-परीक्षण के परिणाम उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं।

Trips Cancelled by D.T.C. on Inter-State Routes

4200. **Shri B.S. Chowhan:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the number of trips cancelled by the Delhi Transport Corporation each month during the last six months on Ghaziabad, Faridabad and other short inter-State routes;

(b) the average daily number of commuters inconvenienced as a result thereof ; and

(c) the interim and permanent steps taken or proposed to be taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H.M. Trivedi) : (a) to (c) The Delhi Transport Corporation did not cancel any of its bus services operating to Ghaziabad, Faridabad etc. during the last six months. However, the scheduled number of trips on the inter-State routes involved could not be operated during relevant period. The percentage of missed trips was higher in the earlier months (*i.e.* June & July, 1974), but it has been progressively coming down. The missing of trips is largely attributable to the inadequate faicilities available with the Corporation for repair and maintenance of its vehicles. To remedy the situation, the number of the maintenance pcints has been increased by constructing additional depots and making improvements in the existing depots.

During the current financial year, the Corporation has been able to commission six new depots. It proposes to construct additional depots in order to further strengthen the arrangements for maintenance of vehicles so that it may be possible to outshed a larger number of vehicles than at present.

रक्त बैंकों में रक्त की कमी

4201. **श्री दीनेन भट्टाचार्य:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में सरकारी रक्त बैंकों को रक्त की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या इसका कारण सरकारी अस्पतालों द्वारा रक्त दाताओं को कम धनराशि का दिया जाना तथा विदेशों को रक्त निर्यात करने वाले गैर-सरकारी रक्त बैंकों द्वारा अधिक धनराशि दिया जाना है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार देश में गैर-सरकारी रक्त बैंकों पर रोक लगायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) ब्लड बैंकों में आमतौर पर रक्त की कमी है। तथापि अधिकांश ऐसे मामलों में जिनमें रोगी की जीवन रक्षा के लिये खून देना जरूरी हो, उन्हें सरकारी अस्पताल खून दे देते हैं। कितने प्रतिशत लोगों को खून नहीं मिला यह संख्या निकाली नहीं गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं। जब तक खून संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती तब तक प्राइवेट ब्लड बैंकों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में कम उत्पादन

4202. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर:**
श्री डी० डी० देसाई:
श्री शंकर दयाल सिंह:
श्री श्रीकिशन मोदी:
श्री अनादि चरण दास:
श्री पी० गंगादेव:
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया:

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 14 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 447 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में कम उत्पादन के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उत्पादन को बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो की गयी कार्यवाही की मोटी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) इस्को के इस्पात कारखाने में निर्धारित क्षमता की तुलना में कम उत्पादन होने का मुख्य कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कारखाने का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने से पहले इस कारखाने में संयंत्र और उपस्करों की हालत काफी खराब थी। कारखाने की यह हालत इसलिये हो गयी थी कि पुराने उपस्करों को बदलने/उनकी मरम्मत करने के काम की काफी वर्षों तक उपेक्षा की गयी थी और रख-रखाव के काम पर उचित ध्यान नहीं दिया गया था।

(ख) और (ग) अधिग्रहण के पश्चात् इस संयंत्र को पुनः ठीक हालत में लाने के लिये एक व्यापक योजना बनाई गई थी। इस योजना को 43 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कार्यान्वित किया जा रहा है। आशा है यह योजना 1976-77 तक पूरी हो जायेगी और इसके पूरा हो जाने से कारखाने का उत्पादन बढ़कर निर्धारित क्षमता तक पहुंच जायेगा।

मरकरी ट्रैवल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा कर्मचारियों की छंटनी

4203. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता में मरकरी ट्रेवल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा 25 स्थायी कर्मचारियों की छंटनी किये जाने की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की बहाली करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला अनिवार्य रूप से राज्य कार्य क्षेत्र में आता है और इसे पश्चिम बंगाल की सरकार के ध्यान में ला दिया गया है।

पोलियो के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम

4204. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों को पोलियो से बचाने और इस रोग से संबंधित करने योग्य' तथा 'न करने योग्य' बातों से माता-पिता को अवगत कराने का कोई राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं। पोलियो से बच्चों को प्रतिरक्षण प्रदान करने के लिये कोई राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम नहीं है। फिर भी विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य संगठनों के माध्यम से प्रतिरक्षण के स्वास्थ्य शिक्षा के पहलू पर कार्य हो रहा है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Setting up Medical College and Hospital In Trans-Yamuna Area of Delhi

4205. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the trans-Yamuna population of Delhi;

(b) when a decision in regard to setting up a medical college and a hospital for providing medical facilities to those people was taken;

(c) the action since taken and proposed to be taken in this regard; and

(d) the time by which a medical college and a major hospital are likely to start functioning there?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque) : (a) The trans-Yamuna population of Delhi is 4,65,323, as per 1971 census.

(b) The decision to open a Medical College based on a hospital to be established at Shahdara was taken in July, 1971.

(c) & (d) The question of starting the Medical College at Shahdara is linked up with the establishment of a hospital at Shahdara by the Delhi Administration. In the meantime the College has started functioning in the campus of the University of Delhi since October, 1971. It is likely to take quite some time before a medical college and a major hospital start functioning at Shahdara.

Allotment of land to dependents of Military Personnel killed in war

4206. **Shri Madhavrao Scindia** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the state-wise number of such dependents of the military personnel killed in action as had been considered eligible for allotment of land;

(b) the number among those who have not been given possession of land so far ; and

(c) the action being taken for speedy disposal of their cases; and

(d) the reasons for not disposing of those cases so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J.B. Patnaik): (a) to (d) Allotment of land to dependents of servicemen killed in action is done by the concerned State Governments who have been requested to accord priority to this matter.

Since the actual allotment of the land in these cases in accordance with the provisions contained in the general orders issued by the State Governments concerned is done by

officers at the District and lower levels, the enormous time and effort involved in collecting the information sought which relates to all the past actions of the three Services will not be commensurate with the results likely to be achieved.

गुजरात में कृष्ण कुमार काटन मिल्स लिमिटेड, मालवा के कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान

4207. **श्री बेकारिया :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात राज्य में, कृष्ण कुमार काटन मिल्स लिमिटेड, मालवा के कर्मचारियों को काफी समय से मजूरी नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार इस विवाद को हल करने तथा कम्पनियों को उनकी मजदूरी तथा अन्य देय राशि दिलाने के लिए क्या कायवाही करने का है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने, जिन्हें कि इस मामले के बारे में लिखा गया था, यह सूचित किया है कि मिल 16-2-1971 को बन्द कर दी गई थी तथा यह वित्तीय कठिनाइयों के कारण भुगतान नहीं कर सकी और यह कि चूंकि श्रमिक यूनियन अर्थात्, मजदूर महाजन संघ महुआ ने मजदूरी भुगतान प्राधिकरण, महुआ के समक्ष मजदूरी के भुगतान के लिए एक आवदन-पत्र दायर किया था, सरकार द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही की जानी अपेक्षित नहीं है ।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा नई नौवहन सेवाएं प्रारम्भ करना

4208. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम की चार नई नौवहन सेवायें प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों के बीच उक्त सेवायें प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इनकी क्या सम्भावनायें हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) (1) कलकत्ता और मद्रास से मनीला और बैंकाक को नियमित सेवा ।

(2) आधान प्रधान तीव्र जहाजों सहित अमेरिका और कनाडा के प्रशान्त तट और बम्बई के बीच सेवा ।

(3) कलकत्ता और मद्रास से अमेरिका अन्ध्रमहासागर तट पत्तन जिसमें बम्बई भी आता है को जोड़ने वाली जहाजी सेवा का विस्तार ।

(4) मौजूदा जहाजी सेवा से मद्रास और कोचीन निर्यात माल की बढ़ी हुई सेवा ।

(ग) अतिरिक्त सेवा जो वर्तमान सेवाओं का केवल विस्तार मात्र है का आशय भारत के निर्यात के संवर्द्धन और व्यापार की मांग को पूरा करने से है ।

Inclusion of road from Dewali to Kota as a highway

4209. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether the road from Dewali to Kota in Rajasthan, a part of Delhi-Bombay road, is proposed to be included in the highway; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of state in the Ministry of Shipping & Transport (Shri H.M. Trivedi): (a) No final decision about the new additions to be made to the existing National Highway system during the 5th Plan period has yet been taken. It is therefore not possible to indicate at this stage, the position about any road or roads which might be taken over as a National Highway during the current Plan period.

(b) Does not arise.

गुजरात में एल्युमीनियम परियोजना

4210. **श्री मधु दण्डवते:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में ईरान की वित्तीय सहायता से स्थापित की जा रही प्रस्तावित अल्यूमीनियम परियोजना से, भारत द्वारा ईरान को किये जाने वाले निर्यात की मांग को पूरा नहीं किया जा सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ईरान की वित्तीय सहायता का उपयोग महाराष्ट्र की नीलगिरी अल्यूमीनियम परियोजना को पूरा करने के लिये करेगी जिसका इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले ही स्थापित किया जा चुका है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) गुजरात में स्थापित किया जाने वाला प्रस्तावित एल्यूमिना संयंत्र ईरान की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक उद्योगों की स्थापना

4211. **श्री नारायण चन्द पराशर:** क्या **रक्षा** मंत्री सहायक उद्योगों की स्थापना के बारे में 9 मई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9793 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में निर्णय को इस बीच क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अनुमानत: किस तारीख तक निर्णय किया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां श्रीमन् । इस योजना को लागू कर दिया गया है और रक्षा उत्पादन मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति वाली केन्द्रीय समिति योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

Bringing Ayurveda and Allopathy at Par

4212. Shri Lalji Bhai: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Government have brought Ayurveda at par with Allopathy by setting up the Central Council of Indian Medicine;

(b) whether this recognition is not being put into practice and the Planning Commission has been laying stress on allopathic system; and

(c) if so, the steps Government are taking in this direction?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque): (a) to (c) The requisite information is being collected from the States and will be furnished as soon as it becomes available.

प्रभोक्ताओं को इस्पात का आवंटन

4213. **श्री प्रबोध चन्द्र :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री के० मालन्ना

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात प्रभोक्ता उनके लिए किये गये इस्पात के आवंटन को उठाने में या तो असफल रहे हैं या उन्होंने उसे उठाने की आनाकानी कर रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय कौन से हैं ।

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) यह पता चला है कि कुछ उपभोक्ताओं ने जिनको इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा आवंटन किय गये थे, माल नहीं उठाया है । मुख्य उत्पादक इस माल को दूसरे उपभोक्ताओं को दे रहे हैं ।

भारत और नैपाल के बीच टूटा सड़क सम्पर्क

4214. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरास्ता सीतामढ़ी, शहरघाट, हरलाखी-जय नगर-लौकाहान लोकाही बीरपुर तथा फौर-वसगंज उत्तर प्रदेश से बिहार-नेपाल सीमा तक टूटे सड़क मार्गों की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या इस सीमा-सड़क में सभी टूटे सम्पर्कों को पूरा कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

(ख) क्या मधुबनी-राजनगर से मझला नदी के पिपराघाट तक तथा पुनः अमला नदी के दूसरी ओर से—बाबू बरोही-खुतौना और उससे आगे तक पक्की सड़क पूरी कर ली गई है लेकिन ये सड़कें कपला नदी के निकट फिराघाट पर पुल न होने के कारण सीधी सेवा के लिए अप्रयुक्त पड़ी हैं; और

(ग) यदि हां, तो राजनगर और बाबू बराली स्टैण्ड को जोड़ने के लिए इस पुल से सम्बन्धित प्रस्ताव किस अवस्था में हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) भारत सरकार, राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है । राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा सभी सड़कें मुख्य रूप से सम्बन्धित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । सभी प्रस्तावित सड़कें स्थानीय सड़कें हैं और इसलिए बिहार सरकार उनके विकास से मुख्यतः सम्बन्धित है । उन्होंने इन सड़कों में से किसी को भी, अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों या पांचवीं योजना अवधि के दौरान मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति की नई सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण सहायता के लिए अपने प्रस्तावों में शालिम नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पारादीप पत्तन से जहाज द्वारा भेजा गया लौह अयस्क

4215. **श्री चिन्तामणि पाणीग्रही** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 में आज तक पारादीप पत्तन से लौह अयस्क की कितनी मात्रा जहाज़ द्वारा बाहर भेजी गयी;

(ख) पारादीप पत्तन द्वारा अब तक कुल कितनी छंटनी सम्बन्धी हानि उठाई गयी है; और

(ग) इस हानि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) 1971-72 से 1974-75 वर्षों (30 नवम्बर, 1974 तक) के दौरान पारादीप पत्तन से भेजे गये लौह अयस्क की मात्रा निम्न प्रकार से थी :—

लाख टनों में

1971-72	17.90
1972-73	18.74
1973-74	20.30
1974-75 (30 नवम्बर, 1974 तक)	9.64

(ख) चालू होने की तारीख से 31 मार्च, 1974 तक पत्तन का कुल संचित राजस्व घाटा 8.24 करोड़ रुपये था ।

(ग) इस घाटे को रोकने हेतु निम्नलिखित उपाय किये गए हैं या किए जा रहे हैं :—

(1) पारादीप पत्तन न्यास ने पत्तन में लौहायस्क की लगातार सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया है, ताकि वह अपनी संयंत्र क्षमता का पूरा उपयोग कर सके । पांचवीं योजना में 40 से 50 लाख टन लौहायस्क की पत्तन क्षमता के विकास करने का विचार है ।

(2) पत्तन की दरों के मान में संशोधन किया जा रहा है ।

(3) निर्माणाधीन सामान्य माल घाट के चालू वर्ष के अन्त तक पूरा होने की सम्भावना है और सामान्य माल घाट के चालू होने के बाद, पत्तन के प्रतिवर्ष लगभग 4 से 5 लाख सामान्य माल वहन करने की सम्भावना है ।

(4) पत्तन के व्यय को घटाने हेतु यथा सम्भव मितव्ययता के उपाय किए गए हैं ।

मेघालय में स्थानीय लोगों को देय राशि तथा उनके दावों का निपटान

4216. **श्री बो० के० दासचौधरी :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री मेघालय में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों पर खर्च के बारे में 1 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1358 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) बंगलादेश से आये शरणार्थियों के लिए किये गये कार्य के सिलसिले में मेघालय में स्थानीय ठेकेदारों को देय राशि का भुगतान करने तथा भूमि और फसलों को हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति देने के बारे में स्थानीय लोगों द्वारा किये गये दावों का भुगतान करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं; और

(ख) इन देय राशियों तथा दावों का निपटान कब करने का प्रस्ताव है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वैंकटास्वामी) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी मेघालय सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में इस्पात के बढ़ते हुए मूल्य

4217. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात और खान को क्षेत्रीय नियंत्रक द्वारा जाली एककों का पता लगाने और उनके स्टाक को बाहर निकालने के लिए आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में छापे मारे गये;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या इन राज्यों में इस्पात की बढ़ती हुई कीमतों पर इनका कोई प्रभाव पड़ा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) 1 जुलाई, 1972 से 30 नवम्बर, 1974 की अवधि में क्षेत्रीय लोहा और इस्पात नियंत्रक, हैदराबाद में अपने क्षेत्र में 941 निरीक्षण किए थे । 123 इकाइयों को लोहे और इस्पात के दुरुपयोग के सन्देह के लिए आगे और जांच होने पर्यन्त लोहे और इस्पात की सप्लाई निलम्बित कर दी गई और 15 इकाइयों को लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 की धारा 28ख के अन्तर्गत लोहे और इस्पात की सामग्री प्राप्त करने से विवर्जित कर दिया गया । 14 मामलों की जांच का कार्य केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा गया था और एक मामला जांच के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य पुलिस को दिया गया था । 67 मामले सम्बन्धित उद्योग निदेशकों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए भेजे गए थे ।

(ग) पिछले कुछ महीनों में इस्पात की कई श्रेणियों के खुले बाजार के मूल्यों में गिरावट आई है ।

औषधियों में मिलावट के लिये बन्दी बनाये गये व्यक्ति

4218. **श्री अजीत कुमार साहा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितने व्यक्तियों को औषधियों में मिलावट करने के लिए बन्दी बनाया गया; और

(ख) इन बन्दी बनाये गये व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा सज़ा दी गई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

फैरो वैनाडियम प्रोजेक्ट, उड़ीसा

4219. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा, उड़ीसा के रायरंगपुर, मयूरगंज ज़िलों में फैरो-वेनाडियम प्रोजेक्ट स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में चालू वर्ष के लिए क्या विशिष्ट कार्यक्रम बनाया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) उड़ीसा में स्थापित की जाने वाली फैरो-वैनेडियम प्रायोजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में सम्मिलित कर लिया गया है । इस कारखाने की प्रस्तावित वार्षिक क्षमता 480 टन फैरो-वैनेडियम तथा 48,000 टन कच्चे लोहे की होगी ।

(ग) पूंजी निवेश के बारे में निर्णय लेने के लिए स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम के लिए सहालकार इंजीनियरों द्वारा पहले तैयार किए गए प्रायोजना अनुमानों को अद्यतन करने की कार्रवाई कर रही है ।

कलकत्ता पत्तन से होने वाले व्यापार में वृद्धि

4220. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 नवम्बर, 1974 के इकोनोमिक समाचार-पत्र में "बूस्ट टू कैलकट्टा पोर्टस् ट्रेड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या पिछले दिनों में पत्तन आयुक्तों की कोई बैठक बुलाई गई थी;

(ग) यदि हां, तो बैठकों में क्या-क्या निर्णय किये गये; और

(घ) बैठक में जिन नई पद्धतियों की सिफारिश की गई, उसे अपनाये जाने पर निर्यात व्यापार कितना बढ़ने की आशा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (घ) सरकार ने इकोनोमिक टाइम्स दिनांक 16-11-1974 में प्रकाशित यह समाचार देखा है । उसमें रिपोर्ट हुगली नदी संबंधी पत्तन न्यासों के अनेलोग माडल के खोलने के बारे में थी । इस अवसर पर, कलकत्ता पत्तन पर यातायात में कमी के कारण के बारे में उल्लेख किया गया था और यह आशा व्यक्त की गई थी कि फरक्का बांध और हल्दिया गोदी पद्धति के चालू होने से वे कठिनाइयां दूर हो जायेंगी जिनसे पत्तन को क्षति पहुंची । यद्यपि समय-समय पर आयुक्तों ने इस विषय पर चर्चा की है, तथापि पत्तन की यातायात के सुधार के बारे में पत्तन न्यास की कोई विशेष बैठक न हुई ।

परिवहन नियोजन के लिये "लिक्विड क्रिस्टल थर्मल डिवाइसिज"

4221. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा "लिक्विड क्रिस्टल थर्मल डिवाइसिज" का विकास किया गया है जो कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभा सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने एक 'तरल क्रिस्टल तापीय साधन' तैयार किया है जिससे डिम्बक्षरण के दिन का पता लगाने में सहायता मिलती है ।

(ख) सामान्यतया स्त्रियों में डिम्बक्षरण मासिक धर्म से लगभग 14-15 दिन पहले शुरू हो जाता है । उस समय शरीर का तापमान मामूली सा बढ़ जाता है । राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने एक ऐसा साधन तैयार किया है जिससे शरीर के तापमान की वृद्धि का पता लगाने में सहायता मिलती है । इसमें एक ऐसा जैव पदार्थ होता है जो गर्म किए जाने पर ठोस अवस्था से तरल अवस्था में सीधे परिवर्तित नहीं होता बल्कि एक मध्यवर्ती अवस्था में रहता है जिसे उस पदार्थ की तरल क्रिस्टल अवस्था कहते हैं । शरीर के तापमान का पता लगाने के लिए यह तरल क्रिस्टल तापीय साधन (फिल्म) शरीर के किसी अंग के साथ जैसे मस्तक पर लगा दिया जाता है । ज्यों-ज्यों शरीर का तापमान बढ़ता जाता है इस फिल्म के रंग में भी परिवर्तन होता जाता है जो इस बात का द्योतक है कि डिम्बक्षरण शुरू हो गया है । इस साधन की प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए अभी हाल ही में क्लीनिकी परीक्षण आरम्भ किए गये हैं ।

पी० एल० ओ० को पश्चिम तट क्षेत्र का भावी शासक बनाना

4223. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पी०एल०ओ० को पश्चिम तट क्षेत्र का भावी शासक बनाने के बारे में अरब शिखर सम्मेलन के निर्णय की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) 26 से 29 अक्तूबर, 1974 तक रबात में हुए अरब शिखर सम्मेलन के निर्णयों की खबरें सरकार ने देखी हैं । इन निर्णयों में और

बातों के साथ फिलिस्तीनियों के फिलिस्तीनी जनता के एकमात्र वैध प्रतिनिधि फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के नेतृत्व में किसी भी मुक्त फिलीस्तीनी भूमि पर एक स्वतन्त्र राष्ट्रीय प्राधिकार स्थापित करने के अधिकारों की पुष्टि की गई है ।

(ख) सरकार ने फिलिस्तीन में फिलिस्तीनीयों की मातृभूमि के अविच्छेदन अधिकारों का सदा समर्थन किया है और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को फिलिस्तीनी जनता के वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्रदान की ।

कपड़ा सीने के उद्योग में लगे श्रमिकों को श्रमिक कानूनों का लाभ

4224. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कपड़ा सीने के उद्योग में लगे श्रमिकों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, और अन्य श्रमिक कानूनों के लाभों से वंचित रखा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) कपड़ा सीने के उद्योग में नियोजित श्रमिकों पर श्रमिक कानून सामान्यतया लागू होते हैं । लाभों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दादरा और नागर हवेली में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्र

4225. **श्री आर० आर० पटेल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1974 को दादरा और नागर हवेली में कुल कितने स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्र कार्य कर रहे थे;

(ख) आगामी पांच वर्षों में इन क्षेत्रों में कितने और केन्द्र खोले जायेंगे; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) दादर और नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र में 31-3-1974 को 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 3 मुख्य ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र और 10 उपकेन्द्र कार्यरत थे ।

(ख) अगले पांच वर्षों में कोई और केन्द्र खोलने का विचार नहीं है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनीतिक समिति में पाकिस्तान के परमाणु-मुक्त-क्षेत्र सम्बन्धी प्रस्ताव को नाम मात्र समर्थन

4226. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनीतिक समिति में पाकिस्तान के परमाणु-मुक्त क्षेत्र सम्बन्धी प्रस्ताव को कुछ भी विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हो सका;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिन देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, उनके नाम क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) से (ग) पाकिस्तान के प्रारूप प्रस्ताव को समर्थन में 84 मत मिले, विरोध में 2 मत और 36 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया, जबकि भारत के प्रारूप प्रास्ताव को समर्थन में 90 मत मिले, इसके विरोध में कोई मत नहीं था और 32 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया । दोनों प्रारूप प्रस्तावों के मतदान का ढंग संलग्न है ।

विवरण

दक्षिण एशिया में नाभिकीय मुक्त-क्षेत्र से सम्बन्धित भारत और पाकिस्तान के प्रस्तावों के प्रारूपों पर मतदान का ढंग ––

1. वे देश जिन्होंने भारतीय प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया लेकिन पाकिस्तान के प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया (2)
   भारत और भूटान
2. वे देश जिन्होंने भारतीय प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया लेकिन पाकिस्तान प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लिया (19)
   बंगलादेश, बल्गारिया, बेलोरशियन एस०एस०आर० क्यूबा, साइप्रस, चैकोस्लोवाकिया, जर्मन जनवादी गणतन्त्र, यूनान, गुयाना, हंगरी, मलावी, मंगोलिया, पोलैण्ड, पुर्तगाल, थाईलैण्ड, यूक्रेनियन एस०एस०आर०, सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ, युगोस्लाविया, जाम्बिया । (मारिशस ने भारतीय प्रारूप के पक्ष में मत दिया लेकिन पाकिस्तान प्रारूप पर मतदान में भाग नहीं लिया) ।
3. वे देश जिन्होंने भारतीय प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लिया लेकिन पाकिस्तानी प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया (15)
   केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य, चीन, कोलम्बिया, कांगो, दाहोमी, एल सल्वादोर, गबोन, आइवरी कोस्ट, जोर्डन, माली, नाइजर, पाकिस्तान, कतार, सउदी अरब और सियरा लियोन । (स्वाज़ीलैण्ड ने पाकिस्तानी प्रारूप के पक्ष में मत दिया लेकिन भारतीय प्रारूप पर मतदान में भाग नहीं लिया ।
4. वे देश जिन्होंने दोनों ही प्रस्तावों के मतदान में भाग नहीं लिया (17)
   बरबैडोस, बर्मा, डेनमार्क, फीजी, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, इण्डोनेशिया, इज़राइल, इटली, लीबिया, मलेशिया, नाइजीरिया, नार्वे, स्वीडन, यू० के०, तन्ज़ानिया और अमरीका ।
5. वे देश जिन्होंने किसी भी प्रस्ताव पर मत नहीं दिया (15)
   अल्बानिया, छाड़, इक्वेटोरियल गिनी, ग्रेनाड़ा, गिनी बिसाऊ, हेती जमाइका, खमैर गणराज्य, लेसोथो, लक्सम्बर्ग, मालदीव, माल्टा, दक्षिण अफ्रीका, ट्रिनिडाड और टोबागो और ज़ाईर ।
6. वे देश जिन्होंने दोनों प्रस्तावों के पक्ष में मत दिया (68)
   अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बहामास, बहरीन, बेल्जियम बोलिविया, बीटसवाना, ब्राजील, बुरुंडी, कनाडा, चिली, कोस्टा, रिका, यमन गणराज्य

डोमिनिकन गणराज्य, इक्वैडोर, मिस्र, इथियोपिया, फिनलण्ड, जाम्बिया, घाना, ग्वाटैमाला, गिनी, हांड्डरास, आइसलैण्ड, ईरान, ईराक, आयरलैण्ड, जापान, कीनिया, कुवैत, लाओस, लवनान, लाइबेरिया, मेडागास्कर, बारितानिया, मेक्सिको, मोरक्को, नेपाल, नीदरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, निकारगुआ, ओमन, पनामा, परागुर, पेरु, फिलीपीन्स, रूमानियां, खांडा, सेनेगल सिंगापुर, रोमालिया, स्पेन, श्रीलंका, सूडान, सीरियन अरब गणराज्य, टोगो, ट्यूनिशिया, तुर्की, उगांडा, संयुक्त अरब अमीर राज्य, संयुक्त केमरून गणराज्य, अपर वोल्टा, यूरूगुए, बेनेजुएला, यमन ।

इंडियन आयल, दुलीजन, आसाम के कर्मचारियों की बर्खास्तगी के मामले न्यायाधिकरण के समक्ष

4227. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल, दुलीजन आसाम के कर्मचारियों की बर्खास्तगी सम्बन्धी अनेक मामले निरन्तर कई वर्षों से न्यायाधिकरण के समक्ष अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो न्यायाधिकरण अधिकारी के समक्ष अनिर्णीत पड़े इन मामलों के निपटान में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) से (ग) 13 कर्मकारों की अभिकथित गैर-कानूनी पदच्युति पर आयल इण्डिया लिमिटेड, दुलियाजन के प्रबन्धक और उनके कर्मकारों के बीच विवाद को जनवरी, 1971 में औद्योगिक अधिकरण, डिब्रुगढ़ के पीठासीन अधिकारी को न्याय-निर्णय के लिए निर्देशित किया गया था । इस अधिकरण ने जून, 1972 में एक अन्तरिम पंचाट दिया । इस विवाद के निबटारे में शीघ्रता लाने के विचार से इसे अक्टूबर, 1974 में कलकत्ता स्थित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण को हस्तान्तरित कर दिया गया ।

Hospitals Run by Religious Organisations in the Country

4228. **Shri Mulki Raj Saini:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the number of hospitals run by religious organisations in the country;

(b) the number of hospitals organisation-wise;

(c) the particulars thereof State-wise; and

(d) the amount of grant or aid given to them by Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque): (a) to (d) The information is being collected and will be furnished as soon as it becomes available.

लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज अयस्क तथा ताम्र अयस्क का उत्पादन

4229. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज अयस्क तथा ताम्र अयस्क के उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ख) तत्सम्बन्धी मोटी बातें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में गत वर्ष के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) चालू वर्ष में देश की आन्तरिक मांग तथा निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिये उत्पादन में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) और (ख) जनवरी-सितम्बर, 1973 तथा जनवरी-सितम्बर, 1974 की अवधि में लोह खनिज, मेंगनीज़ खनिज, कोयला तथा ताम्बा खनिज के उत्पादन के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(लाख टन)

क्रम सं०	खनिज	जनवरी-सितम्बर 1973	जनवरी-सितम्बर 1974
1.	लोह खनिज	256.4	252.4
2.	मैंगनीज़ खनिज . .	11.0	10.2
3.	कोयला . .	582.0	615.6
4.	तांबा खनिज	7.8	10.1

(ग) देशीय मांग तथा निर्यात के करारों को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

लोह खनिज : आशा है वर्ष 1974-75 में प्रत्याशित उत्पादन से आन्तरिक खपत तथा निर्यात लक्ष्यों को पूरा किया जा सकेगा बशर्ते कि उपभोक्ता निर्यात क्षेत्रों की ढुलाई के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध हो ।

मैंगनीज : मेंगनीज़ का उत्पादन आन्तरिक मांग तथा निर्यात के करारों की आवश्यकता से पहले ही अधिक है ।

कोयला : उत्पादन में वृद्धि के लिए खुली खानों तथा यांत्रीकृत भूमिगत खानों से अधिकाधिक कोयला निकालने का काम आवश्यक उपकरणों की समय पर उपलब्धि, परिवहन सुविधाओं का युक्तिकरण तथा पुनर्गठन, बिजली की निर्बाध सप्लाई, वर्तमान खानों का विस्तार, आवश्यक कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था जैसे कुछ उपाय किए गए हैं ।

तांबा : खेतरी तांबा कम्पलेक्स तथा भारतीय तांबा कम्पलेक्स की वर्तमान खानों के विकास कार्य में तेज़ी लाने के अलावा चांदमारी तांबा परियोजना की खुली खानों के विकास, 1000 टन क्षमता के कन्सेन्ट्रेटर प्लांट के निर्माण तथा राखा परियोजना (प्रथम चरण) के विकास के लिए कदम उठाए गए हैं । राखा प्रायोजना के (प्रथम चरण) तथा मलंजखण्ड प्रायोजना के लिए शक्यता अध्ययन तैयार करवाने का काम भी हाथ में लिया गया है । आशा है कि इन उपायों के फलस्वरूप पांचवीं योजना के अन्त तक ताम्बे का उत्पादन 45,000 टन तक हो जाएगा ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में नेपाल के स्थायी प्रतिनिधि के साथ दक्षिण एशिया के लिये अणुरहित क्षेत्र के सम्बन्ध में विचार-विमर्श

4230. **श्री के० मालन्ना :**
श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विदेश सचिव ने दक्षिण पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में रखे गये एशिया के लिये अणु-रहित क्षेत्र हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ में नेपाल के स्थायी प्रतिनिधि के साथ न्यूयार्क में विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) और (ख) भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच चल रही बातचीत के एक भाग के रूप में, भारत के विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र न्यूयार्क में नेपाल के स्थायी प्रतिनिधि के बीच हुई बातचीत में अन्य बातों के अलावा दक्षिण एशिया को नाभिकीय-अस्त्रों से रहित क्षेत्र बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया था । क्योंकि यह बातचीत राजनयिक विचार-विमर्श है इसलिए गोपनीय है और इसकी विषयवस्तु को बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा । इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि इस विषय पर भारत और पाकिस्तान द्वारा पेश किये गये दोनों ही प्रारूप प्रस्तावों का नेपाल ने समर्थन किया है ।

सी०एस०टी०सी० और सी०टी०सी० के विकास के लिए पैट्रोलियम लेवी से धनराशि का नियतन

4232. **श्री आर० एन० वर्मन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में सी० एस० टी०सी० और सी०टी०सी० विकास के लिए केन्द्र ने पेट्रोलियम लेवी से कोई धनराशि नियत की है और यदि हां, तो अनुदान की राशि क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने हाल ही में राजा बाजार डिपो की आग से सी०टी०सी० के वाहनों को हुए भारी नुकसान को विशेष रूप में ध्यान में रखते हुए सी० टी० सी० के लिए अधिक धनराशि के नियतन के लिए केन्द्र से कोई अभ्यावेदन किया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के माध्यम से बस और ट्राम कार खरीदने के लिए कलकत्ता राज्य परिवहन निगम को 6 करोड़ रु० तक का और कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी को 2 करोड़ रु० तक का ऋण देने के लिए सिद्धान्ततः सहमत हो गई है। उपरोक्त प्रयोजन के लिए वास्तविक राशि चालू वित्तीय वर्ष में दोनों उपक्रमों द्वारा किए गए व्यय तक ही सीमित होगी।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्तमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिए कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी को अधिक नियतन के लिए सहमत होना संभव नहीं है।

Grants to States for Rural Dispensaries

4233. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Government of India have allocated grants in 1974 to various states for rural dispensaries;

(b) if so, the amount thereof;

(c) whether reports have been received on their utilisation; and

(d) if so, the facts of the report?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque): (a) No grants are being given to States for rural dispensaries but funds for the establishment of Primary Health Centres and sub-Centres are provided in the Annual Plans of the various States. These form a part of the Minimum Needs Programme and funds for implementing this programme are provided in the State sector.

(b) A sum of Rs. 23.75 crores has been provided for the various States to take up work relating to the Health component of the Minimum Needs Programme during the financial year 1974–75.

(c) & (d) No information has been received from the States regarding utilisation of the plan allocation for setting up of Primiary Health Centres and sub-Centres.

Non-Deposit of E.P.F. Dues by Sriram Rayons, Kota

4234. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1627 on the 2nd March, 1973 and state:

(a) whether Sriram Rayons, Kota, Rajasthan, a branch of M/s. Delhi Cloth and General Mill Company Limited has not deposited the amount of Provident Fund of the employees for the last several years and if so, the amount of Provident Fund yet to be realised from this industry;

(b) the steps taken by Government to get the full amount of Provident Fund deposited and the action taken so far against the proprietors of the industry; and

(c) whether full Provident Fund deductions are made from the salaries of the employees and the amount is being utilised for other purposes and if so, the steps being taken by Government to check it?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): The Provident Fund authorities have reported as under:—

(a) The establishment has been paying provident fund dues and is not in arrears.

(b) and (c). Do not arise.

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के निदेश

4235. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात की कमी को दूर करने के लिये भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने नये निदेश दिये हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) प्रत्येक उद्योग को कितने इस्पात की सप्लाई की जा सकेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड के मुख्य कार्यालय का स्थानान्तरण

4236. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड के तैयार उत्पाद की परिवहन लागत कच्चे लैटेक्स की परिवहन लागत से दस गुना अधिक है और क्या इस कारण तथा अन्य कारणों से कम्पनी के निदेशक बोर्ड के दो अनुभवी सदस्यों ने भविष्य में लगाये जाने वाले 'निरोध' के कारखानों को भिन्न भिन्न स्थानों पर लगाने की जोरदार सिफारिश की थी और मुख्य कार्यालय को दिल्ली से अन्यत्र ले जाने का घोर विरोध किया था; और

(ख) क्या उनकी ठोस सिफारिश की ओर ध्यान देने के बजाये सरकार ने निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन करते समय केवल उन्हीं दो सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ऐ० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं।

सरकार नये निरोध कारखानों को क्षेत्रीय और तकनीकी एवं आर्थिक कारणों से भिन्न-भिन्न स्थानों पर लगाने के लिये पहले से ही विचार कर रही है। जहां तक हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड के मुख्य कार्यालय का संबंध है, इस का स्थानान्तरण पूर्णतया भारत सरकार की सामान्य नीति के अनुसार ही किया गया था।

(ख) जी नहीं। यह सही नहीं है।

सैंट जार्जस होम्योपैथिक क्लीनिक एण्ड फार्मेसी आफ मंगलौर द्वारा "अस्थमा क्योर" का विज्ञापन

4237. **चौधरी राम सेवक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कंकड़ी डाक खाना, मंगलौर में स्थापित सेंट जार्जस होम्योपैथिक क्लिनिक एण्ड फार्मेसी द्वारा इतने व्यापकरूप से विज्ञापित सात तत्वों वाली सशक्त औषधि "अस्थमा क्योर" को कहां तक होम्योपैथिक औषधि की श्रेणी में रखा जा सकता है;

(ख) यदि नहीं, तो फार्मेसी को बिना रोके-टोके इसे होम्योपैथिक औषधि के नाम से क्यों विज्ञापित करने दिया जा रहा है; और

(ग) विज्ञान होम्योपैथिक के नाम के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 में होम्योपैथिक चिकित्सा की परिभाषा के अधीन होम्योपैथिक दवाइयों का मिश्रण भी शामिल है। इसलिये सेंट जार्जस होम्योपैथिक क्लिनिक और फार्मेसी, कन्कण्डी, मंगलौर, द्वारा तैयार की गई "अस्थमा क्योर" को एक होम्योपैथिक दवाई के रूप में माना जा सकता है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

पाकिस्तानी रक्षा गतिविधियों में वृद्धि के बारे में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

4238. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में समाचारपत्रों में अथवा 20 नवम्बर, 1974 के दिल्ली के एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान को अपनी रक्षा गतिविधियां बढ़ानी पड़ेंगी;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पाकिस्तान से बार-बार खतरा उत्पन्न होने को ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार अपने रक्षा संसाधनों में वृद्धि करेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां श्रीमन्।

(ख) और (ग) हमारे रक्षा उपायों की समीक्षा करते समय पाकिस्तान में हुई उन सभी गतिविधियों पर विचार किया जाता है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है।

Medium of Departmental Examination in the offices of Central Provident Fund Commissioner at Delhi and Kanpur

4240. **Shri R.R. Sharma:** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether medium of Departmental Examinations in the offices of the Central Provident Fund Commissioner at Delhi and Kanpur is English; and

(b) if so, the measures being taken by Government to introduce Hindi as the medium of departmental examinations?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): The Provident Fund authorities have intimated as under:—

(a) & (b) In the case of Departmental Examination for the post of Lower Division Clerk, the candidates have the option to answer paper II (Arithmetic and General Knowledge) of the Examination either in English, or in the regional language of the State where they are posted. The question of permitting use of Hindi as an alternative medium in the remaining departmental examinations will be considered.

डी० एस० पी० द्वारा 1500 बिलों का भुगतान

4241. **श्री रोबिन सेन:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अक्तूबर, 1974 के कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि 'डी० एस० पी० को अन्य 1500 के बिलों का भुगतान करना पड़ा क्योंकि ठेकेदार फर्मों ने कहा था कि औद्योगिक शांति के लिये उन्हें ट्रेड यूनियन लीडरों को प्रसन्न रखना पड़ा था';

(ख) क्या यह समाचार सच है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे ट्रेड यूनियन लीडरों के नाम क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

देश में बनाई जा रही औषधियों का आयात

4242. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे:** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा ऊंचे मूल्यों के उपरान्त भी विदेशी फर्मों को करोड़ों रुपये के मूल्य की ऐसी औषधियों के लिये क्रयादेश दिय जा रहे हैं जब कि भारतीय फर्मों द्वारा बनाई गई ऐसी औषधियां देश में ही उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रसाधन तथा साबुन आदि वस्तुओं (कास्मैटिक्स एण्ड टायलैट गुड्स) में हैक्साक्सलोरोफीन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

4243. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रसाधन तथा साबुन आदि वस्तुओं (कास्मैटिक्स एण्ड टायलैट गुड्स्) में हैक्साक्लोरोफीन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर इस बीच निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) और (ख) जी हां, हैक्साक्लोरोफीन वाले कास्मैटिक्स (प्रसाधन सामग्री) के निर्यात और निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में एक अधिसूचना को विधि मंत्रालय से विचार-विमर्श करके अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

राउरकेला उर्वरक कारखाना

4244. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1974 के दौरान राऊरकेला उर्वरक कारखाने ने उत्पादन के कई नये रिकार्ड स्थापित किये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) सितम्बर, 1974 के दौरान राऊरकेला उर्वरक कारखाने की रिकार्ड उपलब्धियाँ नीचे दी गई ह :—

मद	सितम्बर, 1974 टन	पिछला रिकार्ड टन
अमोनिया उत्पादन (मासिक)	9335.20	8259.70
अमोनिया उत्पादन (दैनिक)	369.00 (28-9-74 को)	356.80
नाइट्रिक एसिड का उत्पादन . .	28037.40	26352.50
कैलसियम अमोनिया नाइट्रेट का उत्पादन (मासिक) . .	24173.00	23823.00
कैलसियम अमोनिया नाइट्रेट का लदान (दैनिक)	1988.91 (30-9-74 को)	1587.00

Scheme to Supply Medicines at Concessional Rates

4245. **Shri Ishwar Chaudhry:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state whether Government have any scheme to make the essential drugs available at concessional rates in the areas inhabited by the poor people?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque): A scheme for production of essential and life saving drugs and most commonly used house-hold remedies on a mass scale at cheap prices, is under consideration of the Ministry of Health and Family Planning. Under this Scheme, a list of about 100 essential drugs drawn up by the Ministry would be considered for manufacture and supply to the masses through the Primary Health Centres and sub-centres which are the main agencies to provide medical relief in Rural Areas.

Under the Minimum Needs programme in the Fifth Plan, the provision for drugs has been increased to Rs.12,000 at the level of the Primary Health Centres and Rs.2,000 at the level of the sub-centres.

The Ministry of Petroleum and Chemicals are also taking measures to ensure adequate production of bulk drugs which would be required for implementing this scheme.

औषधियों का वर्गीय नाम रखने सम्बन्धी प्रस्ताव

4246. **डा० सरदीस राय:** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों के ब्राण्ड नामों के बजाय उनके वर्गीय नाम रखने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे नाम कब से लागू किये जायेंगे और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) और (ख) पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय द्वारा गठित ड्रग और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि क्या औषधियों के ब्राण्ड नामों की बजाय उन के जातिगत नाम रखना राष्ट्र-हित में होगा और यदि हां, तो यह किस प्रकार और किस हद तक किया जाना चाहिये । इस समिति द्वारा नियुक्त किये गये पैनल ने अपनी रिपोर्ट मुख्य समिति को प्रस्तुत कर दी है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

Proper Distribution of Essential Dugs

4247. **Shri R. R. Sharma:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state the steps being taken for equitable and proper distribution of essential drugs and for making them available at cheap rates?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K.M. Ishaque): A scheme for production of essential and life-saving drugs and most commonly used house-hold remedies on a mass scale at cheap prices is under consideration of the Ministry of Health and Family Planning. Under this Scheme, a list of about 100 essential drugs drawn up by the Ministry of Health would be considered for manufacture and supply to the masses through the Primary Health Centres and sub-centres which are the main agencies to provide medical relief in Rural Areas.

Under the Menimum Needs programme in the Fifth Plan, the provision for drugs has been increased to Rs.12,000 at the level of the Primary Health Centres and Rs. 2,000 at the level of the sub-centres.

The Ministry of Petroleum and Chemicals are also taking measures to ensure adequate production of bulk drugs which would be required for implementing this scheme.

रेलवे, खान, बागान, पटसन और कपड़ा उद्योगों में नैमित्तिक श्रमिक

4248. **श्री सरजू पाण्डे:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन रेलवे, खान, बागान, पटसन तथा कपड़ा उद्योगों में कितने नैमित्तिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं ;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में उनकी मासिक मजूरी क्या है ;

(ग) उन्हें नैमित्तिक श्रमिक रखने से सरकार को कितनी धनराशि की बचत होती है ; और

(घ) उनके आठ घंटों के कार्य काल में सरकार उनसे कितना कार्य करा लेती

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) श्रम ब्यूरो के निदेशक द्वारा किए गए श्रमिक दशाओं से संबंधित आवधिक सर्वेक्षण के अनुसार, विभिन्न उद्योगों में नैमित्तिक श्रमिकों की प्रतिशतता निम्न प्रकार है :—

उद्योग का नाम	जांच की अवधि	सम्पूर्ण उद्योग में उत्पादन में लगे कुल श्रमिकों में नैमित्तिक श्रमिकों का प्रतिशत	सरकारी क्षेत्र में उत्पादन में लगे कुल श्रमिकों में नैमित्तिक श्रमिकों का प्रतिशत
1	2	3	4
कपड़ा उद्योग :			
सूती	1960–61	2.1	0.9
रेशमी	1960–61	0.4	0.7
ऊनी	1971	3.2	2.7
खानें :			
कोयला	1962–63	1.8	5.1
लौह अयस्क	1962–63	8.9	28
सोना	1962–63	2.4	2.7
मैंगनीज	1962–63	8.5	कुछ नहीं
जूट	1971	1 से कम	कुछ नहीं
बागान :			
चाय	1961–62	11.4	सूचना उपलब्ध नहीं
रबड़	1961–62	25	यथोक्त
काफी	1961–62	15	यथोक्त

रेल मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, रेलवे में लगभग 3 लाख नैमित्तिक श्रमिक हैं ।

(ख) रेलवे के नैमित्तिक श्रमिकों को छोड़ कर, जिन्हें कि काम की कतिपय लगातार कार्य-अवधि को पूरा कर लेने पर नियमित मासिक वेतन के आधार पर ले लिया जाता है, नैमित्तिक श्रमिकों को आम तौर पर दैनिक मजदूरी दरों पर नियोजित किया जाता है, मासिक मजूरी पर नहीं ।

अधिकांश प्रतिष्ठान, जिनमें नैमित्तिक श्रमिकों को नियोजित किया जाता है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन शासित होते हैं और इसलिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने अधिसूचनाएं जारी करके न्यूनतम मजदूरी-दरें निर्धारित की हैं । न्यूनतम मजदूरी दर आमतौर पर ऐसी दैनिक मजदूरी दर होती है जिस में सब कुछ शामिल रहता है । कभी कभी रेलवे के नैमित्तिक मजदूरों को रेलवे

कर्मचारिवर्ग के तदनुरूपी वर्गों पर लागू वेतनमान के न्यूनतम वेतन जमा महंगाई भत्ते के 1/30 की दर से भुगतान किया जाता है, परन्तु किसी भी स्थिति में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित की गई दरों से कम दरों पर भुगतान नहीं किया जाता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि नैमित्तिक श्रमिकों को बिल्कुल नैमित्तिक काम पर नियोजित किया जाता है जिसे करना नियमित श्रमिकों का काम नहीं होता ।

(घ) 8 घंटे के काम में (जो सामान्य पारी का काम है) नियमित और नैमित्तिक श्रमिकों के कार्यभार में कोई अन्तर नहीं है ।

देश में चीनी कारखानों के श्रमिक

4249. **श्री सरजू पांडे**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चीनी कारखानों के श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उनकी मजदूरी समान है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनकी राज्यवार मजूरी क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा): (क) 1965 में गठित चीनी उद्योग से संबंधित द्वितीय केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, 1965–1966 में चीनी मिल श्रमिकों की कुल संख्या लगभग 2 लाख थी ।

(ख) जी नहीं, अलग-अलग क्षेत्रों में मजदूरियां भिन्न-भिन्न हैं ।

(ग) मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार देय मजदूरियां दर्शाने वाला एक विवरण, जैसी की स्थिति 1-7-1974 को थी, संलग्न है । तथापि इसमें राहत भुगतान के कारण हुई अतिरिक्त वृद्धियां तथा उत्तरप्रदेश और बिहार में हाल ही में किए गए प्रतिवेदित मंजूरी संशोधन शामिल नहीं हैं :

विवरण

चीनी उद्योग सम्बन्धी दूसरे केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार 1-7-74 को विभिन्न क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दरें ।

क्षेत्र	क्षेत्र में शामिल राज्य	कुल न्यूनतम मजदूरी प्रति माह
		(रुपये)
केन्द्रीय	राजस्थान और मध्य प्रदेश	212.28
उत्तरी	पंजाब, हरियाणा, उ० प्र०, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा	222.28
दक्षिणी	गुजरात, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, आन्ध्र प्रदेश और मैसूर	227.28
महाराष्ट्र	केवल महाराष्ट्र	236.28

दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत मलकानगिरी जोन में अधिक विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

4250. **श्री के० प्रधानी**: क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत, वहां पर पहले से बसाये गये परिवारों के अतिरिक्त मलकानगिनी सब-डिवीजन में विस्थापित व्यक्तियों के कितने परिवारों का पुनर्वास किया जायेगा ;

(ख) इनमें से कितने परिवार वहां पर बसाने के लिये ले जाये गये हैं अथवा बसाये गये हैं ; और

(ग) हाल में वहां पर बसाने के लिये ले जाये गये विस्थापित व्यक्तियों को किस प्रकार का रोजगार दिलाया गया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) 11,000 परिवार ।

(ख) चालू वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में पुनर्वास हेतु 772 परिवार भेजे गये हैं ।

(ग) भूमि का हाथ से उद्धार करना, विस्तार टैंक, गलाने के टैंक, सड़क निर्माण, जैसे निर्माण कार्य इत्यादि ।

दण्डकारण्य परियोजना के मालकानगिरी क्षेत्र में और अधिक विस्थापित व्यक्तियों को बसाने पर आपत्ति

4251. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास के लिये दण्डाकारण्य परियोजना के मालकानगिरी क्षेत्र में और अधिक विस्थापित व्यक्तियों को ले जाये जाने पर स्थानीय आदिवासियों तथा अन्य व्यक्तियों ने आपत्ति उठाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने स्थानीय लोगों द्वारा उस क्षेत्र में विस्थापित व्यक्तियों के आगमन का विरोध किये जाने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) ऐसा बताया गया है कि मलकानगिरी क्षेत्र में और विस्थापित व्यक्तियों को लाए जाने के विरुद्ध विधान-सभा के कुछ स्थानीय सदस्य एवं मलकानगिरी क्षेत्र के आदिवासी नेता विरोध कर रहे हैं । इसमें स्थानीय आदिवासियों का सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता ।

(ख) भविष्य में स्थानीय व्यक्तियों को भूमि उपलब्ध न होने तथा उनके प्रति भेद-भाव की मिथ्या आशंका का आंदोलन के नेताओं द्वारा प्रचार किया जा रहा है ।

(ग) राज्य सरकार के अधिकारी आंदोलन के नेताओं को यह आश्वासन देते आ रहे हैं कि उनका भय निराधार है । उन्होंने इन नेताओं को पोटेरू परियोजना के फलस्वरूप स्थानीय व्यक्तियों को उपलब्ध होने वाले लाभ के बारे में भी बताया है । स्थानीय आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार की उत्सुकता के सम्बन्ध में नेताओं को विश्वास दिलाने के प्रयत्न जारी हैं ।

दण्डकारण्य परियोजना में पोटेरू बांध का अयाकट क्षेत्र

4252. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्कारण्य परियोजना में बनाये जाने वाले पोटेरू बांध का अयाकट क्षेत्र कितना है ;

(ख) प्रस्तावित सिंचित भूमि में स्थानीय व्यक्तियों की भूमि कितनी है ;

(ग) वहां कितने विस्थापितों को बसाया जा चुका है तथा कितनों को बसाया जाएगा ; और

(घ) उड़ीसा सरकार ने दण्डकारण्य परियोजना को पहले कुल कितनी भूमि दी थी तथा अब कितनी दी है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) 1,50,000 एकड़ ।

(ख) 1,50,000 एकड़ भूमि में से 83,000 एकड़ भूमि में जुताई की गई है । 61,000 एकड़ भूमि में स्थानीय व्यक्तियों द्वारा और 22,000 एकड़ भूमि में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा—और शेष 67,000 एकड़ भूमि सिंचाई योग्य एवं कृष्य खाली भूमि है जिसमें इस समय वन है । उपलब्ध 67,000 एकड़ भूमि में से, 40,000 एकड़ भूमि को विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए प्रयोग में लाने का प्रस्ताव है और शेष 27,000 एकड़ भूमि उड़ीसा सरकार द्वारा आदिवासियों एवं अन्य स्थानीय व्यक्तियों के लाभार्थ प्रयोग में लाई जाएगी ।

(ग) 6,190 परिवारों को पहले ही इस क्षेत्र में बसाया जा चुका है । 11,000 और परिवारों को प्रस्तावित पोटेरू सिंचाई परियोजना के नहरी क्षेत्र में बसाने का प्रस्ताव है ।

(घ) पहले दी गई भूमि—1,42,134 एकड़ । अभी तक और कोई भूमि नहीं दी गई है ।

दण्डकारण्य परियोजना में पोटेरू बांध का निर्माण

4253. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना में पोटेरू बांध की अनुमानित लागत क्या है ;

(ख) इसके कब तक बनाये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या अब तक कोई धनराशि दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी वेंकटस्वामी) : (क) पोटेरू सिंचाई परियोजना की अनुमानित लागत 1,481.24 लाख रुपए है ।

(ख) बांध का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

(ग) 31-3-1974 तक पोटेरू सिंचाई परियोजना के निष्पादन के सम्बन्ध में 16-10-1974 को भारत सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार को 'लेखे पर' 71.23 लाख रुपए की मंजूरी दी गई थी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में मलेरिया से मरे व्यक्ति

4254. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में केलेण्डर वर्ष 1974 में मलेरिया से कुल कितने व्यक्ति मरे ; और

(ख) 1972 और 1973 की तुलना में यह आंकड़े कितने न्यूनाधिक हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) तथा (ख) 1972, 1973 तथा 1974 के दौरान दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में मलेरिया के कारण किसी की मौत होने की सूचना नहीं मिली है ।

सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का अध्ययन करने के लिये समिति

4255. **श्री नारायण चन्द पराशर:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सीमा सड़क संगठन के असैनिक कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और उनकी पदोन्नति के अवसरों का अध्ययन करने के लिये समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह समिति किस तिथि तक स्थापित की जाएगी ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) और (ख) ऐसी किसी समिति पर इस समय विचार नहीं किया जा रहा है :

Bridge from Delhi to Shahdara-Gandhinagar

4256. **Shri B.S. Chowhan:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the date on which a proposal to construct new bridge from Delhi to Shahdara-Gandhinagar was finalised;

(b) the progress made till August, 1974 as per scheme; and

(c) the time by which this bridge will be completed as per the scheme and the cost involved therein?

The Minister of State in the Ministry of Shipping & Transport (Shri H.M. Trivedi): (a) No proposal for constructing a new bridge from Delhi to Shahdara-Gandhinagar has been finalised.

(b) and (c) Do not arise.

Production of Pig Iron

4257. **Shri B.S. Chowhan:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the total production of pig iron during the last three years, year-wise;

(b) the quantity of pig iron that was processed and converted into finished iron (steel); and

(c) the names of the countries where the remaining pig iron was exported, with the quantity exported to each country, year-wise?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) The total production of pig iron (hot metal) at the integrated steel plants at Bhilai, Durgapur, Rourkela, Bokaro and TISCO and IISCO during the last three years was as under:

(In'000 tonnes)

1971–72	6,597
1972–73	7,270
1973–74	6,954

(b) Out of the above, the production of pig iron for sale from the Bhilai, Durgapur, Rourkela and Bokaro Steel Plants was as indicated below:

(In '000 tonnes)

1971-72	874
1972-73	1,207
1973-74	1,316

The quantity of pig-iron available for sale from TISCO and IISCO was negligible. The remaining hot metal was utilised for the production of saleable steel or in associate units like Kulti Works of IISCO.

(c) The total export of pig iron during the years 1971-72, 1972-73 and 1974 were as under:—

(In tonnes)

Country	1971-72	1972-73	1973-74
Japan	1,57,044	1,74,629	1,37,870
Phillipines	—	7,005	—
S. Korea	6,573	—	19,025
Singapore	32,399	22,291	26,252
Taiwan	—	6,906	10,084
USSR	—	1,85,909	2,37,570
Yugoslavia	22,129	9,975	—
TOTAL	2,18,145	4,06,715	4,30,801

Spurious Drug Factories

4258. **Shri B.S. Chowhan:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the number of spurious drug manufacturing factories unearthed during the last three years;

(b) the number of lives claimed by these drugs;

(c) the number of factories whose licences have been cancelled and the number of those which were granted new licences; and

(d) the action taken so far against the spurious drug manufacturing factories?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

हल्दिया से भारतीय नौवहन निगम के एक जहाज का बिना कार्मीदल के चला जाना

4259. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम का एक जहाज बिना कार्मीदल के हल्दिया से 13 नवम्बर, 1974 को चल दिया था, और

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य और कारण क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) 13 नवम्बर, 1974 को जब छत्रपति शिवाजी जो कि शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया का (87,500 डी० डब्लू० टी०) का तेल पोत है भारत में तेल लाने के लिये हल्दिया से पश्चिम एशिया खाड़ी के लिये रवाना होने वाला था, तो इंजन रूप के एक नाविक ने अपनी ड्यूटी के बारे में अपने उच्चाधिकारियों और शिप मास्टर के आदेश मानने से इनकार कर दिया । उसे आदेश मानने के लिये राजी करने के सभी प्रयास विफल रहे । इसी बीच, नदी में ज्वार कम होने लगा और मास्टर ने हल्दिया पर जहाज का और रोकना, जोकि काफी हानिप्रद सिद्ध हो सकता था, और अडियल नाविक के साथ यात्रा की जोखम को जानते हुए, पुलिस को बुला लिया और जिसने प्रारम्भिक जांचों के बाद जहाज से नाविक को हटा दिया । एक को छोड़कर अन्य कर्मीदल भी सहानूभूति में जहाज छोड़कर चल दिये । इन सभी बातों पर विचार करते हुए, शिपमास्टर ने 13 नवम्बर, को ही जहाज के शेष कर्मचारियों के साथ रवानगी की ।

2. तत्पश्चात्, अवज्ञाकारी नाविक को छोड़कर, बंबई में जहाज में फिर से आजाने वाले कर्मदल के बारे में शिपिंग कारपोरेशन आफ इडिया तथा कलकत्ता में नेशनल युनियन आफ सीफेयरर्स आफ इडिया के बीच कलकत्ता में एक समझौता किया गया, तदनुसार शिपिंग कारपोरेशन के पीछे रह गये कर्मीदल को लेने के लिये बंबई में जहाज को मोड़ते हेतु शिपमास्टर, को आदेश दिये । जहाज ने 18-11-74 को बंबई से दूर लंगर उठा लिया और कर्मीदल जोकि उसी तारीख को बंबई पहुंचा, जहाज में फिर सवार हो गया और जहाज रवाना हो गया । शिपिंग कारपोरेशन ने मामले की और जांच के लिये एक वरिष्टतम समुद्री अधीक्षक नियुक्त किया है ।

शरणार्थियों के बसाने के लिये भूमि को कृषि योग्य बनाना

4260. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान और तिब्बत के शरणार्थियों तथा श्रीलंका और बर्मा से स्वदेश आये भारतीयों को बसाने के लिये भूमि को कृषि योग्य बनाने के मामले में पुनर्वास और भूकृष्मकरण संगठन निर्धारित कायक्रम से पीछे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और अब तक कितनी भूमि कृषि योग्य बनाई गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वैंकटस्वामी) (क) जी, नहीं ।

(ख) विलम्ब के कारणों का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पुनर्वास भूमि-उद्धार संगठन ने अपनी स्थापना अर्थात् 1-11-1964 से 31-10-1974 तक, दण्डकारण्य में विस्थापित व्यक्तियों तथा प्रत्यावासियों एवं आदिवासियों और अण्डमान और निकोबार द्वीप में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए लगभग 1,18,405 एकड़ भूमि का उद्धार किया है । इसके

अतिरिक्त, राज्य सरकारों आदि के लिए संगठन के एककों की फालतू क्षमता का, अन्य प्रयोजनों के लिए, ऐजेन्सी के आधार पर भूमि-उद्धार के लिए प्रयोग किया गया है ।

पश्चिम बंगाल और आसाम में मरे व्यक्ति

4261. **श्री नूरल हुड्डा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम और पश्चिम बंगाल में एक मई से 31 अक्तूबर, 1974 तक की अवधि में कुपोषण, हैजा, अतिसार और अन्य बीमारियों के कारण कितने व्यक्ति मरे ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रभाव-ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता के लिये औषधियां तथा अन्य चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई हैं, और यदि हां, तो कितनी औषधियां भेजी हैं ?

स्वास्थ्य और परिवहन नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) तथा (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खेतड़ी तांबा परियोजना का कंसेंट्रेटर प्लांट

4262. **श्री शिवनाथ सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी ताम्बा परियोजना का कंसेंट्रेटर प्लांट गत एक वर्ष से प्रति मास कितने दिन काम करता रहा तथा कितने दिन खराब रहा :

(ख) इसके बार-बार खराब होने के क्या कारण थे और क्या इस का डिजाइन तैयार करने या इसको स्थापित किये जाने से किसी एजेंसी द्वारा गड़बड़ी किये जाने का संदेह है ;

(ग) कंसेंट्रेटर प्लांट के चालू किये जाने के पश्चात् अब तक इसके सुधार पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है ; और

(घ) क्या कंसेंट्रेट प्लांट के दूसरे स्ट्रीम को शीघ्र ही चालू किया जाना है और फ्रेंच ग्रुप (वनोपिक) सलाहकारों ने कंसेंट्रेटर प्लांट को चलाकर दिखा दिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) खेतड़ी तांबा परियोजना के सांद्रक संयंत्र में पिछले एक साल के दौरान महीने में औसतन 24 दिन काम हुआ है । कुल 330 कार्य-दिवसों में से बाकी के 42 दिनों में संयंत्र का कामकाज मुख्यत: कुछ परिवर्द्धनों के कारण, जो कुछ परिचालन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जरुरी थे ; तथा अंशत: बार-बार की खराबी के कारण बंद रहा ।

(ख) आरंभ में बार-बार की खराबी कुछ डिजाइन संबंधी कमी के कारण पैदा हुई, जिसे दूर करना था । लेकिन डिजाइन या निर्माण में किसी एजेंसी द्वारा किसी प्रकार की तोड़-फोड़ का संदेह बेबुनियाद है ।

(ग) संयंत्र के परिवधन में अब तक लगभग तीन लाख रुपये खर्च हो चुके हैं । इस मद में अभी एक लाख रुपये और खर्च होने की संभावना है ।

(घ) संयंत्र की दूसरी स्ट्रीम चालू होने को है । किन्तु इस समय केवल एक स्ट्रीम चल रही है। फ्रेंच सलाहकारों द्वारा सांद्रण संयंत्र को नवम्बर, 1973 में परीक्षण के तौर पर चलाया गया था ।

खेतड़ी तांबा परियोजना में तेजाब तथा उर्वरक संयंत्र

4263. **श्री शिवनाथ सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा परियोजना में तेजाब तथा उर्वरक संयंत्र के लिए एफ० ई० डी० ओ० ठेकेदार ने अनेक बार काम करना रोक दिया है क्योंकि उन्हें खेतड़ी तांबा परियोजना में भारी धनराशि लेनी है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या खेतड़ी तांबा परियोजना भारी ऋण में है और वित्तीय दृष्टि से स्थिति काबू से बाहर है । यदि हां, तो उक्त स्थिति के लिये कौन जिम्मेदार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भुगतान में विलम्ब के कारण मैसर्स एफ० ई० डी० ओ० ने सितम्बर, 1974 में खेतड़ी में काम बन्द कर दिया था । हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा सितम्बर, 1974 में मैसर्स एफ० ई० डी० ओ० को कुछ भुगतान किया गया जिसके बाद उन्होंने काम पुनः शुरू कर दिया । एफ० ई० डी० ओ० ने 31 अक्तूबर, 1974 को काम फिर बन्द कर दिया क्योंकि आय-स्त्रोतों की जटिल स्थिति के कारण, हिन्दुस्तान कापर लि० बाद के भुगतान नहीं कर सका । परन्तु हाल ही में मैसर्स एफ० ई० डी० ओ० को उनके बकाया बिलों के लिए एक करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है और आशा है कि वे शीघ्र ही पुनः काम आरम्भ कर देंगे ।

(ख) खेतड़ी तांबा परियोजना हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की एक यूनिट है । पिछले कुछ महीनों से हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की वित्तीय स्थिति कठिन हो गयी है । इसके कुछ कारण ये हैं—अगस्त, 1974 से तांबा धातु पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि तथा तांबा सान्द्रो व रांक फास्फेट ईंधन तेल आदि कच्चे माल पर हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की बैंकों से अपेक्षित ऋण सुविधायें प्राप्त करने की असमर्थता । तांबा सान्द्रो तथा अन्य कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा, जिससे प्रद्रावक को शुरु करने के लिये जमा किया गया है, के कारण काफी धन राशि बन्धक रखनी पड़ी है, जिस पर कम्पनी ने बैंकों से अपेक्षित ऋण सुविधायें नहीं ली क्योंकि विभिन्न उद्योगों पर ऋण नियंत्रण लागू हो चुका था । वित्तीय स्थिति को संभालने के लिये कम्पनी को 2.00 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण की स्वीकृति तथा हाल ही में बजट प्रावधान में से खेतड़ी तांबा परियोजना के लिये 3.39 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है ।

हंगरी के प्रधान मंत्री की यात्रा

4264. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी के प्रधान मंत्री ने नवम्बर, 1974 में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था तथा उनके साथ क्या बातचीत हुई ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) जी, हां । प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के निमंत्रण पर हंगेरियाई लोक गणराज्य की मंत्रि-परिषद के अध्यक्ष महामान्य श्री जेनो फाक ने 21 से 26 नवम्बर, 1974 तक भारत की राजकीय यात्रा की थी ।

(ख) इस यात्रा का उद्देश्य भारत-हंगेरियाई मैत्री, सहयोग तथा परस्पर समझबूझ को बढ़ाना था । दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच परस्पर हित के द्विपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर वार्ता हुई । विचारों के आदान-प्रदान से एक तो इस बात की पुष्टि हुई कि दोनों पक्षों के विचारों में अत्याधिक समानता है, दूसरे इस वार्ता से भारत-हंगेरियाई सहयोग के विकास को भी बल मिला ।

हंगोरियाई प्रधान मंत्री की यात्रा की समाप्ति पर 26 नवम्बर, 1974 को जो भारत-हंगोरियाई संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुई उसकी एक प्रति सदन के पुस्तकालय में रखी जा रही है ।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा निम्नतम राशि के टेंडरों को स्वीकार न करने के मामले

4265. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ने 19 सितम्बर, 1974 को खुले पो/107/426/099/7-5-74/पी एल और/23 जुलाई, 1974 की खुले 202/46/390/13-3-74/27-4-74 पी० एल० के मामलों में निम्नतम राशि के टेंडरों को स्वीकार नहीं किया ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के फैसला करने वाले अधिकारियों द्वारा की गई गम्भीर अनियमितताओं और त्रुटियों के बारे में सरकार की ओर से जांच करने के लिये कोई प्राधिकरण है ; और

(ग) वर्ष 1973 और 1974 में पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा निम्नतम राशि के कितने टेंडर अस्वीकार किये गये ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री ए० के० खाडिलकर) : (क) जी हां ।

पहला मामला (सही टेंडर सं० पी/107/46/099/7-5-74/पी एल)

18-9-74 को टेंडर खोले गये । लगभग 14 प्रतिशत का मूल्य अधिमान स्वीकार करते हुए एक लघु उद्योग एकक से प्राप्त अगले न्यूनतम निवेद के पक्ष में बड़े उद्योग एककों के पहले चार निम्नतम निवेदों (आफरों) की उपेक्षा की गई थी । सामान्यत: बड़े उद्योग एककों से प्राप्त निवेदों का अतिक्रमण करते हुये लघु उद्योग एककों को 15 प्रतिशत तक मूल्य अधिमान स्वीकार किया गया ।

दूसरा मामला (टेंडर सं० 202/46/390/13-3-74/27-4-74/पी एल)

23-7-74 को जब टेंडर खोले गये तो कुल नौ निवेद प्राप्त हुये (बड़े उद्योग क्षेत्र से छः और लघु उद्योग क्षेत्र से तीन) । निविदा-पूछताछ में तीन मद निहित थे । विचार विमर्श के दौरान चार निवेदों में से पूर्ण रूप से तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप नहीं थे अत: उन पर विचार नहीं किया गया । इस क्रियावेश को निम्नलिखित अन्य दो निविदों में विभाजित कर दिया गया :—

बड़ा उद्योग एकक : 46.5 मी० टन

लघु उद्योग एकक : 42.5 मी० टन ।

लघु उद्योग एकक को लगभग 9% का मूल्य अधिमान दिया गया । तथापि आर्डर के एक भाग की तुरंत सुपुर्दगी (डिलीवरी) का सुनिश्चय करने के लिये उसे बड़े उद्योग एकक को दिया गया ।

(ख) जी हां ।

(ग) कभी कभी वैध कारणों की दृष्टि से न्यूनतम निवेदों की भी उपेक्षा कर दी जाती है । किन्तु इस सम्बन्ध में आकड़ों को नहीं रखा जाता है और ऐसा समझा जाता है कि उन्हें एकत्रित करने में लगने वाला समय और श्रम परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

सरकारी कर्मचारियों में क्षय रोग

4266. **श्री विश्वनाथ झुझंनवाला :** क्या **स्वास्थ्य और परिवहन नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में क्षय रोग अभी भी स्वास्थ्य के लिये मुख्य खतरा बना हुआ है ;

(ख) क्या दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कमचारी क्षय रोग से ग्रस्त हैं ; और

(ग) क्या कर्मचारियों के स्वास्थ्य की प्रत्येक वर्ष जांच करने की सरकार की कोई योजना है और यदि नहीं, तो उक्त बीमारी की रोकथाम के लिए कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी, हां ।

(ख) क्षय रोग के (स्प्रेस्ड) रोगियों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई है क्योंकि इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि सरकारी कमचारियों में आम प्रौढ़ जनता की तुलना में क्षय रोग की घटनायें अधिक होती हैं ।

खेतड़ी तांबा परियोजना में कथित दुर्विनियोग के मामले

4267. **श्री शिवनाथ सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो खेतड़ी तांबा परियोजना में माल की खरीद में हुए गम्भीर गोल-माल/दूर्विनियोग के मामलों की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामलों के तथ्य क्या हैं; और

(ग) ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जिनकी ईमानदारी पर शंका है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अपनी जांच-पड़ताल पूरी कर लेने से पहले इसके ब्यौरे बतलाना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल पूरी होने पर कार्यवाही किए जाने के बारे में निर्णय किया जाएगा।

बंगलादेश को ऋण

4268. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बंगलादेश को 10 करोड़ रुपये का आपात ऋण देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपन पाल दास) : : (क) जी हां।

(ख) ऋण भारत से बंगलादेश को पी० ओ० एल० वस्तुओं, नमक, कच्चा लोहा और सीमेंट के खर्च में काम आएगा।

इस ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज होगा। मूलधन 30 सितम्बर, 1977 और 30 सितम्बर 1978 को दो बराबर किश्तों में अदा किया जाएगा।

औषधियों में मिलावट के मामले

4269. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि औषधी उद्योग में बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है ,

(ख) गत वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में मिलावट करने के कितने मामले दर्ज किये गये, इस सम्बन्ध में कितने अपराधी गिरफ्तार किये गये तथा उन्हें सजा दी गई; और

(ग) क्या सरकार इस मामले में और निर्णायक कार्यवाही करने और तस्करों के समान ही इन समाज विरोधी तत्वों को कठोर सजा देने पर विचार कर रही है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) नकली और मिलावटी दवाइयां काफी मात्रा में तैयार हो रही हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) औषधी और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत गलत ब्रांड वाली और मिलावटी दवाइयों का निर्माण करने के लिए जो दण्ड दिया जाना है वह 10 वर्ष तक की कैद और जुर्माना है तथा जो कम से कम एक वर्ष तक न्यायालय द्वारा लिखित रूप से विशेष कारण देते हुए कम भी किया जा सकता है। इस अधिनियम को संशोधित करने का विचार है ताकि दण्डों को और अधिक कठोर बनाया जा सके।

कुद्रेमुख लौह-अयस्क परियोजना

4270. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे प्रधान मंत्री के गत दौरे के दौरान भारत और ईरान के बीच हुए करार के अनुसार संयुक्त उपक्रमों का विस्तार करने, विशेषकर गत चार महीनों के भीतर ईरान की सहायता से कुद्रेमुख लौह-अयस्क परियोजना का विस्तार करने, संयुक्त भारत-ईरान शिपिंग लाइन आदि आरम्भ करने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है।

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिन पाल दास) : (क) और (ख) : भारत और ईरान के बीच भारत-ईरानी शिपिंग लाइन से संबंधित समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है जो दोनों देशों के बीच एक संयुक्त उद्यम होगा। इस समझौते में ईरानी-हिंदी शिपिंग कम्पनी लिमिटेड नामक एक संयुक्त शिपिंग कम्पनी स्थापित करने की बात विदित है। इसका मुख्यालय तेहरान में होगा और इसमें भारत

के जहाजरानी निगम का शेयर 49% होगा तथा आर्य नेशनल लाइन का 51%। दोनों देशों और सुदुर-पूर्व के बन्दरगाहों के बीच तथा ऐसे बन्दरगाहों के बीच, जिन पर परस्पर सहमति हो, 5,00,000 टन माल ढोने की इस लाइन की क्षमता होगी। कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना जैसी दूसरी परियोजनाओं के ब्यौरों के बारे में इस समय ईरानी प्राधिकारियों से विचार-विमर्श हो रहा है।

भारत-बलगारिया करार

4271. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में बलगारिया से हाल ही में कोई करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिन पाल दास) : (क) भारत-बलगेरिया आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग संयुक्त आयोग की पहली बैठक की समाप्ति पर 11 अक्तूबर, 1974 को एक प्रोतोकोल हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) प्रोतोकोल में दोनों पक्षों ने उन क्षेत्रों का उल्लेख किया जहां खाद्य पदार्थ बनाने का उद्योग कृषि, मशीन निर्माण, भारी उद्योग और संयुक्त उद्यम, इलेक्ट्रानिक्स, रसायन और भेषज तथा व्यापार विनिमय के क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा।

शेख अब्दुल्ला के साथ हुई बातचीत पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

4272. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त इन विचारों की ओर दिलाया गया है कि काश्मीर समस्या के हल के लिए भारत और शेख अब्दुल्ला द्वारा निकाले गए किसी फार्मूले को पाकिस्तान तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक उसका देश बातचीत में शामिल नहीं होगा; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिन पाल दास) : (क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्टें देख ली हैं।

(ख) शेख मौहम्मद अब्दुल्ला के साथ बातचीत पूर्णरूप से भारत का अन्दरूनी मामला है और पाकिस्तान की उसमें कोई अधिकारिता नहीं है। यह बात पाकिस्तान को साफ बता दी गई है।

बम्बई से प्रकाशित पत्रिका समह में तालाबन्दी

4273. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई से प्रकाशित होने वाली 'फ्री प्रेस जर्नल' और 'नवशक्ति पत्रिका' समूह में तालाबन्दी की घोषणा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तालाबन्दी की घोषणा कब से की गई है; और

(ग) सरकार ने तालाबन्दी समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) से (ग) : यह मामला आवश्यक रूप से राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार महाराष्ट्र के श्रम मंत्री के हस्तक्षेप पर एक समझौते का पालन करते हुए 'फ्री प्रेस जर्नल', 'जन शक्ति' और 'फ्री प्रेस बुलेटिन' के प्रकाशक इंडियन नेशनल प्रेस, बम्बई में 17 नवम्बर, 1974 को तालाबंदी समाप्त कर दी गई।

Workers laid of in Casting Factories in Uttar Pradesh due to Power Crisis

4274. **Shri M. S. Purty:** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether more than one and a half lakh labourers working in casting factories and steel casting factories in Uttar Pradesh have been rendered unemployed as a result of power shortage; and

(b) if so, Government's reaction thereto and the attitude being adopted by Government for providing employment to these unemployed labourers?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Bal Govind Verma): (a) and (b) The matter falls essentially in the State sphere. The Ministry of Labour have no information on the subject.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन

4275. **श्री एस० एन० मिश्र :**
श्री डी० डी० देसाई :
श्री पी० गंगादेव :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री अनादि चरण दास :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये गये हैं, और

(ग) क्या पुनर्गठन कार्य पूरा हो गया है और यदि हां, तो प्रस्तावित व्यवस्था की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) सम्भवतः अभिप्राय स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० की स्थापना के संदर्भ में हिन्दूस्तान स्टील के पुनर्गठन से है। यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

अगले वित्तीय वर्ष के दौरान इस्पात का आयात करने का प्रस्ताव

4276. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वित्तीय वर्ष के दौरान इस्पात का आयात करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में इस्पात का आयात किये जाने की सम्भावना है;

(ग) किन-किन देशों से इसका आयात किया जायेगा; और

(घ) इसके परिणामस्वरुप कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ) इस समय इस्पात के अन्ततः –उपभोक्ताओं से परामर्श करके अगले वर्ष के लिए आयात योजना बनाई जा रही है।

जम्मू और काश्मीर सतर्कता आयोग द्वारा नकली आयर्वेदिक औषधियां बनाने वाले गिरोह का पकड़ा जाना

4277. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर सतर्कता आयोग ने श्रीनगर में नकली आयुर्वेदिक औषधियां बनाने वाले एक ऐसे देशव्यापी गिरोह को पकड़ा है जिसमें विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी तथा कुछ प्रमुख आयुर्वेदिक फारमेसी शामिल हैं;

(ख) क्या इन अत्यधिक हानिकारक औषधियों के सेवन से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई; और

(ग) क्या इस मामले में कोई गिरफ्तारी की गई है और यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बम्बई बैकवे रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट

4278. **श्री मधु लिमये** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हाल ही में अधिनियमित भारतीय पत्तन अधिनियम के संशोधन के अन्तर्गत उसकी प्रदत्त शक्ति का उपयोग महाराष्ट्र राज्य सरकार को बम्बई बैकवे रिक्लेमेशन प्रोजक्ट को अग्रेतर कार्यान्वित करने से रोकने के लिये किया है अथवा करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो योजना के अग्रेतर कार्यान्वयन से नगर में होने वाली भीड़-भाड़ और यातायात की रुकावटों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) संभवतया उल्लेख बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 46 में संशोधन का है जिसमें यह व्यवस्था हो कि कोई व्यक्ति पत्तन न्यास बोर्ड की लिखित रूप में बिना पूर्व अनुमति के पत्तन अथवा पत्तन पहुंच मार्गों की सीमा में अग्रतट का भूमि सुधार कार्य नहीं करेगा। यह अधिकार संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद ही प्राप्त होगा और बड़े पत्तन न्यास अधिनियम बम्बई पत्तन को लागू किया जायेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम एशिया में परस्पर सहयोग का वातावरण पैदा करना

4279. **श्री मधु लिमये :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि भारत ने पश्चिम एशिया में अरब-राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद-विरोधी शक्तियों का निरन्तर समर्थन किया है;

(ख) क्या इससे इन देशों में, विशेषकर तेल उत्पादक देशों में भारत के लिये पर्याप्त सद्भावना पैदा नहीं हुई है;

(ग) इन तेल उत्पादक देशों में से किस-किस देश ने भारत को रियायती दर पर तेल बेचने की पेशकश की है;

(घ) क्या भारतीय कुटनीति द्वारा औद्योगिक विकास के मामले में इन देशों के साथ परस्पर लाभकर वाणिज्यिक आदान-प्रदान और सहयोग के विकास के लिये आधार तैयार किया है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कुटनीति और वाणिज्यिक गतिविधि के इस क्षेत्र में विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच और अधिक तालमेल पैदा करने के लिये नये उपाय करने का है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिन पाल दास) : (क) भारत ने अरबों की अपने भाग्य निर्णय की, जो विदेशी दबाव एवं हस्तक्षेप से मुक्त हो, उचित आकांक्षाओं का, सदा समर्थन किया है और एशिया में ईज़राइली सशस्त्र आक्रमण जैसे आक्रमक कार्यों की बराबर निन्दा की है।

(ख) सरकार को विश्वास है कि इस नीति की अरब दुनिया ने व्यापक रूप से सराहना की है।

(ग) हमने इस क्षेत्र के बहुत से देशों के साथ द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत की है, जिसमें ईराक और ईरान भी शामिल है; इन दोनों ने ही हमें विलम्बित भुगतान की सुविधाएं प्रदान की है और हमारे साथ तकनीकी, औद्योगिक और आर्थिक सहयोग करना स्वीकार किया है।

(घ) और (ङ) विदेश मंत्रालय में भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों से जिनमें वाणिज्य मंत्रालय तो शामिल ही है, लगातार सम्पर्क बनाये हुए हैं जिससे कि ऐसे मामलों में सम-वय स्थापित किया जा सके जिनसे राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में हमारे वैदेशिक संबंधों पर प्रभाव पड़ता हो।

भारत-जापान सम्बन्ध

4280. **श्री मधु लिमये :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व आर्थिक मंदी के हाल ही के लक्षणों और तेल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि का सामान्य रूप से भारत-जापान संबंधों और विशेष रूप से विदेश व्यापार संबंधों पर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार से ; और

(ग) जापान के साथ संबंधों में अग्रेतर सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) हाल की विश्व-व्यापी आर्थिक मंदी के लक्षणों तथा तेल के दामों में असाधारण वृद्धि से भारत-जापान के राजनीतिक संबंधों पर कोई विशेष

प्रभाव नहीं पड़ा है । जहां तक व्यापार का प्रश्न है न केवल इसकी वृद्धि हो रही है बल्कि इसका सन्तुलन भी भारत के पक्ष में ही अधिक हो रहा है ।

(ख) भारत के पक्ष में व्यापार-संतुलन 1972-73 के 382.2 करोड़ रु० से बढ़ कर 1973-74 में 995.6 करोड़ रु० हो गया । गत वर्ष संसार में मूल्यों की वृद्धि के कारण ही ऐसा नहीं हुआ बल्कि जापान में किए जाने वाले हमारे निर्यात में भी वृद्धि हुई है ।

(ग) भारत और जापान के विदेश मंत्रालयों के बीच वार्षिक द्विपक्षीय विचार-विमर्श नवंबर, 1974 में नई दिल्ली में हुए । आर्थिक विकास के अध्ययन से संबंधित भारत जापान समितियों तथा भारत-जापान व्यापार सहयोग समितियों (व्यापार तथा उद्योग समुदाय की प्रतिनिधि संस्था) ने भी नवंबर में ही भारत में अपने विचार-विमर्श किये । जापान के साथ हमारे संबंधों को और भी विकसित करने में इन विचार-विमर्शों से सहायता मिली है ।

जहाजों का निर्यात

4281. **श्री मधु लिमये** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के जहाज निर्माण कारखानों को इंडियन शिपिंग लाइन्स से पर्याप्त क्रयादेश नहीं मिले हैं ;

(ख) क्या उक्त कारखाने निर्यात की संभावनाओं की खोज कर रहे हैं; और

(ग) क्या विदेशों से, क्रयादेश प्राप्त करने में कोई सफलता मिली है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां । भजगांव डाक लिमिटेड को सिंगापुर की एक पार्टी के लिये दो मध्यम आकार के तटीय जहाजों और ईरान और सउदी अरेबिया के लिये 65 बजरों की सप्लाई के लिये 8 करोड़ रूपये के कुल मूल्य के निर्यात आदेश प्राप्त हुए हैं । कुछ विदेशी फर्मों ने दूसरे हिन्दुस्तान शिपयार्ड जहाजों के आर्डर देने की रुचि दिखाई है ।

आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा इससे सम्बद्ध रेलवे कर्मचारी यूनियन द्वारा धरना

4282. **श्री झारखंडे राय** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा इससे सम्बद्ध रेल कर्मचारी यूनियन फेडरेशन के सदस्यों ने 20 नवम्बर, 1974 को संसद् के सामने रेल कर्मचारियों को सताये जाने तथा सरकार की आवश्यक जमा योजना के विरुद्ध धरना दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) 20 नवम्बर, 1974 को वोट कल्ब में एक धरना दिया गया था । सरकार की आम नीति अपने कर्मचारियों को तंग करने की नहीं है ; परन्तु जब कर्मचारी हिंसात्मक और गंभीर अनुशासन हीनता के कार्य करने पर उतारू हो जाते हैं तो लागू कानूनों और नियमों के अनुसार समुचित कार्यवाही करनी पड़ती है ।

गुजरात में श्रमिक विवादों सम्बन्धी मामले

4283. **श्री अरबिन्द एम० पटेल :**
श्री बेकारिया :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में 1 जनवरी, 1974 से 31 अक्तूबर, 1974 के दौरान श्रमिक विवादों संबंधी कितने मामले प्राप्त हुए ;

(ख) इनमें से कितने मामले पंचाट श्रमिक न्यायालयों को सौंपे गये ; और

(ग) इन में से कितने मामले अभी तक निर्णयाधीन हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और वह प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

एशियाई सुरक्षा के प्रस्ताव पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत

4284. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विदेश मंत्री ने 19 नवम्बर, 1974 को श्रीलंका के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत की थी और उनसे एशियाई सुरक्षा संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई समझौता हुआ है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) 19 नवम्बर, 1974 को भारत के विदेश मंत्री और श्रीलंका की प्रधान मंत्री के बीच बातचीत के दौरान एशिया की सुरक्षा के किसी विशेष प्रस्ताव पर कोई-विचार-विमर्श नहीं हुआ था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिय नई परियोजनायें

4285. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री श्री किशन मोदी :
श्री अनादि चरण दास :
श्री पी० गंजादेव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय रक्षा उत्पादनों को बढ़ाने के लिये नई परियोजनाएं आरंभ करने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है ; और

(ख) उक्त परियोजनाओं पर कितनी लागत आयेगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) रक्षा संबंधी उत्पादन बढ़ाने के लिए कतिपय नई परियोजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ख) परियोजनाओं की लागत सरकार द्वारा स्वीकृति दे दिए जाने के पश्चात् ही बताई जा सकती है ।

संयुक्त क्षेत्र में लघु इस्पात परियोजनायें

4286. **श्री मौलाना इसहाक सम्भली**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त क्षेत्र में दो लघु इस्पात परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) संभवतः अभिप्रायः संयुक्त क्षेत्र में साधारण इस्पात के पिण्डों का उत्पादन करने के लिए विद्युत चाप भट्टी इकाईयां स्थापित करने से है । ऐसे एककों के ब्यौरे जिन्हें आशयपत्र।सी०ओ०बी०/औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं, नीचे दिये गये हैं :—

क्रम संख्या	एकक का नाम	वार्षिक क्षमता (टन)	स्थान
1.	आसाम इंडस्ट्रियल डिवलपमेंट कारपोरेशन लि०, गोहाटी	50,000	असम ठीक-ठीक स्थान नहीं दिया गया
2.	आंध्र प्रदेश इंटस्ट्रियल डिवलपमेंट कारपोरेशन लि०, हैदराबाद	50,000	पलोंचा (कोठागुडम के पास)
3.	गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि०, अहमदाबाद	50,000	भावनगर
4.	हरयाणा पोली स्टील्ज़ लि०, चंडीगढ़	50,000	हिसार
5.	स्टील कम्पलेक्स लि०, फिरोक, केरल	50,000	कालीकट
6.	गोंकटे स्टील्ज़ लि०, तारापुर, महाराष्ट्र	50,000	तारापुर (महाराष्ट्र)
7.	इन्डस्ट्रियल डिवलपमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा	18,000	हीराकुंड
8.	इन्डस्ट्रियल डिवलपमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा	18,000	धेनकनाल
9.	पंजाव कन्कास्ट स्टील्ज़ लि० लुधियाना	50,000	लुधियाना
10.	राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड मिनरल डिवलपमेंट कारपोरेशन लि०, जयपुर	50,000	जयपुर
11.	यू०पी० स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, कानपुर	1,00,000	ज़िला बलिया
12.	वैस्टर्न महाराष्ट्र डिवलपमेंट कारपोरेशन लि०, पूना	18,000	अहमदनगर

भारतीय नौवहन निगम द्वारा ब्रिटेन से प्राप्त जहाज

4287. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय नौवहन निगम ने ब्रिटेन से जहाज प्राप्त करने पर कितनी धन-राशि व्यय की; और

(ख) भारत के लिये ब्रिटेन में निर्मित अन्य जहाजों की डिलिवरी का तरीका क्या था तथा उनकी क्षमता कितनी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि० ने पिछले तीन वर्षों में यू०के० से कोई नया जहाज प्राप्त नहीं किया है परन्तु उन्होंने प्रत्येक 75,000 डी०डब्लू०टी० की क्षमता के दो खुले माल वाहकों के लिये यू०के० में मार्च, 1971 में आर्डर दिया। इनके लिये नवम्बर, 1974 तक 99.05 लाख रु० कुल भुगतान किया गया । पहले जहाज की दिसम्बर, 1974 में तथा दूसरे की अगस्त, 1975 में सुपुर्द किये जाने की संभावना है ।

बंगाल पोटरीज लिमिटेड के दो कारखानों में तालाबन्दी

4288. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बंगाल पोटरीज़ लिमिटेड द्वारा अपने दो कारखानों में अवैध रूप से तालाबन्दी किए जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि लगभग 5000 कर्मचारियों को उनका अर्जित किया हुआ वेतन तक नहीं दिया गया है और वे भारी वित्तीय संकट में हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उक्त तालाबन्दी को उठवाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) यह मामला पूर्णतः राज्य कार्य क्षेत्र में आता है ।

रुरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों का विस्तार

4289. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्तार किये जाने से पूर्व भिलाई इस्पात संयंत्र की उपयोग की जाने वाली क्षमता 113 प्रतिशत, रुरकेला इस्पात संयंत्र की 98 प्रतिशत और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की 101 प्रतिशत थी और विस्तार किये जाने के बाद यह घट कर भिलाई इस्पात संयंत्र में 78 प्रतिशत, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में 46 प्रतिशत और रुरकेला इस्पात संयंत्र में 58 प्रतिशत रह गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त तीनों संयंत्रों के विस्तार पर लगभग 400 करोड़ रुपये व्यय किये जाने के बाद भी क्षमता के कम उपयोग के क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के तीनों इस्पात कारखानों में प्रत्येक के सामने किसी भी वित्त वर्ष में प्रथम विस्तार से पहले और

बाद की अवधि में इस्पात पिण्ड तथा विक्रेय इस्पात का अधिकतम उत्पादन तथा स्थापित क्षमता की तुलना में उसका प्रतिशत तथा प्राप्ति का वर्ष दिखाया गया है :—

कारखाना	अधिकतम उत्पादन			
	क्षमता का प्रतिशत	जिस वर्ष में उत्पादन हुआ	क्षमता का प्रतिशत	जिस वर्ष में उत्पादन हुआ
	विस्तार से पहले		विस्तार के बाद	
इस्पात पिण्ड :				
भिलाई	114.4	1963-64	84.3	1972-73
दुर्गापुर	100.6	1964-65	51.4	1968-69
राउरकेला	106.5	1965-66	65.4	1972-73
विक्रेय इस्पात				
भिलाई	119.0	1964-65	88.9	1972-73
दुर्गापुर	88.6	1963-64	42.5	1967-68
राउरकेला	110.5	1965-66	65.0	1969-70

(ख) कारखानों के विस्तार कार्यक्रम इस प्रकार बनाये गये थे कि दस लाख टन चरण के लिए बनाई गई अन्तर्निहत क्षमताओं का उपयोग हो सके । तदनुसार कातिक इकाईयों की ऐसी रक्षित क्षमताएं, जिन्हें दस लाख टन चरण की निर्धारित क्षमता की प्राप्ति के लिए लगाया गया था, विस्तार के दौरान तथा उसके पश्चात् उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए विस्तार के चरण में निर्धारित क्षमता प्राप्त करने में सामान्यत: अधिक समय लगता है । फिर भी इन कारखानों में गत कुछ वर्षों में क्षमता के कम उपयोग होने के विभिन्न कारण हैं जो अलग अलग वर्षों में भिन्न भिन्न रहे हैं । मोटे तौर पर मुख्य कारण इस प्रकार थे:—कोक ओवन बैटरियों का कार्यकरण संतोषजनक न होना, रख-रखाव का कार्य शेष रह जाना। रख-रखाव की व्यवस्था पर्याप्त न होने के कारण उपकरणों में खराबी आ जाना और कार्य रुक जाना, जुलाई, 1971 में राउरकेला इस्पात कारखाने की स्टील मेल्टिंग शाप की छत का गिर जाना जिसके कारण कई महीनों तक सम्पूर्ण इस्पात कारखाने के संचालन पर प्रभाव पड़ा । मालिक मजदूर संबंध अच्छे न होना विशेष रूप से दुर्गापुर इस्पात कारखाने में तथा कुछ हद तक राउरकेला इस्पात कारखाने में मालिक मजदूर संबंध अच्छे न होना, बिजली की सप्लाई पर प्रतिबंध बिजली की सप्लाई न होना तथा बिजली की सप्लाई में भारी कटौती/बाधाएं । कोयले की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि न होना और वर्ष 1973-74 में रेलवे में औद्योगिक अशान्ति तथा बीच-बीच में धीमी गति से कार्य करने के कारण रेल यातायात में गंभीर बाधा आना ।

टेन्सा, उड़ीसा में बरसुआ लौह खान के श्रमिको की बहाली

4290. **श्री समर मुखर्जी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेन्सा, उड़ीसा में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला की सहायक खान बरसुआ लौह-खान के 16 कर्मचारियों को उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त होने का निर्णय दिये जाने के बाद भी वापस काम पर नहीं लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा): (क) और (ख): तेन्सा लोह अयस्क खान के सोलह श्रमिक, एक आपराधिक मामले में हुई उनकी दोष-सिद्धि के आधार पर, हिन्दुस्तान स्टील लि० राउरकेला के प्रबंध द्वारा पदच्युत किए गए थे। कर्मकारों को बरी करने के पुनर्विचारक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील को उड़ीसा के उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था। श्रमिकों की बहाली के लिए औद्योगिक अधिकरण के पंचाट को कार्यान्वित नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंध ने उच्च न्यायालय से रोधानादेश प्राप्त कर लिया है।

शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि

4291. **श्री सरोज मुखर्जी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि रोज़गार कार्यालय द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या में एक वर्ष के भीतर 757,879 की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त समस्या का मुकाबला करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा): (क) जून, 1972 से जून, 1974 के दौरान रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज शिक्षित (मैट्रिक और इससे अधिक शिक्षा प्राप्त) उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार थी:—

नीचे दी तारीख को	संख्या
30-6-1972	26,11,827
31-12-1972	32,74,182
30-6-1973	35,25,395
31-12-1973	39,01,647
30-6-1974	40,32,252

(ख) और (ग): यद्यपि कृषि, सिंचाई, उद्योग, परिवहन आदि क्षेत्रों में चौथी योजना में सम्मिलित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों से शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के बरोज़गार व्यक्तियों के लिए नए रोज़गार अवसर सृजित हुए हैं, तो भी सरकार ने हाल ही के वर्षों के दौरान अनेक विशेष

योजनाएं कार्यान्वित की हैं जिनका उद्देश्य नौकरी चाहने वाले सभी वर्गों के लिए रोज़गार अवसर सृजित करना है । ये निम्नलिखित हैं:—

(1) शिक्षित बेरोज़गारों के लिए कार्यक्रम ;

(2) राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के लिए विशेष रोज़गार कार्यक्रम ; और

(3) पांच-लाख रोज़गार कार्यक्रम ।

1971-72 के दौरान, शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों के लाभ के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित एक विशेष योजना भी शुरू की गई जिसमें प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार और उसके विस्तार, स्व-रोज़गार कार्यों के लिए लघु उद्यमकर्ताओं को वित्तीय सहायता, ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षण, कृषि सेवा केन्द्र, उपभोक्ता सहकारी भंडारों का विस्तार, सड़क परियोजनाओं का अनवेषण, ग्रामीण जलपूर्ति आदि के लिए डिज़ाइन यूनिट संबंधी योजनाएं शामिल हैं । शिक्षित बेरोज़गारों के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चौथी योजना की अवधि के दौरान 93 करोड़ रुपए की राशि दी गई ।

1972-73 में, एक अन्य कार्यक्रम अर्थात् राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के लिए विशेष रोज़गार कार्यक्रम बनाया गया । इस कार्यक्रम के अंतर्गत चौथी योजना की अवधि के दौरान 50 करोड़ रुपए की राशि दी गई । जिसके फलस्वरूप इस अवधि के दौरान 3.80 लाख रोज़गार अवसर सृजित हुए ।

1973-74 के दौरान सरकार ने शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों के लिए रोज़गार और स्व-रोज़गार अवसरों का सृजन करने की दृष्टि से पांच-लाख रोज़गार कार्यक्रम तैयार किया । इस कार्यक्रम में तीन प्रकार की स्कीमें सम्मिलित हैं, अर्थात् (1) स्व-नियोजित स्कीमें, (2) प्रशिक्षण स्कीमें, (3) रोज़गार प्रोत्साहन स्कीमें । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चौथी योजना की अवधि के दौरान 54 करोड़ रुपए की राशि दी गई जिसके फलस्वरूप इस अवधि के दौरान 3.34 लाख रोज़गार अवसर सृजित हुए ।

चालू वर्ष अर्थात् 1974-75 में स्व-रोज़गार स्कीमों पर बल देने वाला एक और कार्यक्रम चालू किया गया है, जो रोज़गार वर्धन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है और इसके लिए केन्द्रीय बजट में 40 करोड़ रुपए की कुल व्यवस्था की गई है । आशा है कि समाज सेवाओं, व्यापार और वाणिज्य, तृतीय तथा सम्बद्ध सेवाओं, असंगठित क्षेत्रों और निगम क्षेत्र आदि में मध्यम सिंचाई, भू-संरक्षण उद्योग आदि जैसी विकास की विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वियन द्वारा पांचवी योजना के दौरान पर्याप्त रोज़गार अवसर सृजित होंगे ।

अतः इससे प्रतीत होगा कि सरकार नौकरी चाहने वालों के विभिन्न वर्गों के लिए, देश में रोज़गार/स्व-रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध स्रोतों के अनुरूप हर संभव कार्यवाही कर रही है ।

चिकित्सा अनुसन्धान और प्रशिक्षण परियोजना केन्द्र का बन्द किया जाना

4292. श्री सरोज मुखर्जी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा संसद् में पहले इस आशय का वक्तव्य दिये जाने के बावजूद कि चिकित्सा अनुसंधान और प्रशिक्षण (सी०एम०आर०टी०) परियोजना केन्द्र "को बन्द कर दिया

गया है और इसकी अवधि में वृद्धि नहीं की गई है", पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्थानों पर उक्त परियोजना केन्द्र अभी भी सक्रिय हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री ने 30 जुलाई, 1974 को लोक सभा में जो वक्तव्य दिया था वह इस प्रकार है:—

"जान हापकिन्स दो परियोजनाएं चला रहा था—एक कलकत्ता में और दूसरी नारंगवाल में । ये दोनों परियोजनाएं अब समाप्त हो चुकी हैं । इनकी अवधि नहीं बढ़ाई गई है ।"

ये अनुसंधान परियोजनाएं चिकित्सा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र के अधीन भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए स्वीकृत की गई थीं और इन परियोजनाओं की समाप्ति को अन्तिम तारीख 30 सितम्बर, 1973 थी । उसके बाद न तो किसी योजना की अवधि को बढ़ाया गया है और न ही कोई नई योजना स्वीकृत की गई है ।

चिकित्सा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

4293. श्री सरोज मुखर्जी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि स्वास्थ्य मंत्री के वक्तव्य के विपरीत चिकित्सा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र ने पश्चिम बंगाल तथा अन्य स्थानों पर किये गये अनुसंधान तथा अध्ययन संबंधी प्रतिवेदनों को अभी तक पेश नहीं किया है और न ही इसने अभी तक अपना प्रतिष्ठान बन्द किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) कलकत्ता स्थित चिकित्सा अनुसधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र की वर्ष 1965 से 1972 तक की और नारंगवाल की 1971 तथा 1972 की रिसर्च प्रोजैक्ट रिपोर्टों को संसद् भवन के पुस्तकालय में रख दिया गया है । चिकित्सा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र के अन्तर्गत चलने वाली अनुसंधान परियोजनाओं को विभिन्न अवधियों के लिए स्वीकृत किया गया था और उनकी समाप्ति की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर, 1973 थी । उस के बाद न तो किसी योजना को आगे बढ़ाया गया है और न ही किसी नई योजना को स्वीकृत किया गया है ।

रत्नगिरी स्थित मालवान पत्तन कोंकण को तटीय यात्री सेवा के लिये बन्द करना

4294. श्री मधु दडंवते : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में मालवान पत्तन कोंकण तटीय यात्री सेवा के लिये बन्द रहा है, और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चिय करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि मालवान जैसे महत्वपूर्ण पत्तन को तटीय यात्री सेवा के लिये पुनः खोल दिया जाए ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) मालवान पत्तन एक ज्वार पत्तन है और उसका पहुंच मार्ग बड़ा तंग है, जोकि दिसम्बर, 1972 में एम० वी० रोहिणी जहाज के क्षतिग्रस्त होने और डूबने के बाद विशेष तौर पर खतरनाक हो गया है । महाराष्ट्र सरकार से निवेदन किया गया है कि वे चट्टान और जहाज के मलवे पर प्रकाशित बोयों की व्यवस्था जैसी उचित दिक्चालन सामग्री और क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का प्रबंध करें। उनसे यह भी कहा गया है कि वे यात्री जहाजों की लंगरगाह तक और वहां से यात्रियों को लाने ले जाने वाली नौकाओं की खिचाई के लिए एक लांच की भी व्यवस्था करें । मालवान में कोन्कन यात्री जहाजों के फिर से आने पर, इन उपायों के करने के बाद ही विचार किया जा सकता है ।

पंजीकृत बेरोज़गार व्यक्ति

4295. श्री नारायण चन्द पराशर :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1974 तक देश भर के रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत निम्नलिखित श्रेणियों के बेरोज़गार व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है :—

(एक) स्नातक (दो) मैट्रिकुलेट तथा (तीन) मैट्रिक से कम ;

(ख) 30 सितम्बर, 1972 तथा 30 सितम्बर, 1973 को बेरोज़गार व्यक्तियों की तुलनात्मक संख्या कितनी-कितनी रही ; और

(ग) उपरोक्त श्रेणियों के बेरोज़गार व्यक्तियों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) 30 सितम्बर, 1974 को रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की कुल संख्या 86.39 लाख थी जबकि यह संख्या सितम्बर, 1973 तथा सितम्बर, 1972 के अंत में क्रमशः 81.93 लाख और 64.57 लाख थी । चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की शैक्षिक स्तर संबंधी आंकड़े प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर में एकत्र किए जाते हैं । 30 जून, 1974 को चालू रजिस्टर में दर्ज (1) स्नातक (2) मैट्रिकुलेटस् और (3) नान-मैट्रिकुलेटस् की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8737/74] इसमें 30 जून, 1972 और 30 जून, 1973 के संगत आंकड़े भी दिए गए हैं ।

(ग) यद्यपि कृषि, सिंचाई, उद्योग, परिवहन आदि क्षेत्रों में चौथी योजना में सम्मिलित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों से शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के बेरोज़गार व्यक्तियों के लिए नए रोज़गार अवसर सृजित हुए हैं, तो भी सरकार ने हाल ही के वर्षों के दौरान अनेक विशेष योजनाएं कार्यान्वित की हैं जिनका उद्देश्य नौकरी चाहने वाले सभी वर्गों के लिए रोज़गार अवसर सृजित करना है ।

1971-72 के दौरान, प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में दस मास के लिए औसतन 1,000 व्यक्तियों को रोज़गार दिलाने के लिए ग्रामीण रोज़गार की एक त्वरित योजना भी शुरू की गई । उसी वर्ष के दौरान शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों के लाभ के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित एक विशेष योजना भी शुरू की गई जिसमें प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार और उसके विस्तार, स्व-रोज़गार कार्यों के लिए लघु उद्यमकर्ताओं को वित्तीय सहायता, ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षण, कृषि सेवा केन्द्र, उपभोक्ता सहकारी भंडारों का विस्तार, सड़क परियोजनाओं का अन्वेषण, ग्रामीण जल पूर्ति आदि के लिए ड्रिजाइन यूनिट संबंधी योजनाएं शामिल हैं । 1972-73 के दौरान एक अन्य कार्यक्रम अर्थात् राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के लिए विशेष रोज़गार कार्यक्रम बनाया गया, जिसके लिए इस आशा से 27 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई कि राज्य भी समान राशि के अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था करेंगे । 1973-74 में सरकार ने शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों के लिए रोज़गार और स्व-रोज़गार अवसरों का सृजन करने की दृष्टि से पांच-लाख रोज़गार कार्यक्रम तैयार किया । इस कार्यक्रम में तीन प्रकार की स्कीमें सम्मिलित हैं, अर्थात्

(1) स्व-नियोजित स्कीमें,

(2) प्रशिक्षण स्कीमें,

(3) रोज़गार प्रोत्साहन स्कीमें ।

चालू वर्ष 1974-75 के दौरान, स्व-रोज़गार स्कीमों पर बल देने वाला एक और कार्यक्रम चालू किया गया है, जो रोज़गार वर्धन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है और इसके लिए केन्द्रीय बजट में 40 करोड़ रुपए की कुल व्यवस्था की गई है । आशा है कि समाज सेवाओं, व्यापार और वार्णिज्य, तृतीय तथा सम्बद्ध सेवाओं, असंगठित क्षेत्रों और निगम क्षेत्र आदि में मध्यम सिंचाई, भू-संरक्षण, उद्योग आदि जैसी विकास की विभिन्न स्कीमों के कार्यन्वियन द्वारा पांचवी योजना के दौरान पर्याप्त रोज़गार अवसर सृजित होंगे ।

अतः इससे प्रतीत होगा कि सरकार नौकरी चाहने वालों के विभिन्न वर्गों के लिए, जिनमें शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति शामिल हैं, देश में रोज़गार/स्व-रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध स्रोतों के अनुरूप हर संभव कार्यवाही कर रही है ।

पारादीप पत्तन में समुद्री भूमि कटाव को रोकने के लिये समुद्री प्राचीर का निर्माण

4296. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा स्थित पारादीप पत्तन में जल्दी-जल्दी होने वाले समुद्री कटाव को रोकने के लिये एक समुद्री पुल के निर्माण हेतु कोई धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) पारादीप पत्तन न्यास ने इसके लिये कितनी धनराशि की मांग की थी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) 1300 जरीब से 1600 मी० तक और जरीबी 4750 से 5650 मी० तक लगभग 110.00 लाख रुपये

की अनुमानित लागत पर समुद्री दीवार के प्रथम चरण के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं और प्रगति में हैं । हाल ही में पारादीप पत्तन न्यास ने लगभग 342 लाख रुपये की लागत के 1600 जरीब से 4750 मी० तक की समुद्री दीवार (दूसरा चरण) के और भाग के लिये अनुमान भेजा है । इस अनुमान की संबंधित अधिकारियों के परामर्श से जांच की जा रही है ।

अमरीका में भारतीय डाक्टर

4297. **श्री बो०के० दासचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे भारतीय डाक्टरों की संख्या कितनी है जो इस समय अमरीका में काम कर रहे हैं;

(ख) इनमें से कितने प्रतिशत डाक्टर चिकित्सा व्यवसाय में लगे हैं;

(ग) एक डाक्टर के बनने में भारतीय राजकोष पर औसतन कितना खर्च आता है; और

(घ) डाक्टरों के अमरीका चले जाने से भारत को अब तक कुल कितनी राशि की हानि हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार योजना मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख). बतलाया जाता है कि अक्तूबर, 1974 तक अमरीका में लगभग 8,000 भारतीय डाक्टर काम कर रहे थे जिनमें आप्रवासी और गैर-आप्रवासी दोनों शामिल हैं। इन डाक्टरों की संख्या अमरीका में कुल मेडिकल डाक्टरों की संख्या का लगभग 2.2 प्रतिशत बैठती है।

(ग) और (घ). जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी द्वारा 1964 में किए गए अध्ययन के अनुसार एक डाक्टर को प्रशिक्षित करने में अनुमानतः 20,000 रुपये खर्च होते हैं। इस हिसाब से 8,000 डाक्टरों पर होने वाला कुल खर्च 64 करोड़ रुपये बैठता है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक बढ़ाने की योजना

4298. **श्री बो०के० दासचौधरी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 को बढ़ाकर तथा इस बड़े हुए भाग को संख्या 31-बी नाम देकर सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक बढ़ाने की योजना की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, इस परियोजना के लिये कुल कितनी धनराषि नियत की गई है तथा अब तक यदि कोई धनराशि महजूर की गई, तो कितनी; और

(ग) उक्त सड़क को आगे बढ़ाने सम्बन्धी निर्माण कार्य कब आरम्भ हो जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) पांचवीं योजना काल के दौरान मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल करने के लिये नई सड़कों के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। अतः इस समय यह बताना संभव नहीं कि कौन-सी सड़क अथवा सड़कें मौजूदा योजना अवधि में राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में ली जायेंगी।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय इनक्लेबों के शरणार्थियों को पुनर्वास सहायता

4299. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इनक्लेवों के शरणार्थियों को पुनर्वास सहायता देने के लिए अब तक कुल कितनी राशि की मंजूरी दी गई है तथा कितना धन दिया गया है; और

(ख) क्या यह योजना अभी चल रही है; और यदि हां, तो इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज़ पर रख दी जाएगी।

अनुपातिक उपकर के लिये पश्चिम बंगाल की मांग

4300. **श्री बी० के दास चौधरी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार द्वारा राज्य के भीतर अपनी सड़कों के उपयोग के लिये, विशेषकर तटीय क्षेत्रों में, वसूल किये गये उपस्कर (सड़क कर) में से अनुपातित उपकर के रूप में 11 करोड़ रुपये की मांग की है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना से लाभ उठाने के लिये आय की सीमा में वृद्धि करना

4301. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी :**
श्री एस० ए० मुरुगन्तम :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कमचारी राज्य बीमा योजना से लाभान्वित होने के लिए आय की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान सीमा कितनी है, तथा यह कब निश्चित की गई थी ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) जी हां, प्रस्तावों को अभी तक अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) प्रति माह 500 रुपये की वर्तमान सीमा 1966 में हुए अधिनियम के संशोधन द्वारा निर्धारित की गई थी और 28-1-1968 से कार्यान्वित की गई थी।

श्रमिकों को आवास सुविधायें देने के लिये चाय बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 में संशोधन

4302. **श्री नुरुल हुडा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमिकों को आवास सुविधायें देने में अपने सांविधिक दायित्व को पूरा न करने वाले चाय-बागान मालिकों को वहां पर दण्ड के उद्देश्य से चाय-बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 में एक उपबन्ध जोड़ने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं ? तथापि, बागान श्रमिक (संशोधन) विधेयक, 1973 में, जिसे कि राज्य सभा में पहले ही पेश किया जा चुका है, एक उपबन्ध सुझाया गया है जो न्यायालयों को यह अधिकार प्रदान करता है जिससे कि वे उस मामले में जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया, जिसमें आवास सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था न करना भी शामिल है, विशिष्ट अवधि के भीतर सुधार करवा सकते हैं। इस प्रकार की अवधि या बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति पर, उक्त आदेश के अनुपालन न किए जाने के लिए, नियोजक का दोष सिद्धि पर छः महीनों तक की अवधि की सजा दी जा सकती है या ऐसा जुर्माना लगाया जा सकता है जोकि इस प्रकार की समाप्ति के बाद हरेक दिन के लिए एक सौ रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड दिए जा सकते हैं।

ईशापुर आयुध कारखाने के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी

4303. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईशापुर आयुध कारखाने के कतिपय गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी नहीं की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं, और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद द्वारा एक अनुसन्धान पद्धति का विकास

4304. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री अनादिचरण दास :
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री पुरुषोतम काकोडकर :
श्री पी० गंगादेव :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने एक नई चिकित्सा पद्धति का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पद्धति से राष्ट्रीय महत्व के ऐसे क्षेत्रों में जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है, गतिविधियों के लिये मार्ग-दर्शन मिलेगा;

(ग) क्या इस परिषद् के कृतिक बलों (टास्क फोर्सिज) द्वारा कोई ठोस सांविधिक अनुसंधान परियोजनायें तैयार की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) जीव चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में तात्कालिक राष्ट्रीय महत्व के क्या निर्णय हैं उनका पता लगाना इस परिषद् का भविष्य में मुख्य काम होगा। इन क्षेत्रों का पता लगाने के बाद यह परिषद की ड्यूटी होगी कि वह राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान परियोजनाओं की रूप रेखा बनाए ताकि इन समस्याओं का व्यावहारिक और उचित समाधान हो सके। राष्ट्रीय संस्थानों में किए जा रहे मौलिक पहलुओं पर बुनियादी अनुसंधान कार्यों को कुछ हद तक सहायता दी जायेगी। इसी प्रकार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा दी जाने वाली अनुसंधान शिक्षावृत्तियों में से कुछ स्वास्थ्य सम्बन्धी बुनियादी अध्ययनों के लिए होंगी ।

उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र

1. चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के जो कुछेक विषय हैं वे हैं—मलेरिया, कुष्ठ, हैजा और फाइलेरिया।

2. जनन नियंत्रण सम्बन्धी अनुसंधान के क्षेत्र में अरबी से तैयार होने वाले/खाए जाने वाले गर्भ निरोधकों के संश्लेषण अल्पपोषित महिलाओं को दिये जाने वाले गर्भ निरोधकों की वास्तव में कितनी खुराक दी जाएं उसका निर्धारण तथा पोषण और जनन क्षमता में परस्पर सम्बन्ध की समस्या पर अध्ययन करने पर बल दिया जाएगा।

3. कुपोषण लोगों के स्वास्थ्य पर निरन्तर बुरा प्रभाव डालने वाला एक प्रमुख कारण है और इसकी समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाएगा।

4. चिकित्सा सुविधाएं देने की प्रणाली पर अनुसंधान करने की आवश्यकता है।

5. औषधि परीक्षण और औषधि विषविज्ञान तथा औषधि जैव अन्वेषण में सुधार करने सम्बन्धी योजनाएं चलाई जाएंगी।

परियोजनायें तैयार करना

इन कायक्रमों को तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि बुनियादी अनुसंधान कार्यों की भी उपेक्षा न हो और देश की स्वास्थ्य सम्बन्धी मुख्य समस्याओं का व्यावहारिक और उचित समाधान खोज निकालने पर बल दिया जाए।

मेडिकल कालेजों में अनुसन्धान

इस परिषद ने अनेक मेडिकल कालेजों को चिकित्सा अनुसंधान के मुख्य कार्य में एक जुट होकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने की दिशा में बहुत से कदम उठाए हैं ।

अन्य वैज्ञानिक एजेंन्सियों के साथ मिलकर कार्य करना

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् आदि जैसी अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच संयुक्त सलाहकार समितियां बनाने का विचार है ताकि उनके कामों में समन्वय स्थापित किया जा सके और उनके साधनों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके।

Naturopathy Institutions in the Country

4305. Shri Mahadeepak Singh Shakya: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether naturopathy is more easy, simple and cheap than other systems of medicine;

(b) whether Government have not provided any facility to such medical institutions; and

(c) if so, the total number of naturopathy institutions being run by Government and the nature of the assistance given to them?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque : (a) Naturopathy is not a full fledged system of medicine. However, it provides simple and cheap cure for certain disease conditions without the use of medicines.

(b) & (c). No Naturopathy institution is being run by Government of India. Government of India however, provide financial assistance, subject to the resources available, to the Nature Cure institutions for maintenance of study beds equipment, publication of health education material, and training courses in Nature Cure, in accordance with an approved pattern of assistance.

एल्यूमिनियम के पिंडों पर वितरण नियंत्रण

4306. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने एल्यूमीनियम पिंडों पर वितरण—नियंत्रण लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) एल्यूमिनिमम धातु के वितरण पर औपचारिक नियंत्रण 5 अक्तूबर, 1974 से एल्यूमिनियम (नियंत्रण) आदेश, 1970 के अधीन लागू किया गया था।

(ख) देश में एल्यूमिनियम धातु के वितरण में समानता लाने तथा बनाए रखने के लिए इस औपचारिक नियंत्रण को आवश्यक और समीचीन समझा गया है।

विभिन्न पत्तनों को कोयले का भेजा जाना

4307. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में विभिन्न पत्तनों को, पत्तन-वार, अनुमानत: कितनी मात्रा में कोयला भेजा जाना था,

(ख) वर्ष 1973-74 में तथा वर्ष 1974-75 में अब तक वस्तुतः कितना कोयला भेजा गया, और

(ग) कम कोयला भेजने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) 1973-74 के दौरान, 10.08 लाख टन कोयले का सागर द्वारा भेजने का प्रस्ताव था और 1974-75 के लिये तदनुरूप मात्रा 17 लाख टन थी। समुद्र से कोयले का परिवहन रेलवे, थर्मल पावर स्टेशन और सीमेंट उद्योग के लिये है। इनके लिये 1973-74 और 1974-75 वर्षों के लिये ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

(लाख टन)

	रेलवे	थर्मल पावर स्टेशन और सीमेंट उद्योग
1973-74	4.80	6.00
1974-75	5.00	12.00

प्रस्तावित परिवहन आमतौर पर कड़े ढंग से पत्तनवार नियोजित नहीं किया जाता परन्तु वास्तविक रूप से भेजी गई मात्राओं सम्बन्धी ऐसा ब्यौरा भाग (ख) के उत्तर में दिया गया है।

(ख) 1973-74 और 1974-75 (नवम्बर, 1974 तक) के दौरान पत्तनवार वास्तविक रूप से भेजी गई मात्राएं निम्न प्रकार से हैं :—

(लाख टन)

	पत्तन जहां भेजा गया	मात्रा
1973-74	मद्रास	1.45
	तूतीकोरिन	3.06
	कोचीन	0.25
	भावनगर	0.31
	नवलखी	0.70
	ओखा	0.10
	सिक्का	0.07
1974-75 (अप्रैल 74 से नवम्बर, 74)	मद्रास	1.27
	तूतीकोरिन	1.35
	कोचीन	0.42
	भावनगर	0.28
	नवलाखी	0.34

(ग) यह सच है कि तटीय नौवहन को हाल ही में वर्षों में काफी टनभार प्राप्त नहीं हुआ । विशेष तौर पर कलकत्ता पत्तन में मौजूदा भ ड़ा ढांचे की खर्चीली प्रकृति, फैरों में देरी, इसके कारणों में अधिक महत्वपूर्ण है।

नया मंगलौर पत्तन

4308. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये मंगलौर पत्तन के कब तक पूरा हो जाने की आशा है,

(ख) पत्तन कार्य के पूरा हो जाने के बाद क्या इस पत्तन सम्बन्धी परियोजना के कर्मचारियों को गठित होने वाले नये पत्तन न्यास में खपा लिया जायेगा, और

(ग) क्या पुराने मंगलौर पत्तन-न्यास का नये मंगलौर पत्तन-न्यास में विलय कर दिया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) नव मंगलौर पत्तन 4 मई, 1974 से बड़ा पत्तन घोषित किया गया है और यह सीमित यातायात के लिए पहले ही खुला है। सम्पूर्ण योजना 1975 के मध्य तक पूर्ण होने की संभावना है।

(ख) और (ग) नव मंगलोर के लिए पत्तन न्यास की स्थापना करने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। इस प्रश्न पर उचित समय पर विचार किया जायेगा कि पुराना मंगलोर पत्तन नव मंगलोर पत्तन से मिला दिया जाए अथवा नहीं।

नव मंगलोर पत्तन के परिचालन एवं रख-रखाव के लिए कार्मिक आवश्यकताएं निर्माण काल की कार्मिक आवश्यकताओं से भिन्न होंगी। सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूरा होने के बाद, बड़े पत्तन की आवश्यकताओं के अनुसार कर्मचारियों की संख्या निश्चित की जायेगी।

Temporary Employees in Sriram Rayons, Kota

4309. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Labour** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1627 on the 2nd March, 1973 and state:

(a) whether thousands of employees have been employed for several years on temporary basis by M/s. Delhi Cloth and General Mills Co., Ltd. in their branch Sriram Rayons, Kota Rajasthan;

(b) whether a substantial number of employees are working in this industry on daily wages and on contract basis and if so, their number at present; and

(c) the steps being taken by Government to ensure due benefits to these employees in accordance with the rules applicable to permanent employees?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) to (c) The matter falls essentially in the State sphere. The aggrieved employees and their union (s) could take their legitimate grievances in this regard to the State Industrial Relations Machinery and seek remedies through them.

Arrears of E. P. F. against Tea Plantations in Himachal Pradesh

4310. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the number and names of tea plantations in Himachal Pradesh at present against which the amount of provident fund of employees is outstanding indicating the amount outstanding against them;

(b) the action being taken by Government at present to get this amount of provident fund deposited; and

(c) the dates on which notices were served on them by Government and the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) to (c) The Provident Fund authorities have intimated that two tea estates in Himachal Pradesh are in default of provident fund. A statement is laid on the Table of the Sabha giving the relevant details.

Statement

S. No.	Name of defaulting Tea Plantations	Dates of notices served and action taken
1.	M/s. Kangra Valley, Tea Estate, Palampur.	The establishment is in default from February, 1973. Notices were issued to the establishment for reporting compliance by the Provident Fund Inspector/ Regional Office on 13-10-72, 6-3-73 and 27-5-74. A notice has been issued on 28-11-74 under section 7-A of the Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act 1952 for the determination of Provident Fund dues for the period 2/73 to 10/74. The proceedings under section 7-A are fixed for 13-12-74.
2.	M/s. Puran Chand Behari Lal, Bhawarna.	The establishment is covered under the Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act with effect from February, 1968. As no compliance was forthcoming, a sum of Rs.3,123.30 for the period 3/68 to 1/72 was assessed and the recovery certificate sent to the Collector. At this stage, the employer filed a Civil Suit in the Court disputing applicability of the Act to his establishment. The case is pending in the Court.

Arrests of employees of Shahjahanpur Ordnance Factory under MISA and DIR

4311. **Shri Hukam Chand Kachwai.** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether some employees of Shahjahanpur Ordnance factory have been arrested under the Defence of India Rule and MISA;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) Government's policy and future plan for releasing the arrested employees?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Ram Niwas Mirdha) (a) No employee of Shahjahanpur Clothing Factory has been arrested under the MISA, but some employees have been arrested by the local police under the Defence of India Rules.

(b) These employees incited the workers to stay away from work, instigated them to indulge in violence and created disorderly situations endangering the security of the Factory and the production of Defence stores.

(c) The arrested persons have since been released on bail and the cases against them are *Sub-judice.*

Alleged action against Employees of Shahjahanpur Ordnance Factory for Corruption

4312. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether a high level enquiry is being made into the charges of embezzlement and corruption against some Senior Officers of Ordnance Factory, Shahjahanpur;

(b) whether Government are aware of the fact that the matter is being hushed up and the Senior Officers who were transferred in this connection, have not yet gone to the places to which they were transferred; and

(c) the steps proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) Yes, Sir.

(b) Out of 5 Officers transferred from the Clothing Factory, Shahjahanpur, 4 have already joined their new postings. One officer, who is under suspension, is still to move.

(c) Further action will be taken on receipt of the report of the Board of Enquiry and on the results of the investigations which have been entrusted to the local police and the CBI.

लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट मैटरनिटी, धनबाद को सरकारी अधिकार में लाना

4313. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका 2 जून, 1974 के 'कोलफील्ड गजट' में प्रकाशित समाचार का पता है कि 'लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट मैटरनिटी', धनबाद समाप्त हो जाने की स्थिति में है तथा लोगों की यह मांग है कि 'सरकार को तुरन्त इसे अपने अधिकार में लें लेना चाहिए'; और

(ख) इस अस्पताल को समाप्त होने से बचाने की जनता की मांग पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) इस मंत्रालय के ध्यान में ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। तथापि, हम तथ्यों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 को बिहार की चावल मिलों पर लागू करना

4314. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में स्थित कितनी चावल मिलों पर अब तक कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952, 30 सितम्बर, 1974 तक लागू कर दिया गया है और अभी तक कितनी मिलों पर लागू किया जाना है; और

(ख) जिन मिलों पर उक्त अधिनियम लागू नहीं किया है उनके नाम क्या हैं और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। यह यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

रिहाई के मामलों के बारे में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार को जानकारी देने में विलम्ब

4315. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत विभिन्न मालिकों के विरुद्ध दायर किए गए अनेक आपराधिक मामलों में रिहाई के सम्बन्ध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार के कार्यालय को समय पर कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसके परिणामस्वरूप उक्त रिहाई आदेशों के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन यूनिटों के सम्बन्ध में और कार्य संचालक अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) नवम्बर, 1972 से नवम्बर, 1974 की अवधि के दौरान इस प्रकार की रिहाई के तीन मामले हुए थे जो कि एक ही प्रतिष्ठान, मेसर्स नैशनल इंजीनियरिंग वर्क्स, दुमका से सम्बन्धित थे। सहायक लोकाभियोजक से समय पर सूचना न मिलने के कारण रिहाई के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जा सकी। मामले की जांच की जा रही है।

बिहार में कारखानों, प्रतिष्ठानों और खानों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू करना

4316. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 में निर्धारित विभिन्न अनुसूचित शीर्षों के अन्तर्गत आने वाले ऐसे कितने कारखाने प्रतिष्ठान और विभिन्न श्रेणियों की खानें हैं, जिन्होंने 15 से अधिक श्रमिकों को रोजगार दे रखा है और 30 सितम्बर, 1974 तक यह अधिनियम कितनों पर लागू किया गया है ; और

(ख) जिन कारखानों पर उक्त अधिनियम लागू नहीं किया गया है वे कौन-कौन से हैं तथा उनमें कितने कर्मचारी हैं और उन पर अधिनियम लागू न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है। यह यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

प्रादेशिक सेना में भर्ती

4317. **श्री पी० जी० भावलंकर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक सेना की वर्तमान संख्या क्या है और क्या सरकार का विचार इस सेना की भर्ती को बढ़ाने का है;

(ख) गत तीन वर्षों में इस सेना के कर्मचारियों को आवंटित किये गये कार्य क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में इस सेना के प्रशिक्षण तथा साज-समान की मुख्य रूपरेखा क्या है; और क्या ये पर्याप्त हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस सेना को सुदृढ़ बनाने के लिये कार्यवाही करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो वह कार्यवाही क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) प्रादेशिक सेना की वर्तमान संख्या लगभग 34,300 है।

प्रादेशिक सेना में सम्मिलित होने के लिए अधिक नागरिकों को आकर्षित करने के लिए व्यापक प्रचार किया जाता है।

(ख) प्रादेशिक सेना यूनिटों को गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित कार्य आवंटित किए गये :—

(1) उन्होंने नियमित सेना को स्थैतिक ड्यूटियों से मुक्त किया और सिविल प्राधिकरण की सहायता में कार्य किया।

(2) उन्होंने कतिपय अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने में सहायता दी जहां पर उनके न होने के कारण समुदाय का जीवन प्रभावित हो गया होता।

(3) जब आवश्यक हुआ उन्होंने एयर डिफेंस के लिए यूनिटों की व्यवस्था की।

(ग) प्रादेशिक सेना की यूनिटों के प्रशिक्षण की स्थिति संतोषजनक है और उनके उपस्कर उनको आवंटित किए गये कार्यों के लिए पर्याप्त हैं।

(घ) प्रश्न नही उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हल्दिया डाक प्रोजेक्ट

4318. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया डाक प्रोजेक्ट की मुख्य बातें क्या हैं और इसकी अनुमानित लागत क्या है;

(ख) क्या लागत बढ़ गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितनी लागत बढ़ी है,

(ग) निर्माण कार्य कब आरम्भ किया गया और प्रोजेक्ट को कब पूरा किया जाना था और चालू किया जाना था, और

(घ) प्रोजेक्ट को चालू करने में विलम्ब के लिये क्या क्या बातें उत्तरदायी हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) हल्दिया गोदी पद्धति की मुख्य मुख्य बातें हैं—1000 फुट लम्बा जलपाश द्वार सहित अवरुद्ध गोदी और एक लोहायस्क घाट, एक कोयला घाट, एक उर्वरक घाट दो सामान्य माल घाटों और एक फिंगर टाइप जेट्टी का निर्माण। अयस्क कोयला और उर्वरक घाटों में माल की धरा उठाई पूर्णतया यंत्रीकृत होगी। कन्टेनर यातायात की धराउठाई के लिए सामान्य माल घाटों में से एक पर ट्रांसट्रेनर और पोर्ट ट्रेनर क्रेन होगी। फिन्गर टाइप जेट्टी पर बड़े जहाजों से छोटे जहाजों या जलयान में माल रखने के लिए क्रेनें होंगी। इसके अलावा लेत जेट्टी पहले ही से तैयार होकर अगस्त, 1968 में चालू हो चुका है। परियोजना पर अब लगभग 102.25 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

(ख) परियोजना की 40 करोड़ रुपये लागत थी जैसाकि 1965 में अनुमान लगाया गया था। परियोजना की योजना की समीक्षा की गई और कुछ के अतिरिक्त कार्य शामिल किये गए, जोकि बदली हुई परिस्थितियों के कारण आवश्यक समझे गये। लागत में वृद्धि मुख्य रूप से हाल ही के वर्षों के दौरान सामग्री में मूल्य और मजदूरी में तेजी से वृद्धि तथा स्वदेशी निर्माताओं द्वारा बनाए जा रहे विभिन्न उपकरणों के संशोधित मूल्यों के कारण हुई है।

(ग) निर्माण कार्य जनवरी, 1968 में शुरू हुआ। हल्दिया गोदी पद्धति की तैयारी और चालू करने का मूल निर्धारित समय दिसम्बर, 1971 था। मौजूदा संकेत के अनुसार, हल्दिया गोदी परियोजना के 1975 के मध्य तक चालू हो जाने की संभावना है।

(घ) गोदी के निर्माण में देरी के कई कारण हैं, जैसा कि (1) विस्तृत जल अध्ययन के बाद निर्धारित गहनतर डुबावों की प्रत्याशित उपलब्धता के आधार पर जलपाश के आयाम में परिवर्तन, (2) निर्माण से पहले किए जा रहे गहन खुदाई कार्य के लिए गोदी पद्धति के जलपाश द्वारा पर जल स्तर को नीचे करने में कठिनाइयां, (3) इस्पात और सीमेंट की आम कमी, (4) निर्माण सामग्री के लाने ले जाने के लिए वैगनों की अपर्याप्त सप्लाई, (5) बरसात में कार्य सम्बन्धी स्थितियों में श्रम की निम्न उत्पादकता और अप्रत्याशित कठिनाइयां और (6) स्वदेशी निर्माताओं द्वारा संयंत्र और उपकरण की सप्लाई में देरी।

वात रोगों में सर्प विष का प्रभाव

4319. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित वात रोगों के मदन मोहन लाल (एम०एम०एल०) सेन्टर के निदेशक डा० मजूमदार के अनुसार गठिया के इलाज में सर्प का विष अत्यधिक प्रभावी होता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) यह बात सर्व विदित है कि कुछ बीमारियों के इलाज में आयुर्वेदिक दवाइयों में सर्प विष का उपयोग किया जाता है। गठिया के इलाज में इसका उपयोग करने के बारे में अभी प्रयोग किये जा रहे हैं।

Non-Supply of Ayurvedic Tonic to M.P.s.

4321. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to states

(a) whether Ayurvedic tonics like Chavanpras, Shilajit, Drakshasav, are not supplied to Members of Parliament under Health Scheme; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque): (a) & (b) Ayurvedic tonics like "Chavanpras" and "Drakshasava" which are listed items are supplied to all the CGHS beneficiaries in Delhi including Members of Parliament provided these are prescribed/countersigned by the competent medical authorities. "Shilajit" being a non-listed item, is not stored in the dispensaries and as such has to be procured from the market when prescribed to any patient, including the Members of Parliament and supplied to them.

Decline in Population due to Family Planning

4322. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the average decline in population in the country as a result of Family Planning during the last three years;

(b) the particulars of the devices developed for Family Planning; and

(c) the expenditure incurred thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque): (a) It is estimated that as a result of family planning during the last three years (1971–72 to 1973–74) 9.2 million births have been averted and as such the increase in population averted to this extent.

(b) Intra-Uterine Device (Lippes Loop), Nirodh, Diaphragms, Jelly, Foam Tablets and Oral Contraceptives are being made available to the acceptors alongwith facilities for sterilization.

(c) Estimated expenditure incurred on family planning in the country during the last three years is as follows—

	Rs. in lakhs.
1971–72	6175.56
1972–73	7974.30
1973–74	5377.25

The above figures are provisional as audited figures from all the States have not yet been received in this Ministry.

Shortage of X-Ray Reels in the Country

4323. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the country has been facing shortage of X-ray reels;

(b) if so, the time by which self-sufficiency will be achieved in this respect;

(c) the extent to which these are in short supply in the country at present; and

(d) the sources from which this shortage is met?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque): (a) There are no reports of shortage of X-ray films in the country.

(b) to (d). Country's present estimated requirements are between 1.8 to 2.00 million sq. metres. It is being met partly through indigenous production and mostly through imports. M/s. Hindustan Photo Films, Ootacamand, a public sector undertaking, has a licensed capacity of 0.9 million sq. metres. Their production during January-October, 1974 is 6,54,856 square metres. Ministry of Industry and Civil Supplies are considering setting up of a second unit in the public sector. It has been decided to import X-ray films in the form of Jumbo Rolls from GDR through Hindustan Photo Films instead of importing the films from traditional sources such as West Germany, United Kingdom, Belgium.

Special X-Ray films, such as for mass screening, dental X-ray etc. are not manufactured in the country and are also not available from rupee payment sources. M/s Agfa Gavaert India Limited are issued special import licences for these films by the Chief Controller of Imports and Exports on the recommendation of this Ministry. During 1973–74 licences were issued to both of them for a total value of Rs.7.5 lakhs each. During 1974–75 a licence for Rs.10 lakhs has been recommended in favour of M/s. Agfa Gavaert Limited. M/s. Kodak have not approached for any licence so far this year.

Supply of Meat to Kotah Guard Training Centre

4324. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether he-goats and rams are slaughtered in Guard Training Centre Kotah without a test with the result that recruits and other meat-eaters do not get good quality meat;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the age group of the animals brought for the purpose?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik): (a) No, Sir. Animals are not slaughtered in Guard Training Centre, since there is no butchery there. Meat dressed is supplied by the ASC Supply Depot, Kotah to the Guard Training Centre as per ASC specifications.

(b) Does not arise.

(c) The animals slaughtered in ASC butcheries are in the age group of 1 to 6 years.

Export of Steel During 1971-72 and 1973-74

4325. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the names of countries to which India exported steel during the period 1971–72 and 1973–74; and

(b) the amount of foreign exchange earned thereby?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) and (b) Countrywise export of steel and foreign exchange earnings from these exports during 1971–72 and 1973–74 were as below:—

Country	Quantity in tonnes and value in Rupees '000			
	1971–72		1973–74	
	Quantity	Value (f.o.b)	Quantity	Value (f.o.b)
Argentina	9,700	7,705	—	—
Bangladesh	751	919	1,652	3,616
Burma	14,215	17,095	—	—
Dammam	—	—	694	1,027
Dubai	—	—	198	431
Hongkong	700	586	3	5
Iran	15,870	13,141	13,040	13,007
Iraq	435	278	1,837	2,961
Indonesia	690	576	—	—
Jeddah	—	—	1,232	3,229
Kenya	163	112	237	386
Kuwait	790	641	1,282	1,854
South Korea	40,559	43,089	—	—
Korea	—	—	15,747	18,799
Mascat	74	81	—	—
Malaysia	—	—	34	35
Sudan	3,290	2,892	—	—
Singapore	44	40	216	268
Thailand	101	72	420	582
USSR	86,367	79,709	—	—
UAR	16,152	12,785	—	—
USA	2,037	776	—	—
TOTAL :	2,01,978	1,80,497	36,652	46,200

एक महिला अध्यापिका द्वारा दिल्ली छावनी में भूमि पर अनधिकार कब्जा

4326. **श्री सरजू पांडे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक महिला अध्यापिका द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अनधिकार कब्जा किये जाने पर एकजीक्यूटिव आफिसर, दिल्ली छावनी द्वारा आरम्भ की गई कार्यवाही का क्या परिणाम रहा; और

(ख) संबंधित प्राधिकरण ने गैर-कानूनी कब्जे के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) पब्लिक प्रिमेसिस (अनधिकृत कब्जे की बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 5(1) के अधीन अध्यापिका को बेदखली का जो नोटिस दिया गया था उसकी अवधि 5 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हो गई है। तथापि उसने अभी तक अनधिकार कब्जे को नहीं हटाया है।

(ख) छावनी प्राधिकारियों द्वारा अनधिकार कब्जे को पुलिस की सहायता से हटाने का विचार है।

बंगलादेश के शरणार्थियों पर खर्च करने के लिये पश्चिम बंगाल, आसम, मेघालय, त्रिपुरा आदि को दी गई केन्द्रीय सहायता

4328. **श्री समर गुह** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलादेश के मुक्ति सग्राम के दिनोंमें बंगलादेश के शरणार्थियों पर खर्च करने के लिये पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और अन्य किसी राज्य को सामूहिक रूप से या अलग-अलग दिये गये केन्द्रीय अनुदान सहायता और अन्तर्राष्ट्रीय सहायता की राशि के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार को इन राज्य सरकारों से ऐसी वित्तीय सहायता के खर्च की जानकारी मिल गई है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) बंगलादेश के शरणार्थियों पर खर्च करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को निम्नलिखित केन्द्रीय अनुदान/सहायता और अन्तर्राष्ट्रीय सहायता मंजूर की गई थी :—

राज्य सरकार का नाम	केन्द्रीय अनुदान की नकद राशि	संयुक्त राज्य फोकल प्वाइण्ट के ज़रिए प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय सहायता एवं द्विपक्षीय सहायता में से सामग्री के रूप में दी गई सहायता की राशि
	(करोड़	रुपयों में)
पश्चिमी बगाल	110.57	14.33
त्रिपुरा .	20.22	2.48
मेघालय .	14.00	1.27
आसाम .	7.14	0.47
बिहार .	0.14	0.01
	152.07	18.56

(ख) राज्य सरकारो ने अभी तक, नकद केन्द्रीय अनदानों के बारे में, जो उन्हें मंजूर किए गए थे, पूरे परीक्षित लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं। इस मामले का उनके साथ प्रबल रूप से अनुसरण किया जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए विस्तुत बिलों की संबंधित महालेखापालों द्वारा छान-बीन की जा रही है।

दिल्ली में सिनेमा कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

4329. **श्री बयालार रवि:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्लीं में बुकिंग क्लर्कों और गेट कीपरों जैसे सिनेमा कमचारियों को, जो काफी समय से सेवा कर रहे हैं, इस समय क्रमश: 300 रुपये और 200 रुपये से भी कम प्रतिमास मिल रहा है;

(ख) इन कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता अथवा चिकित्सा भत्ता अथवा अंशदायी भविष्य निधि की कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जीवन निर्वाह की अधिक लागत को देखते हुए इनकी स्थिति में सुधार करने हेतु कोई कार्यवाही करने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन कमचारियों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम और औद्योगिक विकास अधिनियम जैसे श्रमिक विधान के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाने का है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा): (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त की गई सूचना के अनुसार, दिल्ली के अधिकांश सिनेमा घरों के बुकिंग क्लर्कों, द्वारपालों आदि जैसे कर्मचारियों की मजदूरी दरें, दिल्ली की चलचित्र प्रदर्शक ऐसोसियेशन और सिनेमा कर्मचारी ऐसोसिएशन के बीच पारस्पारिक समझौतों द्वारा समय समय पर यथा संशोधित दिल्ली के औद्योगिक अधिकरण के एक पंचाट द्वारा शासित होती है। 'क' श्रेणी के अधिकांश सिनेमाओं के कर्मचारियों के मामले में, वर्तमान कुल उपलब्धियों जो 1-11-74 से प्रभावी हैं, निम्न प्रकार हैं:--

वर्ग	आरम्भ की गई मजदूरी दर	जो कर्मचारी 10-13 वर्ष की सेवा कर चुके हैं, उनकी मजदूरियां
	रु०	रु०
1. बुकिंग क्लर्क	274	329
2. द्वारपाल	264	319
3. मुख्य प्रचालक	364	457
4. सहायक प्रचालक/बिजली मिस्त्री	309	395
5. चपड़ासी/चौकीदार/वाहक	244	293
6. सफाई कर्मचारी/साफ करने वाला/मसालची	234	288

इन मजदूरी दरों में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और अतिरिक्त महंगाई भत्ता शामिल है जो दिल्ली प्रशासन के आर्थिक और सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा संकलित निर्वाह व्यय सूचकांकों (आधार वर्ष 1939=100) पर आधारित है। इस समय कर्मचारियों को कोई मकान किराया-भत्ता या चिकित्सा-भत्ता नहीं दिया जा रहा है। मजदूरियों के अतिरिक्त कर्मचारियों को वार्षिक बोनस मिल रहा है जो वार्षिक अर्जित मजदूरियों का 8 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक है। वे कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अधीन भी आते हैं और इन कर्मचारियों को छः महीने की अवधि बीतने के पश्चात् कमचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन लाने का एक प्रस्ताव है, जिस के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा एक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) इन कर्मचारियों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम पहले से ही लागू है और दिल्ली प्रशासन ने दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के साथ-साथ इन कमचारियों की न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित कर दी हैं।

राउरकेला इस्पात संयंत्र से स्क्रेप की बिक्री के बारे में दिनांक 28-3-1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5085 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

Correcting Statement of Answer to Unstarred Question No. 5085 dated 28-3-1974 Re. Sale of Scrap by Rourkela Steel Plant

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : श्री चिन्तामणि पाणिग्रही के लोक सभा के दिनांक 28-3-1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5085 का निम्नलिखित उत्तर दिया गया था :—

"(क) जी, हाँ।

(ख) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 (अप्रैल—दिसम्बर, 1973) के दौरान रद्दी इस्पात और रद्दी लोहे (जिस में पिण्डों के सांचे भी शामिल हैं) की बिक्री में हुई आय नीचे दी गई है :—

1971—72	1972-73	1973-74 (अप्रैल—दिसम्बर, 1973)
507.8 लाख रुपये	608.7 लाख रुपये	393.3 लाख रुपये के लगभग

(ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।"

2. बाद में सरकार को इस बात का पता चला कि उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में दी गई जानकारी हिन्दुस्तान स्टील लि० के क्रेन्द्रीय बिक्री संगठन तथा राउरकेला कारखाने के प्रबन्धकों दोनों द्वारा राउरकेला स्क्रप की कुल बिक्री के बारे में थी जबकि प्रश्न में केवल राउरकेला इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों ारा की गई बिक्री के बारे में जानकारी मांगी गई थी।

3. प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के बाद में जानकारी प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया था क्योंकि जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं थी।

4. इसलिए मैं इस अवसर पर भाग (क) तथा (ख) के बारे में पहले दिए गए उत्तर को ठीक कर रहा हूं तथा 1973-74 के समूचे वर्ष अर्थात् 1-4-73 से 31-3-74 की अवधि के बारे में भी निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं:--

(क) और (ख) राउरकेला इस्पात कारखाने द्वारा विभिन्न किस्मों का स्क्रैप जो पुनर्ढलन योग्य होता है, औद्योगिक अथवा मल्टिंग स्क्रैप तथा मिला जुला स्क्रैप/प्रयुक्त/अस्वीकृत स्क्रेप बैचा जाता है। यह कारखाना प्रयुक्त लोहे तथा इस्पात सामग्री भी बेचता है।

वर्ष 1971-72 से 1973-74 के बिक्री के आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

वर्ष	लाख रुपये
1971-72	427.92
1972-73	441.57
1973-74	711.95

5. जहां तक प्रश्न के भाग (ग) का सम्बन्ध है जिन पार्टियों को उपर्युक्त अवधि में स्क्रैप बेचा गया उनके नाम इस प्रकार हैं:--

1971-72

1. मैसर्स लाल चन्द हीरालाल एण्ड कं०, 15 खेटवाडी मेन रोड, बम्बई-4
2. मैसर्स कृष्णा स्टील इंडस्ट्रीज, मेन रोड, राजगंगपुर
3. कोनार्क स्टील इंडस्ट्रीज, मेन रोड, राजगंगपुर
4. मैसर्स राजेन्द्र स्टील रीरोलिंग मिल्स, मंसर रोड, गुड़गांव (हरियाणा)

1972-73

1. मैसर्स एस० पी० डे० एण्ड कं०, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता-7
2. मैसर्स सियालदाह सेल्स ब्यूरो 307/1, आचार्य एम/टी प्रफुल्लचन्द्र रोड, कलकत्ता-9
3. मैसर्स स्टील एण्ड मेटल क्राफ्ट नालारोड, राउरकेला
4. मैसर्स हिन्दुस्तान इस्पात लि०, महर्षि देवेन्द्र रोड, कलकत्ता-6
5. मैसर्स सोमहट साहू, राउरकेला

6. मैसर्स मेटल फोर्जिगंस (प्रा०) लि०, वी० आई मायापुरी क्षेत्र, राजोरी गार्डन के पीछे नई दिल्ली–27
7. मैसर्स खूबचन्द कुमार जैन, लोहा मंडी, आगरा–2
8. मैसर्स सधोल रीरोलिंग मिल्स, एसोसिएशन आफ उड़ीसा, राजगंगपुर
9. मैसर्स केदार मल्लसंस, मेन रोड, राउरकेला
10. मैसर्स एस० एल० अग्रवाल एण्ड कं०, राउरकेला
11. मैसर्स बनारस स्टील रोलिंग मिल्स, डी/10 स्मोल इंडस्ट्रियल इस्टेट, वाराणसी
12. मैसर्स विजयकुमार वसन्तकुमार 161/1, एम०जी० रोड, कलकत्ता–7
13. श्री आर० के० राय, मार्फत यू० पी० आयरन एण्ड स्टील बिसरा रोड, राउरकेला।

1973-74

1. मैसर्स एस०पी०डे० एण्ड कं०, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता–7
2. मैसर्स हरियाणा ट्रेडिंग कारपोरेशन, सिकन्दराबाद
3. मैसर्स वली मुहम्मद राउरकेला
4. मैसर्स केदारमल्ल संस, मेन रोड, राउरकेला
5. मैसर्स जीवन बोस, 66–मिडल रोड, कलकत्ता–14
6. मैसर्स हजारीलाल, जोहरमल जैन खडरूआ
7. मैसर्स बनारस स्टील रीरोलिंग मिल्स, मेन रोड, राजगंगपुर
8. मैसर्स विजयकुमार वसन्तकुमार, 161/1 एम०जी० रोड, कलकत्ता–7
9. मैसर्स स्मोल रीरोलिंग मिल्स, मेन रोड, राजगंगपुर उड़ीसा।

28 मार्च 1974, के अतारांकित प्रश्न सं० 5085 के भाग (क) और (ख) का उत्तर हिन्दुस्तान स्टील, कलकत्ता के केन्द्रीय बिक्री संगठन द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दिया गया था। चूंकि उस समय बिक्री संगटन ने बताया था कि भाग (ग) से संबंधित जानकारी एकत्र करने में कुछ समय लगेगा इसलिए आश्वासन दे दिया गया था।

2. बाद में सरकार को पता चला कि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में दी गई जानकारी हिन्दुस्तान स्टील लि० के केन्द्रीय बिक्री संगठन तथा राउरकेला इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों दोनों द्वारा की गई कुल बिक्री से संबंधित थी जबकि प्रश्न में केवल राउरकेला इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा की गई स्क्रैप की बिक्री के बारे में पूछा गया था। इसलिए यह उचित समझा गया कि केवल राउरकेला इस्पात कारखाने के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए? इसलिए प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर को ठीक किया जा रहा है।

3. चूंकि अब प्रश्न के भाग (ग) से संबंधित जानकारी भी प्राप्त हो चुकी है इसलिए इस असवर पर प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में दिए गए आश्वासन की पूर्ति भी की जा रही है।

श्री एल एन० मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

Question of Privilege against Shri L.N. Mishra

आयात लाइसेंस कांड

Mr. Speaker: Mr. Vajpayee, you should confine to your notice.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Statement of Shri Mishra is before you and you are now to take a decision.

Mr. Speaker: I shall do that.

Shri Atal Bihari Vajpayee: I will prefer to say something about the statement rather than to give notice a of separat Privilege Motion.

Mr. Speaker: You should confine to your original motion.

Shri Atal Bihari Vajpayee: I never said in the House that Shri L.N. Mishra orders for issuing the licence. Our Charge against him has been that he took personal interest in the matter regarding grant of the licences. Before relinquishing the office of Foreign Trade, he made adequate arrangements for issuance of the licences to these notorious firms. It is strange that Shri Mishra in has statement unnecessarily spent his time in repudiating an allegation that has never been made.

On the other day when this matter was raised. Shri Mishra said "As far as I remember I passed on the letter to the officer cancened in the normal course of business. No order was passed by me." But on the 9th December, during the course of his statement, Shri Mishra had said "I have recorded, I remember, a note almost three months earlier in August and that note related to the examination of the matter in the Ministry of Law of certain legal points, discrimination etc. This was for contesting in a court of law, not for helping anybody". Was this not an order? I again repeat my allegation that before leaivng the Ministry of Foreign Trade, he had prepared the ground for the grant of the licences.

In my letter I had written that in the file the hon. Minister passed two orders, one was at Page 11 and the other at Page 12. One order says that the matter be contested in the court, and the other order at Page 12 says that opinion of Law Ministry be obtained. How can these two orders be passed simultaneously? Moreover, I allege that the opinion of Law Ministry was not obtained. If it was obtained, what was that? The hon. Minister is silent on this point. Are these orders at Page 11 and 12 not related to the licence scandal?

On 9th December Shri Mishra stated that "I had recorded, I remember, a note almost three months earlier in August "But on the other occasion he has mentioned the month as April. How can be make contradictory statements?

The hon. Minister has stated that he passed the intreim and not the final order. Who will decide it?

श्री बसन्त साठे (अकोला) अन्तिम आदेश में लाइसेंस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। कानूनी राय लेने का लाइसेंस देने के मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Shri Tul Mohan Ram made an application on January 3, 1972 and Shri Mishra rejected it. Therefore, the question is how the matter was re-opened. This must have been done with the permission of the hon. Minister.

It is clear from the chargesheet that the lawyer of the firms directly informed Shri Mishra that the case has been withdrawn and a compromise is being made. Now, he is saying that he had said that case be contested in a court of law. When he received the letter of Shri Sadhu Singh along with the withdrawal petition, why did he not write in the letter to enquire as to how the case was withdrawn when he had said that the case be cantested? I would like to quote from the chargesheet "On 23-11-1972 Shri Tul Mohan Ram after meeting Shri L. N. Mishra in his office told S/Shri K.V. Nair and S.M. Pillai that Minister had asked the CCISE to examine the position and put up the case early". Afterwards, the case was sent just after one day.

Mr. Speaker Sir, in this case, you will also have to decide whether the Minister should be held responsible for the actions taken on his behalf by the officers working under him or not? Just to save his own skin, should a Minister be allowed to deny that a particular decision was not his decision? The Minister should accept the fact that the note dated 5th February was issued under his orders but he in not accepting that **(interruptions)** he is misleading the House in this matter.

अध्यक्ष महोदय : यह आदेश सीधे मंत्री द्वारा जारी किया गया है या अधिकारी द्वारा?

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : आदेश किस के नाम पारित किया जाता है तथा उसे कौन जारी करता है? आये दिन आपके आदेश हमारे पास महा सचिव के माध्यम से आते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनकी जिम्मेदारी मेरी होती है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप कृपया कोई ऐसा नियम मत बनाइये जिससे संसदीय लोकतंत्र को आंच आये।

अध्यक्ष महोदय : स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि अधिकारी की बात ठीक है या मंत्री की।

Shri Atal Bihari Vajpayee: In the CBI enquiry there is a separate chapter regarding 'Conduct of Officers'. It has got no bearing with the Court. The Prime Minister and the Home Minister should be directed to place it on the Table of the House. The truth could only be ascertained when the matter is brought before the Privileges Committee and we get an opportunity to examine Shri Mishra and the officer concerned. How that officer can be held guilty without being heard?

Regarding the school issue, it has been stated by Shri Mishra that his father's name has not been correctly quoted. By quoting such a minor mistake, he is trying to escape from the responsibility. If in the first occasion. I quote a wrong name, on another occasion I amended the same. The basic issue is that whether Shri Mishra can be held responsible for what has been said by Shri Tul Mohan Ram or not? Who is wrong, this can only be decided by Privilege Committee.....(*Interruptions*) Mr Speaker, may I complete it.

अध्यक्ष महोदय : आप मेरा निर्णय चाहते हैं। मुझे सदस्यों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अवसर देने का अधिकार है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: It is a fact that these are intimate relations between Shri Tul Mohan Ram and Shri Mishra. Shri Mishra has deliberately twisted the facts and misled the House. Therefore, my submission is that you should call for a copy of the statement made by Shri Mishra before CBI and examine the same. Let the whole matter be referred to the Privilege Committee which would find out the truth and in case Shri Mishra is not guilty in any way the decisions of the Committee will be in his favour. That way he will be completely absolved of the charges. So my submission is that my motion be submitted to Privilege Committee.

Mr. Speaker: I will see the debate which took place yesterday and today.

Shri Atal Bihari Vajpayee: What is your opinion about my motion?

Mr. Speaker: I am taking up the original one which you submitted yesterday. I am not taking the one submitted today.

Shri Atal Bihari Vajpayee: My submission is that if you want some time for your ruling, then keep your ruling pending till we see the CBI papers.

Mr. Speaker: Please conclude. Papers to be laid on the Table....

The Minister of Railways (Shri L.N. Mishra) . Sir, before I start with my statement, I would like to make it clear that when Shri Vajpayee first raised the name of my father alongwith that of a school, at that very moment, I made it clear that I had no information about that. I want to reiterate that I have got no knowledge about the school's Managing Committee decision that school be named after my father's name. If it has been done, it is absolutely without my knowledge and consent. In case a thing is done without my consent I cannot be held responsible for that.

अब मैं कल के वाद-विवाद पर आता हूं । श्री एल० एन० मिश्र द्वारा यह कहा गया कि 5 दिसम्बर, 1974 को उन्हें संसदीय रिपोर्टरों ने गलत सुना। मेरा निवेदन यह है कि मेरे विरुद्ध जो आरोप हैं वह 23 नवम्बर, 1973 के मेरे द्वारा लिखे गये नोट पर ही आधारित है तथा यह तारीख वही तारीख है जिस दिन मैंने डाक में उस जाली ज्ञापन को देखा। श्री एल० एन० मिश्र द्वारा आने पहले भाषण में ज्ञापन की तारीख 22 नवम्बर, 1972 बताई गई तथा उसे सी० बी० आई० को भेजने की तारीख 24 नवम्बर, 1972 बताई गई। अब श्री मिश्र जी यह कह कर कि उन्हें गलत रिपोर्ट

किया गया है, मेरे नोट की गलत तारीख के बारे में स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मैं उनके द्वारा देर से दिये गये स्पष्टीकरण को भी स्वीकार करता हूं। परन्तु इसके साथ ही मैं यह भी बता दूं कि मेरे विरुद्ध लगाया गया आरोप भी यहीं समाप्त हो जाता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे एक पत्र लिख कर मेरे द्वारा 23 अगस्त, 1972 को लिखे गये नोट के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। मैंने 23 अगस्त, को पृष्ठ 11 तथा 12 पर जो नोट लिखे, जिन्हें कि अब फाइल में 11/एन तथा 12/एन कहा जा रहा है, इन का सम्बन्ध न्यायालय में मामला लड़ने तथा उसके विधि पक्षों के बारे में विधि मंत्रालय की राय जानने से था। यह आरोप पूर्णतया गलत है कि यह नोट मैंने लाइसेंस जारी करने के बारे में शीघ्र कार्यवाही करने के बारे में लिखे। (**व्यवधान**)....

जहां तक श्री मधु लिमये तथा श्री एस० एन० मिश्र द्वारा लगाया गया आरोप का सम्बन्ध है कि मैंने रिट याचिकाओं को किसी समझौते के आधार पर न्यायालय से खारिज करवाया, जहां तक मुझे स्मरण है, मैंने इस प्रकार के कोई आदेश नहीं दिये। मैंने न्यायालय में या उससे बाहर किसी प्रकार यह मामला निपटाने के लिये कोई आदेश नहीं दिये (**व्यवधान**) कल जब यह आरोप लगाया गया तो फिर मैंने वास्तविक स्थिति का पता लगाने का प्रयत्न किया। जहां तक मुझे जानकारी है, विदेश मंत्रालय द्वारा उन रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में समझौता करने की कोई पेशकश नहीं की गई है।

मेरे ऊपर सांठ-गांठ का आरोप भी लगाया गया है। मैं इस आरोप का पुरजोर खंडन करता हूं। आरोपपत्र में कतिपय अपराधों के लिए मार्च, 1971 से जुलाई 1974 तक की अवधि को आपराधिक षडयंत्र रचने की अवधि कहा गया है। इस काल के दौरान मेरा आचरण तथा कार्यवाही तथाकथित षडयंत्र कारियों के पूर्णतया विपरीत रही है। इस समय के दौरान श्री तुलमोहन राम ने दो अभ्यावेदन दिये तथा यह दोनों ही अनुदेशों से अस्वीकार कर दिये गये।

मेरे सहयोगी वाणिज्य मंत्री ने 9 सितम्बर, 1974 को इस सभा में वक्तव्य देते हुये बताया कि इन फर्मों को लाइसेंस जारी करने का निर्णय मेरे विदेश मंत्रालय छोड़ने के काफी बाद में लिया गया। (**व्यवधान**)....

अब चर्चाधीन प्रश्न हमारे समक्ष यही रहा कि मैंने 28 अगस्त, 1974 को लोक सभा में जो वक्तव्य दिया उससे सभा की मर्यादा भंग हुई। मैंने यह वक्तव्य मुख्यतः दो आरोपों का खंडन करने के लिए दिया। इनमें से प्रथम तो यह जिस समय यह लाइसेंस जारी किये गये उस समय विदेश मंत्रालय मेरे अधीन नहीं था तथा दूसरा यह कि जाली ज्ञापन तैयार करने से मुझे कोई सरोकार नहीं था। अब तक यह दोनों ही बातें पूर्णतया स्पष्ट हो चुकी हैं। अतः मैं सभा को किसी भी प्रकार से गुमराह करने के लिए दोषी नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : अधिकारियों द्वारा लिखे गये नोटिंग के बारे में क्या स्थिति है, जोकि मंत्री के आदेश पर लिखे गये?

श्री एल० एन० मिश्र : जहां तक नोट 11/एन तथा 12/एन का सम्बन्ध है वह तो मेरे निदेश के अन्तर्गत मेरे विशेष सहायक द्वारा लिखे गये। ...(**व्यवधान**) 5 तारीख की सुबह मैं रेल मंत्री बन गया। अतः उसके बाद मंत्रालय द्वारा जो कुछ किया गया, उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब तक इस पर बहुत कुछ हो गया है। अब मैं इस पर और अधिक व्यवस्था के प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। (**व्यवधान**) अब मैं यह मामला समाप्त कर चुका हूं। आप सभी कृपया बैठ जाइये। मैं आप सभी को एक या दो बार ही नहीं तीन-तीन बार सुन चुका हूं। अब यह मामला समाप्त हुआ।

श्री ज्योतिर्मय बसु: (डायमंड हार्बर) · मेरा एक प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: यह तो बहुत हो गया। आप टेप के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: माननीय सदस्य ने मेरे द्वारा पूर्व उद्धृत किये गये नोट का उल्लेख किया है....(**व्यवधान**)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बजगरा) : यदि उन्हें अनुमति दी जाती है, तो फिर मुझे भी दी जानी चाहिये .....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करने दीजिये, तथा बीच में व्यवधान मत डालिये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: मंत्री महोदय ने कहा कि मैंने इससे पूर्व उनकी टिप्पणी का उल्लेख करते हुये उसकी तिथि 23 नवम्बर, 1972 बताई जबकि उनके अनुसार यह तारीख 23-8-72 थी। यदि मुख्य प्रश्न का (**व्यवधान**) आप शांतिपूर्वक मेरी बात तो सुन लीजिये। मैंने यह कहा कि यह भ्रम सम्भवतः रिपोर्ट के गलत सुनने से हो गया हो....

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्तुपुधा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी भी व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नही देता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मुझे यह समझ नहीं आता कि यह लोग इस पर आपत्ति क्यों करते हैं जबकि आरोपपत्र में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्री तुलमोहन राम 23-11-72 को मंत्री महोदय से मिले। सम्भवतः रिपोर्टर ने इसे 23 अगस्त समझ लिया हो.....(**व्यवधान**).....मेरी कही गई बात की अनेक व्यावस्थायें प्रस्तुत की जा रही हैं। इन्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता मैंने कल टेप सुने थे। उनमें एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो रिपोर्टिंग में छूट गया हो। उसमें 23-8-72 ही कहा गया है। आप चाहें तो वह टेप यहां सुन सकते हैं।

दूसरे मैंने यह भी निवेदन किया था कि मेरे अपने ही भाषण में दो बार तारीख 23-8-72 का उल्लेख हुआ। दूसरी बात मैंने यह कही कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो नोट लिखा गया वह लगभग वैसा ही था जैसाकि 5 फरवरी, 1973 को लिखा गया था। इस सन्दर्भ में मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपके रिपोर्टर ने यदि मेरे भाषण में 23-8-72 का उल्लेख दो बार नहीं किया और यदि ऐसा कर दिया जाता तो सम्भवतः मंत्री महोदय मेरा भाषण पढ़ने के उपरान्त ऐसा निष्कर्ष न निकालते।

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में इसका उल्लेख किया था।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैंने कल भी यही बात कही थी परन्तु फिर भी भ्रम बना रहा।

अध्यक्ष महोदय : अब यह सब कुछ यहीं समाप्त होता है।

Shri Madhu Limaye (Banka): I rise on a point of order. I want a clarification.

Mr. Speaker. No Sir.

श्री मधु लिमये : आप व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति क्यों नहीं देते? आप कौन-से नियम के अन्तर्गत मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने से रोक रहे हैं? आप प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि व्यवस्था के प्रश्न केवल कार्यवाही में बाधा डालने के लिए ही उठाये जा रहे हैं। यह एक, दो या तीन बार नहीं अपितु चार चार-बार आ चुके हैं। अब मैं इनकी अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि वह निरन्तर ही आते जा रहे हैं..... (**व्यवधान**)।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या माननीय मंत्री द्वारा समाचारपत्र की खबर का हवाला देना उचित है, विशेष रूप से इस स्थिति में जबकि मैं यह स्पष्ट वक्तव्य दे चुका हूं कि 'टेप' में यह सम्मिलित है?

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का वर्ष 1970-71 का प्रतिवेदन संघ सरकार (वाणिज्यिक) के भाग 10 तथा 11

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कमार मुखर्जी) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत वर्ष 1970–71 के लिये भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन —संघ सरकार (वाणिज्यिक) के निम्नलिखित भागों (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:

भाग 10—इण्डियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन।

भाग 11—हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8732/74]

कोयला खान (चौथा संशोधन) विनियमन, 1974, कर्मचारी भविष्य निधि (9वां संशोधन) स्कीम 1974 और कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन स्कीमों का 1972-73 के लिये वार्षिक प्रतिवेदन

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उपधारा (7) के अन्तर्गत, कोयला खान (चौथा संशोधन) विनियमन, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक

प्रति जो दिनांक 9 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1197 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। दखिए संख्या एल० टी० 8733/74]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (नौवां संशोधन) स्कीम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 23 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1255 में प्रकाशित हुई थी।

(3) कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन स्कीमों के कार्यकरण सम्बन्धी वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया। दखिये संख्या एल० टी० संख्या 8734/74]

श्री मधु लिमये (बांका) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के वक्तव्य के साथ सारा मामला समाप्त हो चुका है । अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Shri Madhu Limaye: I want to seek a clarification. (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महा सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा ने 10 दिसम्बर, 1974 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसके द्वारा लोक सभा से सिफारिश की गयी है कि वह विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 1973 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति की सदस्यता से सरदार बूटा सिंह के त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर उक्त संयुक्त समिति में लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करे।

(दो) कि राज्य सभा ने 11 दिसम्बर, 1974 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसके द्वारा विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 1973 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि राज्य सभा के 93वें (वर्षाकालीन) सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ा दी गयी है।

(तीन) कि राज्य सभा 11 दिसम्बर, 1974 की अपनी बैठक में लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत हो गई है कि वह सिविल प्रक्रिया (संशोधन) विधेयक, 1974 संबंधी दोनों संभाओं की संयुक्त समिति में श्री विपिनपाल दास के त्यागपत्र के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और उसने यह सूचना भी दी है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उक्त संयुक्त समिति में श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ को नियुक्त किया गया है।

(चार) कि राज्य सभा ने 11 दिसम्बर, 1974 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया है कि जिसके द्वारा बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 1973 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि राज्य सभा के 91वें सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ा दी गई है।

Shri Madhu Limaye (Banka): I walk out in protest.

(व्यवधान)

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बज कर 4 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at four minutes past fourteen of the o'clock.

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये / Mr. Deputy Speaker in the Chair.}

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, two New-Budhists have been blinded in village Dhawri in District Akola of Maharashtra. I had expected that Shri Raghuramaiah would request the Home Minister to give a statement. But it has not come. I, therefore, humbly request to the Hon. Minister, through you, that a wave of hatred should swept throughout the country about this.

श्री बसन्त साठे (अकोला): मैं इस बात का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस गंभीर मामले के संबंध में एक वक्तव्य दिया जायेगा।

श्री समर गुह (कन्टाई): एक आनन्दमार्गी द्वारा अपने आप को जलाये जाने का समाचार छपा है। उसने सरकार को इस बारे में पूर्व सूचना भी दी थी। तब भी यह घटना घटी है। यह बहुत ही भयंकर बात है।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या यह मामला बिहार विधान सभा में नहीं उठाया जाना चाहिये ?

श्री समर गुह: यह कोई राजनैतिक मामला नहीं है। अन्तराष्ट्रीय प्रेस द्वारा इस का लाभ उठाया जायेगा। अतः इस घटना की सारी स्थिति को स्पष्ट करते हुए सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): 13 मास पूर्व मैंने श्री धर के विरुद्ध मामला उठाया था। सभी अपेक्षित दस्तावेज मैंने अध्यक्ष महोदय को सौंप दिये थे। मेरा अनुरोध है कि मामला सदन के समक्ष लाया जाये, जिससे कि सत्य सिद्ध हो सके।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : तकनीकी दोषों के कारण हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स के कानपूर एकक द्वारा एवरो विमानों का निर्माण बन्द कर दिया गया है। वहां 4,000 कर्मचारियों की नौकारियां छिन जाने की आशंका है।

भूतपूर्व रक्षा उत्पादन मंत्री, श्री विद्या चरण शुक्ल ने आश्वासन दिया था कि किसी की भी छंटनी नहीं होगी। समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ है कि मंत्री महोदय ने दूसरे सदन में वक्तव्य दिया है। माननीय रक्षा उत्पादन मंत्री को इस संबंध में एक वक्तव्य देना चाहिये जिससे कि कर्मचारियों के मन में व्याप्त आशंकाएं समाप्त हों।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : There are widespread disturbances in educational institutions throughout the country. There is a report in the press that Police has been called in Lucknow University. There is a general demand in the country for the radical changes in educational institutes. This matter does not relate only to states. Many a times I have demanded that the Education Minister should give a statement in this regard.

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप काजू उद्योग में उत्पन्न हुई स्थिति

श्री सी० एम० स्फीटन (भूवक्तपूजा) : मैं वाणिज्य मंत्री का ध्यान अविलम्बीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

. "केरल उच्च न्यायालय के 3-12-1974 के फैसले के परिणामस्वरूप जिसके द्वारा आयातित कच्चे काजू के वितरण को विनियमित करने संबंधी सार्वजनिक सूचना रद्द कर दी गई है, काजू उद्योग के लिए उत्पन्न स्थिति के बारे में वाणिज्य मंत्री का ध्यान दिलायेंगे।"

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : प्रोसैसिंग के लिये अपेक्षित कच्चे काजू की, जिसकी गिरियों का निर्यात होता है, पूर्ति अधिकांशः आयातों द्वारा की जाती है। 1-9-1970 से कच्चे काजुओं का आयात भारतीय काजू निगम के माध्यम से मार्गीकृत कर दिया गया। आयातित कच्चे काजू के वितरण संबंधी नीति सार्वजनिक सूचना सं० 183/आई० टी० सी०/पी० एन०/73 दिनांक 3-11-1973 में दी गई है।

संक्षेप में इस सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत भारतीय काजू निगम पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं के लिये वितरक अभिकरण है। वास्तविक उपयोक्ता वे प्रोसैसर्ज हैं जिन्होंने काजुओं के आयात तथा निर्यात व्यापार में भाग लिया हो और 1968, 1969 तथा 31 अगस्त, 1970 तक में से किसी भी कैलेण्डर वर्ष में काजू प्रोसैस करने वाली फैक्टरियां चलाई हों। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर आयातित काजुओं का आबंटन किया जाता है :—

(क) केवल उन्हीं फैक्टरियों को आबंटन किये जाते हैं जिन्होंने निर्धारित प्रोफार्मा में भारतीय काजू निगम के पास वास्तविक उपयोक्ता के रूप में घोषणा फाइल की हो और मार्गीकृत होने की तारीख के बाद भारतीय काजू निगम द्वारा मंजूर कर लिये गये हों।

(ख) 1-9-1970 के बाद दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए लगातार बन्द रही कोई फैक्टरी आबंटन की पात्र नहीं है।

(ग) ऐसी कोई फैक्टरी भी आबंटन के लिए पात्र नहीं होगी जो सुरक्षा से संबंधित विधि के उपबंधों, सेवा या मजदूरों को दी जानी वाली मजूरी के निर्धारण और भुगतान की शर्तों के अनुसार नहीं चलती।

(घ) प्रत्येक फैक्टरी को आबंटित की जाने वाली वास्तविक मात्रा भारतीय काजू निगम द्वारा मजदूरों की संख्या के आधार पर तय की जाती है जिसकी पुष्टि फैक्टरी द्वारा रखे गये हाजिरी के रजिस्टर से की जाती है और जिसकी जांच निगम द्वारा की जाती है।

(ङ) आंबंटित कच्चे काजू उसी फैक्टरी में प्रोसैस किये जाने चाहिये जिसे वे आबंटित किये गये हों और उसको किसी अन्य फैक्टरी में ले जाने की अनुमति नहीं है।

अन्य महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आबंटित कच्चे काजू से प्राप्ति की दृष्टि से 120 प्रतिशत काजू की मात्रा के बराबर काजू गिरियों का निर्यात किया जाए और इसका प्रमाण निगम को प्रस्तुत किया जाए। इस शर्त का उद्देश्य यह है कि प्रोसैसिंग एकक स्वदेशी काजू की न्यूनतम मात्रा का प्रयोग करें।

उपर्युक्त पब्लिक नोटिस को चुनौती देने वाली अनेक याचिकाएं केरल उच्च न्यायालय में दायर की गई और भारत सरकार और भारतीय काजू निगम द्वारा उनका प्रतिवाद किया गया। हमे भारतीय काजू निगम और कोचीन में उनके काउन्सेल द्वारा यह सूचित किया गया है कि केरल उच्च न्यायालय ने 3-12-1974 को कुछ याचिकाओं पर निर्णय सुना दिया है। यह समाचार मिला है कि केरल उच्च न्यायालय ने इस पब्लिक नोटिस को अधिकारातीत ठहराया है और भारतीय काजू निगम को प्रत्येक पिटीशनकर्ता को 250 टन आयातित काजू का एक तदर्थ आबंटन करने का निदेश दिया है। हमने निर्णय की एक प्रतिलिपि मांगी है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जबकि केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को देखना और इसके निष्कर्षों पर विचार करना आवश्यक होगा, हमारे पास अब तक जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार हमें निर्णय के विरुद्ध एक अपील दायर करनी पड़ सकती है और रोकने का आदेश लेना पड़ सकता है। तथापि, भारतीय काजू निगम ने पहले ही अपने काउन्सेल को अनुदेश जारी कर दिए हैं कि वे आदेश के क्रियान्वयन पर रोकने का आदेश प्राप्त करने के लिये केरल उच्च न्यायालय के डिवीजन बैंच से सम्पर्क करें।

श्री सी० एम० स्टीफन : एक बहुत ही अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हो गई है। केरल के असंख्य लोगों का यह मामला है। 1970-71, 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में क्रमशः 64,000, 1,57,000, 2,00,000 और 1,57,000 टन का आयात हुआ। निर्यात में भी वृद्धि होती रही है। 1970-71, 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में क्रमशः 52 करोड़, 62 करोड़, 69 करोड़ और 75 करोड़ रु० के मूल्य के निर्यात हुए। 1974-75 में लगभग 111 करोड़ रुपये के मूल्य के निर्यात की संभावना है। लगभग 60 प्रतिशत आयतीत काजू का प्रोसैस किया जाता है। काजू का आयात केवल इस कारण किया जा रहा है कि देश में कुशल व्यक्ति उपलब्ध हैं। देश की अनुमोदित फैक्टरियों में 1,37,000 श्रमिक काम करते हैं जिनमें से 1,07,000 व्यक्ति केरल में और लगभग 25,300 व्यक्ति तमिलनाडु में काम करते हैं। समस्या यह है कि आयातित और देश में उपलब्ध काजू सभी लोगों को साल भर काम देने के लिये पर्याप्त नहीं हैं।

एक मजदूर को साल भर काम देने के लिए 3 टन कच्चा काजू आवश्यक है। इस के आधार पर अनुमोदित फैक्टरियों के मजदूरों को साल में से अधिकतम आठ मास की अवधि के लिए काम मिल सकता है।

व्यापक मार्गीकृत की प्रक्रिया श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अपनाई गई थी। आज स्थिति यह है कि श्रमिकों को नियमित रूप से वेतन मिल रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना रद्द कर दी गई है। इसके परिणाम स्वरूप काजू उद्योग अस्त-व्यस्त हो जायेगा इस से वास्तविक फैक्टरियों के भी बन्द होने की आशंका है। इस निर्णय के पश्चात् सभी फैक्टरियों द्वारा मांग की जायेगी कि कच्चे काजू की उन्हें भी सप्लाई की जाये। इससे नियमित फैक्टरियों को मिलने वाली मात्रा कम हो जायेगी। इसका यह अर्थ है कि जिन श्रमिकों को 7–8 महीने का काम मिल रहा है, उसमें 1–2 महीने की कमी हो जायेगी। इस सब स्थिति का परिणाम यह होगा कि विदेशी मुद्रा उपार्जन का एक मुख्य स्रोत सूखना प्रारंभ कर देगा। यह उद्योग लघु उद्योग व श्रम प्रधान है। लगभग 100 करोड़ रुपये वार्षिक की विदेशी मुद्रा का उपार्जन इसके द्वारा किया जा रहा है जो कि प्रभावित होगा।

मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का प्रयोजन यह है कि मंत्री महोदय थिति की गंभीरता को समझें और सरकार स्थिति में हस्ताक्षेप करें।

दुःख की बात यह है कि केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को आये 9 दिन व्यतीत हो चुके हैं परन्तु सरकार को सूचना काजू निगम के वकील द्वारा प्रेषित की गई। भारत सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। भारत सरकार प्रतिवादी याचिकादाता संख्या 1 थी। परन्तु सरकारी वकील ने सरकार को कोई सूचना प्रेषित नहीं की। इस बात की जांच की जाये कि सरकारी वकील ने किस कारण से यह सूचना सरकार को नहीं भेजी। काजू निगम द्वारा इस मामले में अपील दायर की जा रही है। परन्तु क्या भारत सरकार केवल दर्शक मात्र रहेगी ? क्या उसका इस से कोई संबंध नहीं है ?

सरकार को केवल काजू निगम पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये। सरकार विधि विशेषज्ञों को चीनको भेजे जो अपील दायर करें और रोकादेश प्राप्त करें। केवल सरकारी वकील पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये।

कोयला उद्योग में संकट आया तो सरकार ने हस्तक्षेप किया। कपड़ा उद्योग में भी संकट आने पर ही सरकार ने हस्तक्षेप किया। सरकार को संकट आने पर ही हस्तक्षेप करने की नीति भी बदलनी चाहिये। अतः सारे कानूनी उपबंधों की अभी से ही जांच करनी चाहिये जिससे कि निर्णय के सरकार विरुद्ध जाने की स्थिति का समुचित ढंग से सामना किया जा सके। अन्यथा इन वर्षो में जो यह उद्योग खड़ा हुआ, वह पूरी तरह से ढह जायेगा।

8000 टन काजू के साथ जहाज कोचीन बन्दरगाह पहुंचने वाला है न्यायालय ने इस मात्रा के वितरण की बात की है। अतः सरकार को स्थित की गंभीरता को समझना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि यदि आवश्यकता पड़ी, तो क्या सरकार इन श्रमिकों के भविष्य को बचाने के लिये नया कानून बनायेगी?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फूलपुर) : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह समहत हूं। यह सच है कि 1,60,000 टन आयातित कच्चे काजू की मात्रा निर्यातात्रों की स्थापित क्षमता की तुलना में बहुत कम है इसके परिणाम स्वरूप कारखाने साल भर नहीं चल सकते। इस उद्योग में 1,84,000 श्रमिक काम करते हैं न कि 1,50,000 जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने आयात को मार्गीकृत किया था। इसका निर्यात पहलू भी था। अतः सरकार ने श्रमिकों के हितों तथा निर्यात को बढ़ाने के लिये सार्वजनिक सूचना जारी की जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, निर्यात से होने वाले लाभों में वृद्धि हुई है। इस दिशा में कुछ और कदम उठाये जा रहे हैं। मैं इस बारे में स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से इस मामले में कोई भी ढील नहीं हुई है। सूचना प्राप्त करने के तुरन्त बाद ही भारत सरकार ने निर्णय की प्रमाणित प्रति के लिये तार भेजा लेकिन हमें अभी तक यह प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हुई है। इसके प्राप्त होते ही सरकार इस ओर तुरन्त ध्यान देगी। चूंकि अभी तक निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई, इस लिये इस बारे में हम कुछ अधिक नहीं कह सकते। हम इस ओर पूरा ध्यान देंगे।

श्री बयालार रवि (चिरयिंकलि) : मझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय को काजू उद्योग तथा इसके कर्मचारियों की समस्याओं की पूरी जानकारी है। केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप कमचारियों को बहुत हानि होगी, जिसका प्रभाव विदशी मद्रा पर भी पड़ेगा। यह एक नई समस्या उठ खड़ी हुई है। कर्मचारियों के लिये न्यूनतम मजूरी संबंधी निर्णय को लागु करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने सचमुच एक साहासिक निर्णय लिया है। इसके 1,87,000 कर्मचारियों को लाभ पहुंचा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि संवैधानिक कानून के आधार पर अवश्य कोई कार्यवाही की जानी चाहिये। सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इस मामले की पैरवी के लिये इसे महान्यायवादी अथवा अतिरिक्त महा–अधिवक्ता को भेजा जाना चाहिये। इस बारे में मैं सरकार से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं। यदि ऐसा न किया गया तो यह मामला पेचीदा हो जायेगा। कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सारे मामले को नियमित करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार विधि, संबंधी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगी। वरिष्ठ वकील अथवा महान्यायवादी भेजने संबंधी सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायेगा।

याचिका समिति

COMMITTEE ON PETITIONS

20 वां प्रतिवेदन

श्री जगन्नाथ राव (छत्तरपुर) : मैं याचिका समिति का 20वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE: ARREST OF MEMBERS

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : महोदय, आपके आदेशानुसार, श्री दिग्विजय नारायण सिंह, संसद सदस्य तथा श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, संसद सदस्य की गिरफ्तारी के संबंध में 15 नवम्बर को सदन में उठाए गए प्रश्नों के बारे में तथ्यात्मक स्थिति बताने के लिये मैं आप की अनुमति चाहता हूं। बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री दिग्विजय नारायण सिंह, संसद सदस्य, श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, संसद सदस्य तथा 15 अन्य व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत लागू की गई निषेधाज्ञा तथा भारत रक्षा नियमों के नियम 69 का उल्लंघन करने के लिए 4 नवम्बर, 1974 को लगभग 12 बजे दोपहर को बोरिंग रोड, पटना में गिरफ्तार किया गया था। बिहार सरकार द्वारा यह भी बताया गया है कि इन दो संसद सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में एक तार जिला मजिस्ट्रेट, पटना द्वारा उसी दिन अर्थात् 4 नवम्बर, 1974 को यथोचित रूप से भेज दिया गया था किन्तु शहर में अव्यवस्था होने के कारण तार, तारघर से उस दिन नहीं भेजा गया था और इसे अगले दिन भेजा गया था। इन संसद सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में जिला मजिस्ट्रेट पटना द्वारा बाद में 6 नवम्बर को एक विस्तृत रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय को भेज दी गई थी, जिसमें सूचित किया गया था कि उक्त संसद सदस्य 4 नवम्बर, 1974 को गिरफ्तार किये गये थे। बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि श्री दिग्विजय नारायण सिंह, संसद सदस्य, श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, संसद सदस्य, और उनके साथ गिरफ्तार किए गए अन्य व्यक्ति उसी दिन एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किये गए थे। उन्हे जेल हिरासत में भेजा गया और 4 और 5 नवम्बर, 1974 के बीच की रात्रि को फुलवाड़ी शरीफ कैम्प जेल में रखा गया। उन्हें 10 नवम्बर, 1974 को जेल से मुक्त किया गया था।

श्री डी० एन० सिंह (हाजीपुर) : मैं गृह मंत्री से अनरोध करूगां कि वे बिहार सरकार को यह राय दें कि वह यह न कहें कि 4 तारीख का आन्दोलन पूर्णतः असफल रहा। मुझे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना है।

लोक प्रतिनिधित्व (संसोधन अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा लोक प्रतिनिधित्व (संसोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) ORDINANCE

AND

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 19 अक्तूबर, 1974 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 13) का निरनुमोदन करती है।"

इस बात में कोई संदेह नहीं कि 19 अक्तूबर, 1974 का दिन, अर्थात् जब यह अध्यादेश जारी किया गया, हमारे लोकतंत्र के इतिहास में एक दखद् दिन समझा जायेगा। इससे पहले भी अनेक अनुचित और गलत अध्यादेश जारी किये गये हैं, लेकिन यह सब से अधिक निंदनीय अध्यादेश है। देश में संकट के बढ़ने के साथ साथ सरकार भी अध्यादेशों में वृद्धि कर रही है।

एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक पत्र में ठीक ही कहा गया है कि कोई भी बद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस विषय में सरकार के उद्देश्यों को संदेह की दृष्टि से न देखे। अध्यादेश का कोई भी पहलू रूचिकर नहीं है। इस अध्यादेश में व्यय की सीमा बांधने संबधी उपबंध के दो उद्देश्यों को, अर्थात् निर्वाचन प्रक्रिया में समान प्रभावी आवाज एवम् समान अवसर होने चाहिये और निर्वाचन प्रक्रिया में धनियों का प्रभाव समाप्त किया जाना चाहिये, एक ही बार में समाप्त कर दिया गया है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार यदि उम्मीदवार को सीमा के अन्दर ही व्यय करने के लिये कहा जाए, पर उसका समर्थन करने वाला राजनीतिक दल अथवा उसके मित्र और समर्थक उसके निर्वाचन पर जितना चाहें मुक्त रूप से खर्च कर सकते हैं तो व्यय की अधिकतम सीमा बांधने का उद्देश्य पूर्णतया विफल हो जायेगा तथा लोकतांत्रीक प्रक्रिया की पवित्रता तथा यथार्थता के हित में अधिनियमित लाभकारी उपबंध पूर्णता निष्प्रभावी हो जायेगा। इसलिये सभा के समक्ष सवाल यह है कि क्या हम चुनावों में धन के कुप्रभावों को नियंत्रित करना चाहते हैं या नहीं। इस मामले में कोई उपाय करने से पहले यह सवाल अवश्य हल किया जाना चाहिय।

कम्पनी धन पर से अंकुश हटाने का हाल के फैसले से यही संकेत मिलता है कि सत्तारूढ़ दल वर्तमान खर्चीली चुनाव प्रणाली को जारी रखना चाहता है ताकि इसमें गरीब व्यक्ति के लिये कोई स्थान न रहे। वास्तव में सत्तारुढ़ दल कम्पनियों से खुलेआम दान के रूप में दो लाख रूपये का प्रमाणपत्र प्राप्त करके इसकी आड़ में दो करोड़ रुपये की रकम एकत्र करेगा । यही आधार सत्तारूढ़ दल तैयार करना चाहता है इसलिये यह धारणा बनायी गयी है कि कम्पनी द्वारा दिये जाने वाले चंदे पर से प्रतिबंध हटा लेना चाहिये।

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : क्या आप प्रतिबंध को हटाने के विरूद्ध हैं ?

श्री श्यामनंदन मिश्र : मत्री महोदय ने कहा है कि यह अध्यादेश हमें भविष्य में निर्वाचन संबंधी सुधार लाने से रोकता नहीं है। किन्तु यदि निर्वाचन प्रणाली में सुधार संबंधी संयुक्त प्रवर समिति की सर्वसम्मत सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है, तो कोई भी व्यक्ति इस बात पर कैसे विश्वास कर सकता है कि सत्तारूढ़ दल इस विषय में वास्तव में निष्ठावान है।

सरकार का दवा है कि यह उपाय उन 180 उम्मीदवारों की भलाई के लिए किया गया है जिनकी याचिकायें देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों में विचाराधीन हैं। सरकार का कहना यह भी है कि इनमें बहुत सी विपक्षी दलों की हैं। क्या किसी राजनीतिक दल ने सरकार से इस प्रकार की सुरक्षा का अनुरोध किया है ? अतः प्रत्याशियों के प्रति सरकार कौ उत्कंठा में संदेह है।

देश भर में यह धारणा बन गई है कि ऐसा प्रधान मंत्री के चुनाव की रक्षा करने के लिए किया गया है। इसीलिए सरकार ने इस प्रकार का विधान लाकर अधिक सावधानी बरती है।

यदि इस आशय से कि इससे प्रधान मंत्री के चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा, घातक समझा गया है तो सम्भवतः ईमानदारी इस बात में होगी कि इस सदन में ऐसा संवैधानिक संशोधन लाया जाये कि प्रधान मंत्री के चुनाव पर कोई चुनाव याचिका पेश नहीं की जा सकती ।

अध्यादेश के नैतिक तथा राजनैतिक पहलू हैं । अध्यादेश बहुत ही अनैतिक है । विधान में त्रुटियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को दृष्टि में रखते हुए जहां तक इस अधिनियम को वैध बनाने का संबंध है, यह अद्वितीय अध्यादेश है क्योंकि इससे त्रटियों को जन्म दिया गया है और इस वर्तमान विधान में उन्हें न्यायालय सम्मत बनाया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय ने कोई नया कानून नहीं बनाया है । इसी अध्यादेश से कानून को सुदृढ़ किया जा रहा है । उनके अनुसार, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया अद्यतन निर्णय, इसके पहले निर्णयों के प्रतिकूल ही नहीं है जिनका आशय यह था कि दलों का खर्च शामिल न किया जाये, बल्कि इससे वास्तविक प्रत्याशी द्वारा किया गया खर्चा जैसी अभिव्यक्तियों की भी व्यापक व्याख्या हुई है। उच्चतम न्यायालय ने दल के सामान्य उद्देश्यों के लिए किए गए व्यय और किसी विशेष प्रत्याशी के लिए किए गए व्यय में अंतर किया है । विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में बताया गया है कि किसी एक विशेष राजनीतिक दल के किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव पर होने वाले खर्च की कोई सीमा नहीं है । उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि एक दल के सामान्य प्रचार पर हुए खर्च को प्रत्याशी के चुनाव खर्च में ही जोड़ा जाना चाहिए । इससे दलगत प्रचार या विचारधारा के प्रचार पर होने वाले खर्च में तो छूट मिल गई है ।

जब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसके इस मत से इसके किसी पहले निर्णय का विरोध नहीं होता तो विधि मंत्री ने हमें बताया है कि यह निर्णय उनके विरूद्ध जाता है । उच्चतम न्यायालय का यही मत रहा है कि प्रत्याशी के चुनाव के संबंध में जितना भी व्यय हो वह सब अक्सर के गुण के आधार पर ही उसके चुनाव व्यय में जोड़ा जाना चाहिए । रकमें निर्धारण का यही आधार है । कानून बिना किसी भेदभाव के ही बनाया जाना चाहिये । यदि ऐसा कानून जिस माध्यम से कोई व्यय प्रत्याशी के हिसाब में न जोड़ा जा सके, सही है तो इस कानून को सरकार द्वारा भी अमर नाथ चावला के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए । वास्तविकता तो यह है कि सरकार कानून में फेरबदल कर रही है । सरकार ने यह कानून इसलिये बनाया कि सत्तारूढ़ दल अत्यधिक चुनाव खर्च संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय से बच सके ।

उच्चतम न्यायालय ने प्रत्याशी द्वारा चुनाव व्यय संबंधी नीति राशि तथा राजनैतिक दल तथा समर्थकों द्वारा व्यय की गयी राशि का स्पष्ट उल्लेख किया है कि राजनैतिक दलों तथा समर्थकों द्वारा व्यय की गयी राशि को भी चुनाव व्यय में जोड़ा जाये । सत्तारूढ़ दल उच्चतम न्यायालय की आंखों में धूल डालना चाहता है । यदि वे ऐसा सोचते हैं कि इस अध्यादेश से वे न्यायालय पर यह पाबन्दी लगा सकते हैं कि वह खर्च की अन्तर्निहित स्वीकृति के प्रश्न पर विचार न कर सकें; तो उनकी धारणा ठीक नहीं है । इस प्रश्न पर विचार करना न्यायालय का कर्त्तव्य है । इसी आधार पर श्री अमर नाथ चावला के मामले में यह कहा गया है कि खर्च अधिक किया गया । राम दयाल बनाम ब्रजराज सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि ग्वालियर के महाराजा और राजमाता द्वारा जो खर्च किया गया उसका सीधा संबंध ब्रजराज सिंह के चुनाव अभियान से नहीं था, अतः उसे उसके चुनाव खर्च में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है । इस दृष्टि

से उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से हमारे मत का समर्थन होता है, विरोध नहीं । यदि आप निर्णय की व्याख्या अन्यथा की जाये तो बात और है । सर्वोच्च न्यायालय की इस राय की पुष्टि रानंजय सिंह बनाम बेजनाथ सिंह, मेगराज पटोदिया बनाम आर० के० बिड़ला आदि और बी० राज गोपाल बनाम एन० जी० रंगा के मामलों में दिये गये निर्णयों से होती है । ऐसे मामलों में यह मुख्यत: देखा जाता है कि क्या ऐसी परिस्थिति साक्ष्य उपलब्ध है जिसके आधार पर अनुमान लगाया जा सके कि जो खर्च किया गया है, वह उम्मीदवार की स्वीकृति से किया गया है । श्री डी० पी० मिश्र बनाम के० एन० शर्मा के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि चुनाव क्षेत्र में राजनीतिक दल भी खर्च कर सकता है, न केवल उम्मीदवार ही । किन्तु न्यायालय ने 500 रुपये की वह राशि डी० पी० मिश्र के हिसाब में गिनी थी जो उसने अपने दल के पास जमा कर रखी थी ।

अत: मेरी राय है कि इस अध्यादेश के बावजूद न्यायालय अपनी स्थिति नहीं बदलेंगे ; वे इस बात की कभी भी अनुमति न देंगे कि राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार पर जितना अधिक चाहें खर्च कर सकें । मेरा निवेदन यह है कि अधिनियम की धारा 77 में दो स्पष्टीकरण जोड़ देने मात्र से कानून के मौलिक स्वरूप को नहीं बदला जा सकता । आप अधिनियम में वह बात घुमाफिराकर जोड़ रहे हैं जो न्यायालय को स्वीकार्य नहीं है । इसी दृष्टि से यह विधेयक आपत्तिजनक है और हम इसका पूर्णत: विरोध करते हैं । यह विधेयक केवल शासक दल के हितों की रक्षा के लिए लाया गया है और ऐसा करके शासक दल देश में लोकतंत्र को समाप्त करने जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प अब सभा के समक्ष है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : I want to raise a point of order. About it I have already given in writing.

श्री एच० आर० गोखले : जहां तक मुझे पता है, ऐसा कोई निर्णय नहीं है जिसके अन्तर्गत विचार करने के प्रस्ताव पर आपत्ति की जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने पहले ही यह लिखकर दे दिया था कि वह विधेयक का विरोध पुर:स्थापन के समय ही करना चाहते हैं । उनका नाम कार्य सूची में भी दर्ज है।

श्री एच० आर० गोखले : यदि आप इसकी अनुमति देते हैं तो बात और है । वैसे विचार के प्रस्ताव पर इसकी अनुमति से एक नयी प्रक्रिया का जन्म हो जायेगा ।

Shri Janeshwar Mishra: Sir, we want to oppose this Bill as this very stage of presentation. I want to submit that the Bill which is going to be considered constitutes the contempe of the Supreme Court. The subject matter of this Bill is such that on the basis of it a number of election petitions are pendnig in the courts. So, I want a clear cut ruling about the question whether we can refer to the cases now pending before the courts while discussing the provisions of the present Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में संविधान और नियम स्पष्ट है कि हम उन मामलों का उल्लेख नहीं कर सकते जो न्यायालयों में न्यायाधीन हैं । हां, उन मामलों का जिक्र किया जा सकता है जिनमें न्यायालय अपना निर्णय दे चुके हैं ।

Shri Janeshwar Mishra: Then hon. Minister should not have brought this Bill and you should ask him not to introduce it.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह अध्यादेश लाने का कारण यह है कि शासक दल, ऐसे ही मामलों में न्यायालयों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के आधार पर भविष्य में दिये जाने वाले निर्णयों की क्रियान्विती को रोकना चाहता है । चूंकि विधेयक ही ऐसा है इसलिए वक्ताओं के लिए उस नियम के भीतर रहना असम्भव है कि न्यायालय में चल रहे मुकदमों का उल्लेख न किया जाये । मंत्री महोदय ने बिल पेश करके नियम का उल्लंघन किया है, तो हम भी लाचार हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात समझ गया हूं । किन्तु सभा में चर्चा तो संविधान और नियमों के अन्तर्गत ही होनी चाहिए ।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : श्री ज्योतिर्मय बसु ने जो तर्क दिया है, वह हास्यास्प्रद है । इस दृष्टि से तो सरकार कोई भी नया विधेयक न ला सकेगी क्योंकि प्रत्येक विधेयक का प्रभाव कुछ न्यायाधीन मामलों पर अवश्य पड़ता है । अतः यह कहना उचित नहीं है कि बिना न्यायाधीन मामलों का उल्लेख किये इस विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता । चूंकि इस विधेयक का प्रभाव कुछ न्यायाधीन मामलों पर पड़ेगा । इसलिए संविधान और नियमों को एक तरफ रख दिया जाये, यह तर्क उचित नहीं है । अतः मैं आप के इस विनिर्णय से पूरी तरह सहमत हूं कि वे उन मामलों का उल्लेख नहीं कर सकते जो न्यायालयों में चल रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह विधेयक इसलिए लाया गया है ताकि वर्तमान कानून की सामान्य क्रियान्वित को रोका जा सके ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमान्, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद 19 अक्तूबर, 1974 को माननीय मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से एक नया कानून अस्तित्व में आ गया है और अध्यादेश आवश्यक हो गया है, क्योंकि लोक सभा और विधान सभाओं के चुनावों के बारे में 180 चुनाव याचिकाएं न्यायालयों में न्यायाधीन हैं । यदि माननीय मंत्री न्यायाधीन याचिकाओं का जिक्र कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते ? यह एक वास्तविकता है । उनके उल्लेख के बिना विधेयक पर चर्चा की संभावना पर विचार करना ही व्यर्थ है। यदि विधेयक पर चर्चा होती है, तो वह वास्तविकता पर आधारित और सारगर्भित होनी चाहिए ।

श्री ए स० एम० बनर्जी (कानपुर) : इस सभा के एक सदस्य, श्री अमरनाथ चावला की सदस्यता उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा हाल ही में समाप्त कर दी गई है । यह निर्णय चुनाव याचिका पर दिया गया है । इसी के परिणामस्वरूप यह अध्यादेश जारी किया गया है । श्री चावला ने उच्चतम न्यायालय में पुनः अपील की है । क्या चर्चा के दौरान श्री चावला की याचिका का उल्लेख भी नहीं किया जा सकता ? अन्य 180 याचिकायें को आप न्यायाधीन बता सकते हैं । किन्तु क्या श्री चावला की अपील याचिका का भी उल्लेख नहीं किया जा सकता ?

श्री जी० पी० मावलंकर (अहमदाबाद) : ऐसे 180 मामले हैं जिनमें प्रधान मंत्री का मामला महत्वपूर्ण है । विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह लिखा है कि श्री कंवरलाल गुप्त बनाम श्री अमरनाथ चावला आदि के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 'खर्च किया या खर्च की अनुमति दी' (इनकर्ड ओर आथोराइज्ड) की व्याख्या इस प्रकार से की है कि राजनीतिक दल द्वारा किया गया खर्च भी चुनाव खर्च में शामिल कर लिया गया है । इस व्याख्या का प्रभाव उन उम्मीदवारों पर पड़ सकता है जिनकी चुनाव याचिकाएं विचाराधीन हैं । अतः धारा 77 की भावना को स्पष्ट करने के लिए यह अति आवश्यक हो गया है । यदि विधेयक का आधार ही यह है तो हमें न्यायाधीन मामलों का उल्लेख करने से क्यों रोका जा रहा है ? चूंकि विचाराधीन मामलों का उल्लेख विधेयक में स्वयं मंत्री महोदय ने किया है, इसलिए उस पर चर्चा करते समय तत्सम्बद्ध अनेक मामलों का उल्लेख हमें करना पड़ेगा ।

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, Rule No. 352 (2), which has been quoted here, is not relevant and that is not applicable, because when there is a general rule and a special rule, the special rule overrides the general one, for example, on a question of privilege we are discussing the matter which is pending in the court in a case relating to Shri Tulmohan Ram. Similarly, the rule of **sub-judice** cannot be applied here in the case of a Bill which has been brought to under the judgement of the Court. So, it is but natural for us to refer to pending 180 election petitions. You cannot restrict the discussion on it on the basis of **sub-judice** rule.

In my opinion, Shri Gokhale should not be allowed to move a motion for consideration of the Bill. I would like to know whether explanation can be brought to negate the original section. That is why I am raising a point of order. The whole of it is dishonest, unconstitutional, malafide and motivated. If they want to show some honesty, they should withdraw the present Bill and bring another in place of it. They should change whole of Sec. 77 (1). I want your ruling on the fact whether original section can be negated by way of giving an explanation to it.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह विधेयक उन उम्मीदवारों के हितों की रक्षा करने के लिए लाया गया है, जो विचाराधीन 180 चुनाव याचिकाओं से सम्बद्ध है, इसलिए क्या सदस्यों के लिए यह उचित नहीं है कि वे चुनाव याचिकाओं के विषय का चर्चा के दौरान उल्लेख करें । यदि सरकार चाहती है कि उनका उल्लेख न किया जाये तो वह इस प्रकार का विधेयक न लायें । इस दृष्टि से आप इस मुद्दे पर विचार करें । दूसरा विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या स्पष्टीकरण से मूल धारा को बदला जा सकता है । यह सरकार का कार्य नहीं है कि वह मूल धारा में ऐसा स्पष्टीकरण जोड़ दे जिससे कि मूल धारा का अपना प्रभाव ही समाप्त हो जाये । अतः यह संशोधन उचित नहीं है ।

श्री एच० आर० गोखले : मामले के न्यायाधीन होने का सिद्धांत विधान बनाने पर इस दृष्टि से लागू नहीं होता कि इस संबंध में कानून ही न बनाया जाये । अतः इस तर्क में बल नहीं है कि चूंकि याचिकाएं न्यायाधीन हैं, इसलिए तत्संबंधी कोई भी विधेयक नहीं लाया जा सकता या उस पर 'न्यायाधीन होने' का सिद्धांत लागू होता है ।

उस समय उन्होंने किसी मामले के गुण-दोष के मामले में कुछ नहीं कहा था । उन्होंने इस अध्यादेश के गुण-दोष का विवेचन किया था और कहा था कि इस अध्यादेश का अनुमोदन किया जाना चाहिये । अब यदि विधान न्याय निर्णयाधीन नहीं है, जैसा कि कहा गया है कि यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, तो प्रश्न उठता है कि क्या विधान के बारे में चर्चा का प्रभाव न्यायालयों में निर्णयाधीन मामलों पर पड़ेगा । ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें चुनाव संबंधी खर्च का मामला अन्तर्ग्रस्त है और जो सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है । मैंने समाचार-पत्रों के संवाददाताओं के साथ बात करते हुए किसी एक मामले का गुण-दोष विवेचन नहीं किया था । मैंने बताया था कि कितनी याचिकाएं विचाराधीन हैं । तथ्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा गया था कि विचाराधीन पड़े मामलों को और जिनमें यह प्रश्न उठा है, उनको अध्यादेश के अन्तर्गत लाया जाये तथा उसे कार्यरूप देने के लिये विधान लाया जाये ।

यह समस्या पहली बार ही सामने नहीं आई । न्यायपालिका के निर्णयों के परिणामस्वरूप इस संसद तथा विधान मंडलों द्वारा अनेक बार कानून पास किये गये हैं । संसद अथवा विधान मंडल के सदस्य के बारे में उत्पन्न संदेह को दूर करना आवश्यक है । अतः मेरा निवेदन यह है कि किसी एक मामले के गुण-दोष पर चर्चा करने का कोई प्रश्न ही नहीं है । तर्क का मुख्य आधार यह था कि स्पष्टीकरण और मुख्य धारा में अन्तर है और स्पष्टीकरण को मुख्य धारा को समाप्त करने के लिये जोड़ा जा रहा है । यह ठीक नहीं है । स्पष्टीकरण अन्य बातों के साथ-साथ इस बात को स्पष्ट करने के लिये दिया जा रहा है कि उपबन्ध का आशय क्या है । प्रस्तावित विधेयक में स्पष्टीकरण और मूल धारा में कोई विरोध नहीं है । इस अवस्था में इस मामले को नहीं उठाया जा सकता । अतः मेरे विचार में विधेयक पर चर्चा की जानी चाहिये ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : It has been said in support of the Bill that there are several petitions which have taken the ground of excessive expenditure. We should also be allowed to state facts in support of our arguments. You should not discriminate.

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : प्रत्येक विधान की कुछ पृष्ठभूमि होती है । विधि मंत्री ने इसकी पृष्ठभूमि का उल्लेख किया है, उन्होंने बताया है कि अनेक मामले निर्णयाधीन हैं और यह व्यवस्था ऐसे सभी मामलों में लागू होगी ।

श्री मधु लिमये : मैं चर्चा का क्षेत्र सीमित नहीं बनाना चाहता ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी मामलों को समझने के बाद विनिर्णय देना चाहूंगा, मैं मंत्री महोदय से सहमत हूं कि चर्चा की अवस्था में विधेयक पर आपत्ति नहीं की जा सकती । अब अध्यक्षपीठ से दो मामलों पर विनिर्णय दिया जाना है—एक यह है कि क्या इस विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन पड़े मामलों का हवाला नहीं दिया जाना चाहिये । दूसरे क्या हम श्री चावला के मामले का हवाला दे सकते हैं क्योंकि इस पर पुनरीक्षण याचिका निर्णयाधीन है, विधि मंत्री इस बारे में कोई अधिकृत जानकारी दें ।

श्री एच० आर० गोखले : श्री चावला के मामले का पुनरीक्षण करने के लिये याचिका दायर की गई है । मुझे पता नहीं है कि वह अभी स्वीकार की गई है या नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक मेरा संबंध है, दो मामले हैं । श्री लिमये ने विधेयक के गुण-दोष को लेकर व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । मेरे विचार में वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । इस बात का निर्णय सभा को करना है । अब यदि अध्यक्षपीठ से निर्णय दिया जाता है कि वह विधेयक विभिन्न मामलों का हवाला देने में बाधक नहीं है तो चर्चा का रूप और हो जाता है । परन्तु श्री चावला का मामला इसी परिधि में आता है और हमें उसमें नहीं जाना चाहिये ।

हम पहले देखेंगे कि स्वीकृत प्रक्रियाएं क्या हैं । एक स्वीकृत प्रक्रिया यह है कि हम किसी ऐसे मामले के गुण-दोष अथवा तथ्यों पर चर्चा नहीं करते जो न्यायालय में विचाराधीन पड़ा है । दूसरी बात यह है कि इस सदन को विधान बनाने संबंधी शक्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती । इस बात का निर्णय उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय करता है कि वह विधान संविधान के उपबन्धों के अनुरूप है या नहीं । वह अलग बात है । अतः न्यायालय में निर्णयाधीन होना कानून बनाने में बाधक नहीं है । परन्तु हम एक असाधारण स्थिति पर विचार कर रहे हैं । सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है कि इस अध्यादेश और विधेयक का प्रयोजन संसद और विधान सभा के उन सदस्यों को संरक्षण प्रदान करना है जिनके विरुद्ध चुनाव याचिकाएं दायर की गई हैं । मैं मंत्री महोदय से सहमत हूं कि एक बार जब यह सभा अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करके कानून बनाती है और उस कानून का आशय स्पष्ट कर देती है तो न्यायालयों को उस कानून के अनुसार ही उसकी व्याख्या करनी चाहिये । उनके विचार में इस प्रकार का मामला अत्यधिक खर्च वाला नहीं समझा जाना चाहिए इसीलिये वह यह कानून लाये हैं ताकि भविष्य में कोई भ्रम न रहे । यह बिल्कुल उचित है । जब वह बात है तो प्रश्न यह उठता है कि इन सभी मामलों में, जिनका मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है, संरक्षण की आवश्यकता है । यह बहुत कठिन बात है जिस पर बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार करना होगा और जब तक मंत्री महोदय कुछ और स्पष्टीकरण न दें, मैं अपना विनिर्णय नहीं दे सकता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : आपने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि क्या इस विधेयक पर वाद विवाद के दौरान सदस्यों को उन मामलों के तथ्यों के बारे में कुछ कहना चाहिये या नहीं । यदि उन मामलों की छानबीन नहीं की जाती तो आप ने जो कुछ अन्त में कहा है उसका निर्णय नहीं किया जा सकता ।

श्री मधु लिमये : आप हमारे भाषण सुनकर निर्णय कर सकते हैं कि यह सम्बद्ध है या नहीं, सम्बद्धता का नियम माना जाना चाहिये ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवतुपुजा) : यह बात तथ्यात्मक रूप में अथवा कानूनी रूप में ठीक नहीं है कि इस विधेयक का प्रयोजन केवल विचाराधीन मामलों तक सीमित है । इस कानून के दो प्रकार के प्रभाव होंगे । इसका प्रभाव विचाराधीन मामलों पर भी और भविष्य में आने वाले ऐसे मामलों पर भी पड़ेगा क्योंकि यह चुनाव कानून में संशोधन के बराबर है जिस का प्रभाव वर्तमान और भविष्य के सभी मामलों पर पड़ेगा । यदि इसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो कि इसका संबंध इन इन मामलों से है, तो उन मामलों के तथ्यों पर विचार किया जा सकता है । परन्तु यह विधेयक चुनाव कानून में संशोधन करने के लिये प्रस्तुत किया गया है । इस से यदि विचाराधीन मामलों को संरक्षण मिले या न मिले इससे कोई सरोकार नहीं । यदि उन्हें संरक्षण नहीं मिलता तो भी कानून तो बनेगा, अतः उनके तथ्यों को उल्लेख करना बेकार होगा सभा ने उन मामलों के तथ्यों पर विचार नहीं करना है । नियम

75 में बताया गया है किस समय किस विषय पर चर्चा की जानी चाहिये । नियम 74 में उल्लिखित प्रस्ताव पर विधेयक के सिद्धांतों और उपबन्धों पर सामान्य रूप से चर्चा की जा सकती है, परन्तु विधेयक पर विस्तार से चर्चा नहीं हो सकती । इस समय हमारा सम्बन्ध केवल विधेयक के सिद्धांत से है न कि उसके लागू किये जाने से । विधेयक के सिद्धांत पर विचाराधीन मामलों का उल्लेख किये बिना विस्तार से बहस की जा सकती है ।

श्री मधु लिमये: यदि सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा के लिये समर्थन हेतु तथ्यों की आवश्यकता है तो ?

श्री सी० एम० स्टीफन: श्री लिमये सम्बद्धता की बात कर रहे हैं । परन्तु इस बारे में भी प्रक्रिया के नियम हैं । नियम 352(i) में लिखा है कि कोई सदस्य किसी ऐसे मामले का उल्लेख नहीं करेगा जो न्यायालय में विचाराधीन हो । न्यायालय में विचाराधीन मामलों और विचाराधीन तथ्यों में अन्तर रखना होगा । विचाराधीन मामलों का सामान्य रूप से उल्लेख किया जा सकता है परन्तु तथ्यों का नहीं । सम्बद्धता का नियम आदेशात्मक उपबन्ध है । मैंने पहले ही निवेदन कर लिया है कि यह सम्बद्ध नहीं है । नियम 352(i) के अधीन सिद्धांत पर किसी मामले के तथ्यों का हवाला दिये बिना चर्चा की जा सकती है । अतः आप को किसी असम्बद्ध या अनावश्यक बात का उल्लेख करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मुख्य आपत्ति यह की गई है कि विचाराधीन मामलों का उल्लेख किये बिना विधेयक पर सार्थक चर्चा नहीं की जा सकेगी । पहले इस प्रकार के मामले सभा के समक्ष आये हैं और अध्यक्ष महोदय ने विनिर्णय दिया था कि प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती परन्तु उसमें तथ्यों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये । वास्तव में किसी मामले के तथ्यों का इस विधेयक के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, जिस मामले के जो तथ्य है वही रहेगें । इस विधेयक का उद्देश्य कंवरलाल गुप्त बनाम अमरनाथ चावला के मामले के निर्णय के बारे में कानून की पूर्व स्थिति प्रदान करना है । हम उस सिद्धांत पर चर्चा करना चाहते हैं जिसके द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 में दल के व्यय को सम्मिलित न किया जाये । यह आपत्ति निराधार है कि मामलों के तथ्यों का उल्लेख करना अनिवार्य है ।

कौल और शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 901 में एक ऐसी स्थिति का उल्लेख है । 26 सितम्बर, 1955 को गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के बाद एक सदस्य ने कहा कि विधेयक का विषय न्याय-निर्णयाधीन है, अतः प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जा सकती । सदस्य का कहना था कि न्याय निर्णयाधीन मामले का उल्लेख किये बिना सार्थक चर्चा करना असम्भव है । इस पर अध्यक्ष महोदय ने विनिर्णय दिया कि सदन में चर्चा का सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की सुनवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । उन्होंने प्रस्ताव पर चर्चा चालू रखने की अनुमति दे दी तथा यह रोक लगा दी कि किसी मामले विशेष के तथ्यों का उल्लेख न किया जाये । यह एक अच्छा पूर्वोदाहारण है और इसको ध्यान में रखते हुए सदस्यों की न्यायालयों में विचाराधीन मामलों के तथ्यों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि चर्चा के समय हम किन-किन विषयों को ला सकते हैं । मैं आपका ध्यान इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण

की ओर दिलाना चाहता हूं । उसमें लिखा है "जिनके विरुद्ध चुनाव याचिकाएं विचाराधीन हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 में उल्लिखित उपबन्धों का आशय स्पष्ट करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है . . . . " जब इस विधेयक का यही मुख्य आधार है, तो क्या आप माननीय सदस्यों को इस तह तक पहुंचाने की अनुमति नहीं देंगे ? क्या मैं निवेदन करूं कि न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सार्वजनिक तथ्य हैं ? मैं शपथ-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता हूं क्योंकि वह सार्वजनिक दास्तावेज है । यदि हमें ये तथ्य उपलब्ध कराये जायें और यदि हम उन तथ्यों को आपके समक्ष रखना चाहें तो आप इस बात पर विचार कर सकते हैं कि क्या यह विधेयक क्रम में है या इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिये या नहीं और मैं समझता हूं कि वह हमारे लिये पूर्णतया वैध बात है ।

आप यह स्पष्ट विचार रखें कि केवल "तथ्य" शब्द का प्रयोग करके आप पूरी-पूरी रोक लगाना चाहते हैं । जिसे स्वीकार किया नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास बहुत से तथ्य हैं । आप इन तथ्यों को सभा में प्रस्तुत किए जाने पर आपत्ति कैसे कर सकते हैं ?

मेरा नम्र निवेदन है कि यदि इस विधेयक का उद्देश्य 180 मामलों को उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय के प्रभाव से बचाना है तो इस सभा को उन 180 मामलों के अनेक पहलुओं की जांच करनी होगी ? इस विधेयक का आधार सरकार ने बनाया है न कि इस सभा ने ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कठिनाई में हूं ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : आपके समक्ष पूर्वोदाहरण स्पष्ट है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपने पूर्वोदाहरण का उल्लेख किया है तो मुझे इस समूचे मामले का अध्ययन करके स्वयं को संतुष्ट करना चाहिये कि यह बात इसके अनुरूप है ।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अंतिम पैरा को पढ़ें । यदि आप समूचे पैरा को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इसकी अलग व्याख्या करने की कोई गुंजाइश नहीं है । इस विधेयक का मुख्य प्रयोजन कानून की स्थिति को सिद्धान्ततः स्पष्ट करना है । अतः यह व्याख्या करना गलत है कि सरकार ने उन सभी मामलों के तथ्यों की जांच की है । विचाराधीन मामलों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है और नहीं भी पड़ सकता है । इस सभा में लाये गये किसी विधान का किसी अन्य मामले पर कोई न कोई प्रभाव पड़ सकता है ।

विशेषाधिकार के मामले के संबंध में संसद को शक्ति प्राप्त है । विशेषाधिकार समिति में यह प्रथा रही है कि जिन मामलों में न्यायालय और विशेषाधिकार समिति द्वारा तथ्यों की पुष्टि की जानी होती है उनमें विशेषाधिकार समिति द्वारा समानान्तर जांच शुरू न की जाकर उसे न्यायालय द्वारा तथ्यों की पुष्टि की प्रतीक्षा की जानी होती है ।

वे यह सब बातें राजनैतिक उद्देश्य के लिये उठा रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : क्या इन विचाराधीन याचिकाओं को वास्तव में इस अध्यादेश और विधेयक के संरक्षण की आवश्यकता है या नहीं इस बारे में मैं अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूं । इस प्रश्न पर हमें सतुष्ट कौन करेगा । उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कही गई बात पर्याप्त नहीं होगी । इस प्रश्न का उत्तर देते समय सरकार को कुछ जानकारी हमें देनी होगी । वह जानकारी अभी तक नहीं दी गई है । इस बात को उद्देश्यों और कारणों के विवरणों में पहले आना चाहिये था ।

अब प्रश्न यह है कि यदि इन 180 मामलों में से एक भी मामला ऐसा है जो निर्धारित सीमा से अधिक चुनाव खर्च के बारे में है और शेष 179 मामले अन्य आधार पर दायर किये हुए हैं तो उस सदस्य के अधिकार को संरक्षण देने के आधार पर क्या सरकार को इस प्रकार का विधान लाने का अधिकार है या नहीं ? कोई नहीं चाहता कि किसी मामले में अध्यादेश लाया जाये । सरकार ने कहा था कि भविष्य में हम साथ बैठकर विचार विमर्श करेंगें और विरोधी पक्ष का भी परामर्श लेना चाहेगें ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : विधि मंत्री ने प्रेस को बताया था कि भविष्य में इस मामले पर विचार-विमर्श करने के लिय तैयार हैं ।

व्यवधान

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इतना कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि क्या इन 180 मामलों में संरक्षण की आवश्यकता है या नहीं । उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अतिरिक्त हमारे समक्ष कुछ नहीं रखा गया है ।

श्री एच० आर० गोखले : यह प्रश्न कि सभा संतुष्ट है या नहीं एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सभा उस समय निर्णय करेगी जब विचार के लिये प्रस्ताव मतदान के लिये रखा जायेगा। यह कोई कानूनी प्रश्न नहीं है जिसके आधार पर इस पर चर्चा रोक दी जाये । चर्चा के अंत में यदि सभा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस पर विचार नहीं किया जा सकता तो वह इसे मतदान द्वारा अस्वीकार कर देगी । अब तो इस विधेयक पर विचार को रोका नहीं जा सकता ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हम चर्चा को रोकना नहीं चाहते बल्कि सभाध्यक्ष से इस विधेयक पर विचार का क्षेत्राधिकार जानना चाहते हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इस संबंध में हमें मंत्री महोदय को प्राप्त कानूनी राय पर ही निर्भर नही रहना चाहिये क्योंकि वह स्वयं इस मामले में एक पक्ष के प्रतिनिधि हैं । उनका इस मामले से सीधा संबंध है । मेरा अनुरोध है कि महान्यायवादी को सभा के समक्ष उपस्थित होने को कहा जाये । मैं इसके लिये लिखित या मौखिक प्रस्ताव पेश करने को तैयार हूं । श्री कंवर लाल गुप्त बनाम श्री अमरनाथ चावला वाले मुकद्दमे के संबंध में श्री अमरनाथ चावला उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर चुके हैं अतः महान्यायवादी को यहां सभा में आकर इस मामले में कानूनी पक्ष प्रकट करना चाहिये ।

श्री एच० आर० गोखले : प्रश्न यह नहीं है कि विधेयक पर विचार का प्रस्ताव किया जायें या नहीं । प्रश्न तो विधेयक पर विचार करने की सीमा संबंधी है । इस बीच यदि किसी प्रश्न पर आप के विनिर्णय की आवश्यकता पड़े तो आप दे दें ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो अपना विनिर्णय नहीं दे रहा हूं । मैं तो स्वयं सभा से ही यह पूछना चाहता हूं कि क्या विधेयक पर विचार करते समय न्यायालय में विचाराधीन उन 180 मामलों संबंधी तथ्यों का हवाला दिया जाय अथवा नहीं, यदि मैं मंत्री महोदय के अनुसार चर्चा आरंभ करादूं तो फिर मैं न तो किसी को उन तथ्यों का हवाला देने से रोक ही सकूंगा और न ही उसकी अनुमति दे सकूंगा । अब सभा ही इस बात पर निर्णय करे ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : जो सदस्य उन मामलों संबंधी बातों का संदर्भ दिये बिना बोलने को तैयार हैं आप उन्हें बोलने की अनुमति दीजिये । श्री श्यामनन्दन मिश्र ने इस अध्यादेश का विरोध करते हुए काफी प्रभावी भाषण दिया था । परन्तु उन्होंने एक भी संदर्भ को नहीं आने दिया । मेरे विचार से, आपका विनिर्णय आने तक, सदस्यों को संदर्भ न देकर बोलने की अनुमति आप दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : वस्तुतः मैं यह बात बेध्यानी में कह गया था कि मैं इसका निर्णय सभा पर छोड़ता हूं । यह मेरी कमजोरी ही थी । इसका निर्णय करना तो मेरा ही दायित्व है । इस विधेयक का अभिप्राय अध्यादेश का स्थान लेना है तथा यह अध्यादेश एक ऐसा असाधारण कानून है जो कि राष्ट्रपति ने संसद का सत्र चालू न होने के कारण शीघ्र आवश्यकता के लिये जारी किया है । अध्यादेश के कारणों में बनाया गया है कि कंवर लाल गुप्त **बनाम** अमरनाथ . चावला के मुकद्दमें के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद, यह जरूरी हो गया है कि चुनावों में खर्च की सीमा के बारे में संसद द्वारा बनाये गये विधान की भावना को और अधिक स्पष्ट किया जाये ताकि चुनावों संबंधी न्याय निर्णयाधीन अन्य मामलों को उच्चतम न्यायालयों के ऐसे निर्णय से बचाया जा सके क्योंकि उन मामलों से संबंधित उम्मीदवारों ने उन्हीं कानूनों की सीमा को आधार मानकर चुनाव लड़े थे । यह बात सभी को स्पष्ट हो चुकी है और यही इस विधेयक का उद्देश्य है ।

अतः यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस विधेयक तथा अध्यादेश पर चर्चा के दौरान सदस्यों को उन मकद्दमों संबंधी तथ्यों का हवाला देने की अनुमति न दी जाये श्री साल्वे ने एक विधेयक विशेष का हवाला मुझे दिया है परन्तु जब तक मैं इस विधेयक को स्वयं न देखलूं मैं नहीं कह सकता कि वह विधेयक भी बिल्कुल इसी विधेयक जैसा था । प्रस्तुत विधेयक तो अत्यन्त असाधारण विधेयक है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : विधि मंत्री तो चाहते हैं कि उन मुकद्दमों का हवाला दिये बिना ही विधेयक पर चर्चा की जाये । इसका उद्देश्य तो यह हुआ कि हम उन्हीं चीजों का उल्लेख न करें जिनका उल्लेख हमसे अपेक्षित है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : आप विनिर्णय दीजिये कि वे उन मामलों का हवाला दे सकते हैं या नहीं ?

श्री मधु लिमये (बांका) : आप मनमानी नहीं कर सकते । एक बार कहा जा चुका है कि संदर्भ नहीं दे सकते और अब कहते हैं कि संदर्भ दे सकते हैं । We are not at the mercy of Congress Members. Until now they were arguing that we cannot refer to those cases since those were *sub judice,* but now they say that references can be made.

I have got this suggestion, Firstly you order him.

"कि वह हमारी जानकारी तथा अध्ययन के लिये उन 180 मामलों के मुख्य आधारों का सारांश सभापटल पर रखें" ।

secondly.

"यह विधेयक ऐसा है जिसका उद्देश्य उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभावी करना है ।"

अतः मैं सुझाव देता हूं कि इस बात को माननीय सदस्यों के स्वविवेक पर छोड़ दिया जाये तथा उनसे कहा जाये कि तर्क में वे जब्त से काम लें। जहां अत्यावश्यक हो केवल वहीं संदर्भ दिये जायें।

श्री दरबारा सिंह : (होशियारपुर) : बिल्कुल गलत बात है।

श्री नवल किशोर शर्मा : यह असंभव है। यह बात विपक्ष या शासक दल की मनमानी पर नहीं चल सकती।

श्री सी० एम० स्टीफन : वह संदर्भ देना आरंभ करें और हम नियमों के अधीन आपत्तियां उठायेंगे।

Shri Madhu Limaye: I would say that then, it would result in a quarrel. We would quote the grounds of those 180 cases to prove that this legislation has been brought in not for those 180 cases but for only one case i.e. to save the election of the Prime Minister. If you people agree to my conciliatory suggestions it is alright otherwise I have given a notice under Rule 109.

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंडहार्बर) इस विधेयक पर चर्चा के दौरान इस प्रश्न का उत्तर देना होगा कि जिन 180 मामलों को सुरक्षण देने दिया जा रहा है क्या वे मामले इसके पात्र भी हैं। इसके बिना तो विधेयक के पक्ष में अथवा विपक्ष में एक शब्द भी नहीं बोला जा सकता। अतः विधि मंत्री को कहा जाये कि वह सदस्यों को इन मामलों संबंधी शिकायतों, शपथ पत्रों तथा विवरणों को वितरित करें क्योंकि रायबरेली के मामले के संबंध में निर्णय भी काफी स्पष्टता दिखाई दे रही है। मेरे पास तत्संबंध शपथपत्र तथा विवरण है। 32 जीपें....

उपाध्यक्ष महोदय : इन सब बातों की चर्चा मत कीजिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने किसी विशिष्ट मामले का जिक्र नहीं किया है। 'राय बरेली का मामला' नामक कोई मामला किसी न्यायालय के निर्णयाधीन नहीं है।

श्री दरबारा सिंह : आप इस बारे में सभा में प्रस्ताव रखिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ठीक है। मैं यह प्रस्ताव उसी नियम के अधीन रखूंगा जिसके अधीन श्री रघुरमैया रखते हैं। अर्थात यह सभा निर्णय करती है कि उक्त शिकायतें, शपथपत्र तथा वितरण सभा के सदस्यों को वितरित किये जायें और उनको इन पत्रों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाये ताकि वे यह निर्णय कर सकें कि क्या इस अध्यादेश ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभावी कर दिया है तथा उन मामलों के अभियुक्तों को बचाने के लिए नियमों का उल्लंघन किया गया है..... (व्यवधान) ठीक है अभियुक्त न सही, 'डिफेन्डेंट्स या 'रेस्पोडैन्ट" ही सही। मैं कोई वकील तो नहीं हूं। हां केवल इसके बाद ही चर्चाधीन इस प्रश्न का निर्णय हो सकता है कि इन 180 मामलों को सुरक्षण दिया जाये अथवा नहीं। इन पत्रों के परिचालित होने के बाद ही विधेयक पर चर्चा हो सकती है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : श्री स्टीफन के स्तर] के माननीय सदस्य का यह कहना बड़ी असाधारण सी बात है कि "हमने आपस में सलाह कर ली है और मंत्री से भी सलाह कर ली है।"

श्री सी० एम० स्टीफन : : मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा है।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्षमा चाहता हूं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य ने खड़े होकर तथा मंत्री महादय से सलाह-मश्विरा करके कोई विनिर्णय देने के लिए कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : वे सुझाव तो कभी भी दे सकते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं यह तो नहीं कहता कि सलाह-मश्विरा नहीं किया गया। परन्तु उन्होंने कहा था कि अगर कोई सदस्य उन मामलों का हवाला देगा तो हम नियमों के अधीन आपत्तियां उठायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही है कि श्री साल्वे ने कहा था कि मैं उद्धरण देने की अनुमति दूं। मुझे आशा है कि वह बात रिकार्ड पर भी आई होगी। मैंने भी उसे नोट किया है।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैंने भी उन्हें कुछ करते देखा था। खैर, हमें तो नियमों तथा परम्पराओं के अनुसार चलना है। श्री साल्वे ने वर्ष 1955 में अध्यक्ष के विनिर्णय का हवाला दिया है परन्तु हम उक्त विधेयक का अध्ययन किये बिना उसकी इस विधेयक के साथ तुलना कैसे कर सकते हैं। मैं आपके विचारार्थ एक समझौता-सूत्र पेश करता हूं। यदि यह कहा जाये कि यदि कोई सदस्य असंबंधित बोले तो सभाध्यक्ष उसे रोक दें तो यह कठिन है क्योंकि तब तक काफी बात कार्यवाही में शामिल हो चुकेगी। इसके स्थान पर यदि मंत्री महोदय उन 180 मुकदमों के बारे में जोकि न्यायालयों में निर्णयाधीन हैं, मोटी-मोटी बातों से हमें अवगत करादें तब हम उनका अध्ययन करके, अधिक विस्तार में जाये बिना उनका हवाला दे सकेंगे। सभाध्यक्ष माननीय सदस्यों को ऐसे उद्धरण तथा उदाहरण देने की अनुमति दें जोकि इस विधयक पर विचार का सामान्यतया मूल आधार बनते हों।

मंत्री महोदय ने बताया कि श्री अमरनाथ चावला उच्चतम न्यायालय को पुनर्विचार-याचिका पेश कर चुके हैं। जबकि वह न्यायालय अपना निर्णय दे चुका है। यदि यह विधेयक पास हो गया तो क्या न्यायालय को इस पुनर्विचार याचिका पर नये सिरे से अपना निर्णय देना पड़ेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया कैसे दे सकता हूं?

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : यह विधेयक वस्तुतः इन 180 मामलों को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, जैसा कि इसके उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण से स्पष्ट ही है। वस्तुतः इस विधेयक का उद्देश्य संविधान की धारा 77 के आशयों की सही व्याख्या करना है क्योंकि इस धारा के अनुसार जबकि एक उम्मीदवार द्वारा चुनाव में व्यक्तिगत रूप से या अपने एजेन्ट द्वारा किया गया खर्च तो खर्च की अन्तिम सीमा को संदर्भ में गिना जायेगा परन्तु उसके दल द्वारा किया गया खर्च इस हिसाब में शामिल नहीं किया जायेगा। यही निर्णय उच्चतम न्यायालयों के अनेक न्यायाधीशों ने भी दिया है। श्री कंवरलाल गुप्त बाले हाल ही के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय पूर्ववर्ती निर्णयों के उत्तर है। इस लिए संसद की इस भावना को और अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से यह विधेयक पेश किया गया है। अब यदि इसका प्रभाव इन 180 मामलों पर भी पड़ता है तो यह एक अलग बात है। विधेयक में उद्देश्यों और कारणों के

विवरण को ध्यान से पढ़ने पर यह तथ्य बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है। वह विवरण इस प्रकार है :—

किन्तु, कंवरलाल गुप्त **बनाम** ए० एन० चावला और कुछ अन्य (1972 की सिविल अपील सं० 1549, जिसका विनिश्चय 3 अक्तूबर, 1974 को किया गया) के हाल ही के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पूर्वोक्त पद "उपगत या प्राधिकृत" का इस रूप में निर्वचन किया है कि ऊपर निर्दिष्ट किसी राजनैतिक दल या अन्य व्यक्ति द्वारा उपगत व्यय उसकी परिधि में आते हैं। इस बात को दृष्टि में रखकर कि ऐसे निर्वचन का विशिष्टतया उन अभ्यर्थियों के प्रति निर्देश से जिनके विरुद्ध निर्वाचन अर्जियां लम्बित हैं, क्या प्रभाव पड़ सकता है यह अत्यन्त आवश्यक हो गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के उपबंधों के आधारभूत आशय का, अर्थात् इस बात का स्पष्टीकरण किया जाए कि उस धारा के अधीन अधिकतम रकम की संगणना करने में, किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय या राजनैतिक दलों द्वारा उपगत या प्राधिकृत किसी व्यय को लेखे में नहीं लिया जाना चाहिए। चूंकि संसद सत्र में नहीं थी, इसलिए राष्ट्रपति ने 19 अक्तूबर, 1974 को लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1974 का प्रख्यापन किया। यह विधेयक इस अध्यादेश का स्थान ग्रहण करने के लिए है।

इस तरह, यह विधेयक चुनाव संबंधी याचिकाओं से संबंधित व्यक्तियों को बचाने के उद्देश्य से नहीं लाया गया है। जब यह बात सभा स्वीकार कर लेती है तो फिर हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि उन याचिकाओं के बारे में क्या निर्णय होना है। उच्चतम न्यायालय चाहे जो निर्णय करे। हमने तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 में निजि भावना को स्पष्ट करना है। हाल ही में जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया है वह उक्त धारा में निहत भावना के विपरीत है और इसलिए यह उक्त धारा के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुकरण में चुनाव लड़ने वाले या याचिकाएं देने वालों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

अतः विधेयक पर चर्चा के दौरान उन याचिकाओं संबंधी बातों का संदर्भ देना तो सर्वथा असंगत होगा। साथ ही हमारी परम्पराओं के अनुसार हमें न्यायालयों के विचाराधीन मामलों का संदर्भ देना भी नहीं चाहिए। आप इसकी अनुमति न दें अन्यथा यहां गड़-बड़ी शुरू हो जायेंगी और उन मुकद्दमों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : श्री गोस्वामी के तर्क परस्पर, विरोधी हैं। उद्देश्यों और कारणों के विवरण को पढ़ने से साफ पता चलता है कि निर्णायक रूप से चुनाव याचिकाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को बचाने के उद्देश्य के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 में निहित भावना को तुरन्त ही स्पष्ट करने की आवश्यकता आ पड़ी थी। मंत्री महोदय बतायें केवल ये 180 मामले ही नहीं बल्कि कुल कितने मामलों में सीमा से अधिक चुनाव व्यय करने का आरोप है? वर्ष 1952 से अब तक असंख्य चुनाव हुए हैं, मध्यावधि चुनाव भी हुए हैं। वह बतायें कि सीमा से अधिक व्यय के आधार पर कितने चुनाव रद्द हुए। यदि विधेयक पास करके केवल इसी पर रोक लगाना है, तो यह एक अलग बात है। श्री चावला के मामले से पहले भी अनेक चुनाव रद्द हुए थे। अतः मुझे सरकार यह बताये कि आखिर इस समय सरकार को सीमा लोक-विरोधी विधेयक लाने की जरूरत क्यों पड़ी?

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : Whereas the Members of the Ruling Party have been stressing not to refer the facts about the *sub judice* cases during the discussion on this Bill; on the other hand the Bill itself is based and framed on the same cases. In fact they want to kill the judgement of the Supreme Court under the Statement of Objects and Reasons it is stated:—

> "इस बात को दृष्टि में रखकर कि ऐसे निर्वाचन का विशिष्टतया उन अभ्यर्थियों के प्रति निर्देश से जिनके विरुद्ध निर्वाचन अर्जियां लम्बित हैं, क्या प्रभाव पड़ सकता है, यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के उपबंधों के आधारभूत आशयों का, अर्थात इस बात का स्पष्टीकरण किया जाये.....।"

Therefore you cannot shut our mouth in the name of matter being *sub judice* despite the fact that these very matters form the basis of the Bill itself. Secondly, we said that Shri Stephen, Shri Salve and Shri Mahajan gather around Shri Gokhale and expressed their view points, and thereafter, suddenly Shri Salve lose to ask you to permit citation references to these cases. This shows that they are very proud of their majority in the House and they wanted to vote down the motion of Shri Bosu. Although in democracy, decisions are taken by majority, but we should not allow Goverment to become dictatorial, they should not be allowed to annual the Supreme Courts decision just for saving certain vested intrests. Let the Hon. Minister withdraw his Bill, bring a revised version thereof and we are prepared to consider that.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं ?

श्री एच० आर० गोखले : विधेयक पर विचार के विरोध का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। संक्षिप्त सा प्रश्न यह है कि क्या इस पर चर्चा के दौरान उच्चतम न्यायालय के निर्णयाधीन उन 180 मामलों संबंधी तथ्यों का हवाला दिया जा सकता है। मेरा मत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए अन्यथा उन मामलों में अदालती कार्यवाही पर प्रभाव पड़ सकता है। यदि सदस्यगण किसी विशेष मुकद्दमे का नामों, विवादास्पद विषयों, आरोपों-प्रतिआरोपों का जिक्र किये बिना यह कहें कि इतनी संख्या में मुकद्दमें हैं, तो यह दूसरी बात है। अब आप निर्णय दें कि क्या हो ?

जहां तक विवरणों शपथ पत्रों, का संबंध है, मैं कह चुका हूं कि ये "मामलों" शब्द में शामिल हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है और न ही होना चाहिए।

श्री मधु लिमये : तो क्या मैं नियम 109 के अधीन चर्चा को रोकने का प्रस्ताव पेश करूं तथा इस संबंध में अपना संक्षिप्त भाषण दूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उससे भी चर्चा स्थगित ही तो होगी। यह बड़ी कठिन स्थिति मेरे सामने आई है। श्री सालवे ने कहा था कि मैं सदस्यों को संदर्भ देने की अनुमति दे दूं। इससे मुझे कुछ आसानी हो जाती है परन्त मंत्री महोदय ने उस का विरोध कर दिया है। अतः जहां तक कानून की तकनीकी बारीकियों का संबंध है, संदर्भ नहीं किये जा सकते क्योंकि मामले अदालत के निर्णयाधीन है परन्तु साथ ही ये मामले अध्यादेश तथा विधेयक के आधार भी हैं। यही कठिनाई है···

श्री सी० एम० स्टीफन : जी सालवे ने वह कौन-सा विनिर्णय दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस विधेयक विशेष का अध्ययन करूंगा जो मैं अभी तक नहीं कर सका हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन : वह विधेयक एक बिशेष उद्देश्य के लिये था, जबकि यह सामान्य सा विधेयक है

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक मैं उसे पढ़ न लूं तब तक क्या कह सकता हूं। मुझे इसमें आई परिस्थितियों तथा उनके आधार का अध्ययन करना पड़ेगा।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : वह विधेयक सरकारी सम्पत्ति के बारे में था। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि वह मामला क्षेत्राधिकार का था और विषय यही था। वह विषय न्यायालय में निर्णयाधीन मामलों को सीधे ही प्रभावित करता था। उस संबंध में विनिर्णय यह था.....।"

Shri Madhu Limye : This is quite different.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यदि यह मान लिया जाये कि विधेयक का उन मामलों पर सीधा प्रभाव पड़ता था, तो उस संबंध में अध्यक्ष ने यह विनिर्णय दिया था कि उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता और न्यायालय के विचाराधीन मामलों संबंधी तथ्यों का हवाला नहीं दिया जा सकता। मेरा निवेदन है कि उस मामले के संबंध में तथा इस मामले के संबंध में सभी तथ्य एक ही प्रकार के हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस कथन से चर्चा ने एक नया मोड़ ले लिया है और इस विषय पर मेरे विनिर्णय की आवश्यकता हो सकती है। यदि मैं इस उदाहरण पर अपना निर्णय आधारित कर सका तो मुझे बड़ी राहत मिलेगी परन्तु आप मुझे कम से कम उस विधेयक को पढ़ने का अवसर तो दें। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। अतः जल्दबाजी से काम नहीं लिया जाना चाहिए। इस संबंध में अब विनिर्णय बाद में दिया जायेगा परन्तु क्योंकि मंत्री महोदय विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करने खड़े हो चुके थे अतः उन्हें विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव रखने दिया जाये.....

एक माननीय सदस्य : सभा 6 बजे स्थगित होनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

श्री एच० आर० गोखले : जब मुझे उत्तर देने का अवसर मिलेगा तो मैं अपने मित्र श्री श्यामनन्दन मिश्र के भाषण का उत्तर दूंगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक पर विचार करने हेतु लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 77 का हवाला देना ही काफी है। जिसमें यह व्यवस्था है कि किसी चुनाव के संबंध में चुनाव के लिए उद्घोषणा की प्रकाशन तिथि से चुनाव परिणाम की घोषणा की तारीख तक किसी उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा किया गया अथवा प्राधिकृत किया गया है कुल खर्च निर्धारित राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। धारा 123 के खण्ड (6) में, इस नियम के उल्लंघन को भ्रष्ट प्रक्रिया माना गया

है। भारतीय चुनाव कानून में इस प्रकार की सीमा निर्धारित है। और इस भावना की पुष्टि आम तौर से गत तीन वर्षों के दौरान न्यायालयों के निर्णयों में की गई है। "उपगत अथवा प्राधिकृत" शब्दों में के अर्थों में उक्त उम्मीदवार के राजनैतिक दल अपने चुनाव अभियान के संघ द्वारा किया गया कोई खर्च शामिल नहीं किया जाता।

तथापि उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में श्री कंवरलाल गुप्त **बनाम** श्री अमरनाथ चावला (वर्ष 1972 की सिविल अपील संख्या 1549) के मामले में अपनी टिप्पणियों के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के संदर्भ में कुछ सन्देह तत्व अनुभव किया है। उक्त निर्णय में "उपगत अथवा प्राधिकृत" शब्दावली को व्यापक अर्थ दिये जाने से एक गंभीर समस्या पैदा हो गयी है। विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके चुनाव संबंधी मामले अभी निर्णयाधीन हैं। उनका कोई कसूर न होते हुए भी, उनके चुनावों के रद्द किये जाने का ख़तरा पैदा हो गया है हालांकि उन्होंने पहले से स्वीकृत कानूनी प्रावधानों के अनुसरण में चुनाव लड़ें हैं।

इस प्रकार उम्मीदवारों के सम्बन्ध में उत्पन्न हुई स्थिति का निराकरण करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के प्रयोजनों को स्पष्ट करना आवश्यक हो गया है। अर्थात चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किये गये व्यय को प्रत्याशी द्वारा किए गए व्यय में शामिल नहीं किया जायेगा। यह विधेयक उक्त अध्यादेश के बदले में लाया गया है। जो इस संबंध में राष्ट्रपति ने प्रख्यापित किया था।

सरकार व्यय सम्बन्धी समस्याओं की गम्भीरता से अनभिज्ञ नहीं है तथा उसने अध्यक्ष द्वारा गठित संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव सम्बन्धी व्ययों के संबंध में को गई सिफारिशों को विचार करने के लिए रखा और समिति ने जिसमें सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि थे समस्या पर गम्भीरता से विचार करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि विभिन्न राजनीतिक कठिनाइयों के कारण राजनीतिक दलों से यह आशा करना संभव नहीं है कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों के चुनाव पर कितना व्यय किया और इसका ब्योरा दे सकें। समिति ने निर्वाचन के व्यय के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा लगाने सम्बन्धी कानूनी उपबंधों का समर्थन किया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 का व्यापक रूप से संशोधन करने वाला विधेयक पहले ही संसद में पुरःस्थापित हो गया है तथा लोक सभा में निर्णयाधीन है। सदन में विधेयक पर विचार करते समय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में संसद सदस्यों को सुझाव देने का काफी अवसर मिलेगा। इन परिस्थितियों में सदन यह विचार करेगा कि 19 अक्तूबर, 1974 को इस अध्यादेश को लागू करते हुए राष्ट्रपति और इस विधेयक को प्रतिस्थापित करते हुए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जिन प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है और जिनकी याचिकाएं विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनर्णीत पड़ी है उन्हें उपबन्ध की न्यायिक व्याख्या के बदले जाने के फलस्वरूप कठिनाई का सामना न करना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं इस विधेयक का पूर्णतः विरोध करता हूं। यह ऐसे विशेष व्यक्ति को लाभान्वित करने और उसे सुरक्षा देने के लिए लाया गया है जिसका देश की सरकार पर अत्यधिक प्रभाव है। इस अध्यादेश को बड़ी तेजी से लागू किया गया है। क्या ऐसा कोई उदाहरण है जहां कि कोई अध्यादेश इतनी तेजी से लागू किया गया हो।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पचासवां प्रतिवेदन

निर्माण, आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघु रामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति के पचासवें प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 1974/23 अग्रहायण, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the December 13, 1974/Agrahayayana 23, 1896 (Saka)

MGIPRRND—Sec. IV-N/S—51 LSS/74—1.3.75—200.